

डॉएच बँक

फरवरी 2006 को सामान्य
व्यावसायिक शर्तें



सामान्य व्यावसायिक शर्तें

ग्राहक व बैंक के संबंधों को शासित करने वाले मूलभूत नियम:

1. विशेष व्यावसायिक संबंधों के लिए इन व्यावसायिक शर्तों को लागू करने व सुधार करने की सीमा
 - 1.1 लागू करने की सीमा

सामान्य व्यावसायिक शर्तें ग्राहक व बैंक के घरेलू अधिकारियों (यहां इसके बाद से "बैंक" कहा जाएगा) के बीच सभी संबंध को शासित करती हैं। इसके साथ ही, विशेष व्यावसायिक संबंध (जैसे प्रतिभूतियों का लेन-देन, कार्ड आधारित भुगतान, चैकों का उपयोग, बचत खाते, शाख-हस्तांतरण) विशेष शर्तों (यहां इसके बाद से "विशेष व्यावसायिक शर्तें" कहा जाएगा) द्वारा लागू होते हैं। इन विशेष शर्तों में सामान्य व्यावसायिक शर्तों से अंतर, या और जुड़ाव शामिल हो सकते हैं। इसके साथ-साथ बैंक किसी विशेष देश के ग्राहकों को निवास के आधार पर आकर्षित करने के लिए अपने नियम बना सकता है, तब इन नियमों को विशेष व्यावसायिक नियम माना जाएगा। ग्राहक की खाता खोलने या अन्य सेवाएं प्राप्त करने पर इन विशेष व्यापारिक शर्तों से सहमति होती है। यदि ग्राहक बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों/बैंक की शाखाओं से व्यावसायिक संबंध बनाता है तो बैंक का पुनर्ग्रहणाधिकार (सामान्य व्यावसायिक शर्तें क्र.14) ऐसे विदेशी कार्यालयों/शाखाओं के दावों को सुरक्षा प्रदान करता है।
 - 1.2 संशोधन

बैंक प्रदत्त बैंकिंग सेवाओं के उपयोग के लिए लागू किसी भी सामान्य व्यावसायिक शर्तों, विशेष व्यावसायिक शर्तों और अन्य सभी नियमों, शर्तों और नोटिसों को शामिल करने, संशोधित करने, पुनःसंशोधित करने, बदलने या रद्द करने का अधिकार बैंक अपने पास सुरक्षित रखता है।
2. बैंकिंग गोपनीयता और बैंकिंग मामलों को उजागर करना:
 - 2.1 बैंकिंग गोपनीयता

बैंक का कर्तव्य है कि उसके पास ग्राहकों से संबंधित तथ्यों और मूल्यांकन की जो जानकारी है उसे गोपनीय बनाए रखे (बैंकिंग गोपनीयता) बैंक ने अपनी किसी भी प्रदत्त सेवाओं के अंतर्गत जानकारी की गोपनीयता की संरक्षा और उनके प्रसारण के संबंध में सभी आवश्यक उपाय किए हैं और इसे गोपनीय जानकारी को उजागर करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि बैंक या इसके अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में घोर लापरवाही स्थापित नहीं हो जाती।

 - बैंक ग्राहक से संबंधित जानकारी को उजागर कर सकता है यदि ग्राहक ने इसके लिए अपनी सहमति दी हो, या
 - यदि बैंक को बैंकिंग मामलों को उजागर करने के लिए प्राधिकृत किया हो, या
 - यदि कानून द्वारा आवश्यक हो या अनुमति दी गई हो या किसी न्यायिक अथवा नियामक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के पालन के लिए या कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए, या

- बैंक के अधिकार या संपत्ति या अपने सदस्यों / अधिकारियों / कर्मचारियों की रक्षा या बचाव के लिए, या
- नियम व शर्तें लागू करने के लिए,
- ऐसे खुलासे जो बैंक को सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक हों। सेवाओं में ऑनलाइन सेवाएं शामिल हैं और किसी भी सेवा से संबंधित गतिविधियों जैसे ऑनलाइन सेवाओं की सदस्यता शुल्क एकत्र करने में, और किसी समस्या के बारे में ग्राहक से संपर्क या सूचित करने में, या ऑनलाइन सेवा की समाप्ति के बारे में या लेन-देन के संकलन को सक्षम बनाने में, क्रेडिट रिपोर्टिंग में, या यह बैंकिंग मानकों के अनुसार अनिवार्य या आवश्यक हो या बैंक के साथ सहमत ऐसी जानकारी पर लागू नियमों और शर्तों के अनुसार हो।
- ग्राहक एतद्वारा अपने व्यक्तिगत विवरणों और लेन-देन के इतिहास से संबंधित जानकारी को विनिमय, साझा, किसी अंश को दूसरे बैंकों/वित्तीय संस्थानों/ब्यूरो/एजेंसियों/सहभागिता/किसी टेलिकम्युनिकेशन या इलैक्ट्रॉनिक क्लियरिंग नेटवर्क जो कानून या पारंपरिक रूप से आवश्यक हो, के लिए बैंक को प्राधिकृत करता है और ऐसी जानकारी का खुलासा करने के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहरायेगा।
- ग्राहक की सहमति है कि बैंक या उसके ठेकेदार ऑनलाइन सेवाओं के साथ-साथ सांख्यिकीय विश्लेषण और क्रेडिट स्कोरिंग के संबंध में कंप्यूटर पर या किसी अन्य प्रकार से उसकी व्यक्तिगत जानकारी को रख और संसाधित कर सकते हैं।
- ग्राहक किसी भी तरह से, बैंक से संबंधित किसी भी गोपनीय प्रकृति की जानकारी, और जो बैंक से अन्य व्यक्ति के लिए सेवा का लाभ उठाने के दौरान उसे प्राप्त हुई है, उसका खुलासा नहीं करेगा। इस दायित्व का पालन करने में विफलता को इन सामान्य व्यावसायिक शर्तों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और बैंक को किसी भी नुकसान के पूर्वाग्रह के बिना संबंधों को समाप्त करने का अधिकार होगा, जिसके लिए वह ग्राहक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से दावा करने का हकदार हो सकता है, जिसमें ऑनलाइन सेवाएं शामिल हैं।

2.2 बैंकिंग मामलों को उजागर करना

बैंकिंग मामलों के विवरण के किसी भी प्रकटीकरण में ग्राहक की आर्थिक स्थिति, ऋण योग्यता और शोधन क्षमता से संबंधित सामान्य प्रकृति के कथन और टिप्पणियां शामिल हैं। खातों की शेष राशि, बचत जमाराशियों, सुरक्षा जमाराशियों या बैंक को सौंपी गई अन्य परिसंपत्तियों की राशि या क्रेडिट सुविधा के तहत आहरित राशि के बारे में कोई जानकारी प्रकट नहीं की जाएगी, जब तक कि कानून द्वारा या कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए या किसी न्यायिक या नियामक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के कारण या उपरोक्त किसी भी कारण से आवश्यक न हो।

2.3 बैंकिंग मामलों को उजागर करने के लिए पूर्व-आवश्यकताएं

बैंक गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं और व्यावसायिक व्यक्तियों से संबंधित बैंकिंग मामलों का खुलासा करने का हकदार है, बशर्ते कि पूछताछ उनकी व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित हो। हालांकि, बैंक किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं करेगा यदि उसे ग्राहक से इसके विपरीत निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो उपरोक्त खंड 2 (ए) और (बी) में उल्लिखित शर्तों के अधीन है। बैंकिंग मामलों के विवरण का खुलासा तभी किया जाएगा जब अनुरोधकर्ता पक्ष ने अनुरोध की गई जानकारी में अपने उचित हित की पुष्टि की हो और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण ग्राहक की वैध चिंताओं के विपरीत होगा।

2.4 प्रकट किए गए बैंकिंग मामलों के प्राप्तकर्ता

बैंक केवल अपने ग्राहकों के साथ-साथ अन्य क्रेडिट संस्थानों को अपने स्वयं के या अपने ग्राहकों के प्रयोजनों के लिए बैंकिंग मामलों के विवरण का खुलासा करता है।

3. बैंक का दायित्व। ग्राहक की अंशदायी लापरवाही:

3.1 दायित्व के सिद्धांत

बैंक या उसके किसी अधिकारी/कर्मचारी की ओर से किसी लापरवाही के कारण हुए नुकसान को छोड़कर ग्राहक को हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा, बशर्ते कि यदि ग्राहक ने किसी स्वयं की गलती (उदाहरण के लिए इन सामान्य व्यावसायिक शर्तों की संख्या 11 में उल्लिखित सहयोग करने के कर्तव्यों का उल्लंघन करके) से नुकसान की घटना में योगदान दिया है, तो अंशदायी लापरवाही के सिद्धांत यह निर्धारित करेंगे कि बैंक और ग्राहक को किस हद तक नुकसान उठाना पड़ेगा। जानकारी प्रदान करने के लिए वैधानिक कर्तव्यों के अलावा, जब तक अलग से सहमति न हो, बैंक इस सामान्य व्यावसायिक शर्तों में बताई गई जानकारी के अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

विशेष रूप से, यह ग्राहक को आसन्न मूल्य या विनिमय हानियों के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य नहीं होगा, उसे सौंपी गई वस्तुओं के मूल्य या बेकारता के बारे में या किसी भी तथ्य या परिस्थितियों के बारे में जिससे ऐसी वस्तुओं के मूल्य को प्रभावित या खतरे में डालने की संभावना है और न ही ग्राहक से संबंधित निर्देश के बिना सलाह देने या जानकारी देने के लिए बाध्य होगा।

3.2 तीसरे पक्ष के लिए पारित आदेश

यदि ग्राहक द्वारा दिए गए आदेश की विषयवस्तु ऐसी है जिसे बैंक आगे के निष्पादन के लिए किसी तीसरे पक्ष को सौंपता है, तो बैंक इस आदेश को अपने नाम से तीसरे पक्ष को सौंप देगा (आदेश तीसरे पक्ष को) दिया गया) उदाहरणार्थ अन्य क्रेडिट संस्थानों से बैंकिंग मामलों की जानकारी प्राप्त करने या अन्य देशों में प्रतिभूतियों की अभिरक्षा और प्रशासन में यह लागू होता है। ऐसे मामलों में बैंक का दायित्व तीसरे पक्ष का सावधानीपूर्वक चयन करने और उसे निर्देश देने तक सीमित होगा।

3.3 व्यापार में व्यवधान

अप्रतिरोध्य विवशता, दंगा, युद्ध या प्राकृतिक घटनाओं या किसी न्यायिक या नियामक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के कारण या अन्य घटनाओं जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है उदाहरण के लिए हड़ताल), तालाबंदी, ट्रैफिक होल्डअप-, घरेलू या विदेशी नियामक प्राधिकरणों के प्रशासनिक कार्य(से होने वाली किसी भी हानि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

4. ग्राहक की मृत्यु, मानसिक अक्षमता, दिवालियेपन या परिसमापन पर निपटान का अधिकार;

ग्राहक की मृत्यु, मानसिक अक्षमता, दिवालियेपन या समापन पर, बैंक किसी भी व्यक्ति, जिसे ग्राहक या मृतक के निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि, किसी ट्रस्टी या संपत्ति का प्राप्तकर्ता या संपत्ति का कोई कथित लाभार्थी के रूप में नामित किया गया है, को या किसी भी व्यक्ति द्वारा निपटान की अनुमति देने से पहले बैंक को स्वीकार्य रूप में दस्तावेजी साक्ष्य (जैसे प्रशासन के पत्र, प्रासंगिक अदालती आदेश या उसके समकक्ष) प्रस्तुत करने का अधिकार है। यदि कोई दस्तावेजी साक्ष्य अंग्रेजी भाषा में नहीं है, तो उस स्थिति में, यदि बैंक ऐसा अनुरोध करता है, तो उसे बैंक को स्वीकार्य अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जहां ग्राहक में संयुक्त खाताधारक शामिल हैं, बैंक, किसी भी संयुक्त खाताधारक की मृत्यु, मानसिक अक्षमता, दिवालियेपन या परिसमापन की सूचना प्राप्त करने से पहले, ग्राहक के निर्देशों और आदेशों के अनुसार ग्राहक के खाते के संचालन की अनुमति देने के लिए अधिकृत है। संबंधित नोटिस प्राप्त होने पर, बैंक खाते को तब तक फ्रीज करने का हकदार होगा जब तक कि वह ऊपर बताए गए सबूतों को संतोषजनक रूप से प्राप्त नहीं कर लेता।

5. ग्राहकों के लिए प्रयोज्य कानून और अधिकार क्षेत्र:

5.1 प्रयोज्य कानून इन सामान्य व्यावसायिक शर्तों के प्रावधान भारतीय कानून द्वारा शासित होंगे और भारतीय कानून के अनुसार ही उनकी व्याख्या की जाएगी।

5.2 अधिकार क्षेत्र

जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित बैंक के शाखा कार्यालय में- उस न्यायालय में बैंक, ग्राहक का खाता है अपने ग्राहक पर मुकदमा कर सकता है। हालांकि, बैंक अपने विवेकाधिकार से किसी अन्य स्थान की अदालत में ग्राहक पर मुकदमा कर सकता है जहां वह ग्राहक रहता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है। ऐसे ग्राहक या उनकी ओर से केवल उसी न्यायालय में बैंक पर मुकदमा किया जा सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में खाता रखने वाले बैंक का शाखा कार्यालय स्थित है।

6. खाते खोलना और उनका रख-रखाव:

6.1 खाते खोलना:

खाता खोलते समय ग्राहक अपनी पहचान का वैध प्रमाण प्रस्तुत करेगा या बैंक के संतुष्ट न होने पर पहचान का एक पूरक प्रमाण प्रस्तुत करेगा। ग्राहक का परिचय बैंक के मौजूदा खाताधारक द्वारा दिया जाएगा जो ऐसे

ग्राहक के नाम पहचान की पुष्टि/पते/बैंक को करेगा। खातों को खाता संख्या सहित खाता धारक या कंपनी के नाम पर रखा जाएगा। ग्राहक बैंक को प्रस्तुत अपने डेटा में किसी परिवर्तन के संबंध में बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से बिना किसी देरी के बैंक को सूचित करने के लिए बाध्य है।

6.2 हस्ताक्षर के नमूने

किसी खाते या प्रतिभूति खाते को संचालित करने या हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को अपने हस्ताक्षर बैंक के पास जमा करने होंगे। जमा हस्ताक्षरों के आधार पर बैंक खाते की सीमा में लिखित निपटान की अनुमति देगा।

6.3 संचालन और हस्ताक्षर करने का अधिकार

— केवल खाता को संचालित करने के प्राधिकारी धारक को खाते का निपटान करने का अधिकार होगा। केवल वे व्यक्ति जिनको कानून द्वारा प्रतिनिधित्व की शक्ति प्रदान की गई है या जिनके पास खाता संचालित करने के लिए स्पष्ट लिखित मुख्तारनामा है, खाताधारक का प्रतिनिधित्व करने के हकदार होंगे। वे अपनी पहचान और प्रतिनिधित्व की शक्ति को साबित करने के लिए बाध्य हो

— हस्ताक्षर करने का प्राधिकार

खाताधारक स्पष्ट रूप से और लिखित रूप से किसी खाते पर हस्ताक्षर करने के लिए तीसरे पक्ष को अधिकार दे सकता है। हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति विशेष रूप से खाते पर निपटान करने और रद्द करने का हकदार होगा।

7. चालू खातों के लिए आवधिक शेष विवरण:

7.1 आवधिक शेष विवरण जारी करना

जब तक अन्यथा सहमति न हो, बैंक प्रत्येक कैलेंडर माह के अंत में चालू खाते के लिए आवधिक शेष विवरण जारी करता है, जिससे इस अवधि के दौरान दोनों पक्षों द्वारा अर्जित दावों (बैंक द्वारा) दिए ब्याज और लगाए शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है। बैंक इन सामान्य व्यावसायिक (शर्तों के खंड संख्या 12 या ग्राहक के साथ किए गए किसी अन्य समझौते के अनुसार उससे उत्पन्न शेष राशि पर ब्याज ले सकता है।

7.2 आपतियों के लिए समय; मौन अनुमोदन।

ग्राहक को किसी आवधिक शेष विवरण में अशुद्धि या अपूर्णता के संबंध में कोई आपति है तो विवरण की प्राप्ति के दो सप्ताह के अंदर उठाना चाहिए; लिखित रूप में आपतियों के लिए दो सप्ताह की अवधि पर्याप्त है। निर्धारित समय में आपति न करने पर स्वीकृति मानी जायेगी। बैंक आवधिक शेष विवरण जारी करते समय स्पष्ट रूप से इस परिणाम की ओर ग्राहक का ध्यान आकर्षित करेगा। ग्राहक इस अवधि की समाप्ति के बाद भी आवधिक

बैलेंस स्टेटमेंट में सुधार की मांग कर सकता है, लेकिन फिर यह साबित करना होगा कि खाते से या तो गलती से डेबिट किया गया था या गलती से क्रेडिट नहीं किया गया था।

8. बैंक द्वारा की गई रिवर्स प्रविष्टियां और सुधार प्रविष्टियां:

8.1 राशियों की स्वीकृति

एक वैध विद्यमान खाता रखरखाव समझौते के मामले में बैंक ग्राहक की ओर से राशि स्वीकार करने व उसके खाते में जमा करने के लिए बाध्य और अपरिवर्तनीय रूप से हकदार होगा। खाता रखरखाव समझौता समाप्त होने के बाद भी बैंक ग्राहक की ओर से खाते में ग्राहक के दायित्वों की सीमा तक की राशि स्वीकार करने का हकदार होगा। जब तक कि निर्देश में अन्य कोई संकेत न दिया गया हो ग्राहक को राशि प्रदान करने का निर्देश बैंक द्वारा लाभार्थी के खाते में राशि जमा करके किया जाएगा।

8.2 आवधिक शेष राशि विवरण जारी करने से पहले

चालू खातों पर गलत क्रेडिट प्रविष्टियां जैसे कि गलत खाता संख्या के कारण बैंक द्वारा अगले आवधिक शेष विवरण जारी करने से पहले डेबिट प्रविष्टि के माध्यम से उस सीमा तक उलट दिया जा सकता है, जिस सीमा तक बैंक का ग्राहक के खिलाफ पुनर्भुगतान का दावा है (रिवर्स एंट्री); इस मामले में, ग्राहक इस आधार पर डेबिट प्रविष्टि पर आपत्ति नहीं कर सकता है कि क्रेडिट प्रविष्टि के बराबर राशि का निपटान पहले ही किया जा चुका है।

8.3 आवधिक शेष राशि विवरण जारी करने के बाद

यदि आवधिक बैलेंस स्टेटमेंट जारी होने के बाद बैंक गलत क्रेडिट प्रविष्टि का पता लगाता है और यदि बैंक के पास ग्राहक के खिलाफ पुनर्भुगतान का दावा है, तो वह ग्राहक के खाते से उसके दावे की राशि (सुधार प्रविष्टि) को डेबिट कर देगा। यदि ग्राहक सुधार प्रविष्टि पर आपत्ति करता है, तो बैंक खाते में विवादित राशि के साथ पुनः क्रेडिट करता है और अलग से अपने चुकौती दावे का दावा करता है।

8.4 ग्राहक को ब्याज की गणना की सूचना; ब्याज की गणना के संबंध में की गई किसी भी रिवर्स एंट्री और सुधार प्रविष्टियों के बारे में बैंक तुरंत ग्राहक को सूचित करेगा। जिस दिन गलत प्रविष्टि की गई थी, उस दिन से बैंक प्रविष्टियों को पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी करेगा।

9. संग्रह ऑर्डर:

9.1 दस्तावेजों की प्रस्तुति पर सशर्त क्रेडिट प्रविष्टियां।

यदि बैंक उनके भुगतान से पहले चेक के काउंटर मान को क्रेडिट करता है, तो यह भुगतान की शर्त पर किया जाता है, जो बैंक द्वारा क्रेडिट की गई राशि की वास्तविक प्राप्ति के अधीन होता है, भले ही ये मद बैंक में ही देय हों। यदि ग्राहक अन्य मदों को अभ्यर्पित करता है, तो बैंक को एक देनदार से देय राशि एकत्र करने का निर्देश देता है, और यदि बैंक ऐसी राशि के लिए क्रेडिट प्रविष्टि करता है, तो यह रिजर्व के तहत किया जाता है कि

बैंक राशि प्राप्त करेगा। यह रिजर्व तब भी लागू होगा जब मद बैंक में ही देय हों। यदि चेक का भुगतान नहीं किया जाता है या यदि बैंक संग्रह ऑर्डर के तहत राशि प्राप्त नहीं करता है, तो बैंक सशर्त क्रेडिट प्रविष्टि को रद्द कर देगा, भले ही इस दौरान आवधिक शेष राशि विवरण जारी किया गया हो या नहीं। इस आरक्षण के कारण, बैंक साधारण प्रविष्टि के माध्यम से क्रेडिट प्रविष्टि को उलटने के लिए बाध्य होगा यदि संग्रह विफल हो गया है या यदि देनदार की वित्तीय स्थिति के कारण, न्यायिक या नियामक प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप या अन्य कारणों से, यह अपेक्षा की जाती है कि बैंक एकत्रित की जाने वाली राशि के निपटान का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त नहीं करेगा।

आरक्षण का प्रयोग तब भी किया जा सकता है जब जमा की गई राशि को विदेश में एकत्र किया गया था और बैंक को विदेशी कानून के अनुसार या किसी विदेशी बैंक के साथ किए गए समझौते के आधार पर किसी तीसरे पक्ष द्वारा राशि को फिर से डेबिट किया जाता है। यदि आरक्षण लागू है, तो बैंक ग्राहक को जमा की गई राशि के निपटान के अधिकार से वंचित करने का भी हकदार होगा। खातों के संतुलन से आरक्षण समाप्त नहीं होगा।

9.2 ग्राहक द्वारा किए गए चेक का भुगतान। यदि बैंक की सामान्य प्रक्रियाओं के अनुसार डेबिट प्रविष्टि को रद्द नहीं किया गया है तो चेक का भुगतान किया जाता है। नकद में देय चेकों का भुगतान प्रस्तुतकर्ता पक्ष को उनकी राशि का भुगतान करने के बाद किया गया माना जाता है। यह भी माना जाता है कि जैसे ही बैंक भुगतान की सूचना भेजता है, बैंक द्वारा उन्हें स्वीकृत करने पर चेक का भुगतान कर दिया जाता है (जो भी पहले हो)। यह पैराग्राफ किसी भी विपरीत प्रक्रिया/प्रावधान के अधीन होगा जो बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

10. विदेशी मुद्रा लेनदेन और विदेशी मुद्रा खातों में निहित जोखिम:

10.1 विदेशी मुद्रा खातों से संबंधित आदेशों का निष्पादन ग्राहक के विदेशी मुद्रा खाते विदेशी मुद्रा में ग्राहक द्वारा भुगतान और निपटान के नकद रहित निपटान को प्रभावित करते हैं। विदेशी मुद्रा खातों पर क्रेडिट शेष का निपटान (उदाहरण के लिए विदेशी मुद्रा क्रेडिट बैलेंस के डेबिट में क्रेडिट ट्रांसफर के माध्यम से) मुद्रा के गृह देश में बैंकों के माध्यम से या बैंकों द्वारा किया जाता है, जब तक कि बैंक उन्हें पूरी तरह से अपने संगठन के भीतर निष्पादित नहीं करता है।

10.2 ग्राहक के साथ विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए क्रेडिट प्रविष्टियां।

यदि बैंक ग्राहक के साथ एक लेनदेन (यानी अग्रिम विनिमय लेनदेन) समाप्त करता है जिसके तहत विदेशी मुद्रा में राशि का प्रावधान है, तो वह ग्राहक के खाते को संबंधित मुद्रा में जमा करके अपने विदेशी मुद्रा दायित्व का निर्वहन करेगा, जब तक कि अन्यथा सहमति न हो।

10.3 बैंक द्वारा प्रदर्शन की अस्थायी सीमा। एक विदेशी मुद्रा क्रेडिट शेष

(पैराग्राफ 1)के डेबिट के लिए एक निपटान आदेश निष्पादित करने के लिए

या एक

विदेशी मुद्रा दायित्व (पैराग्राफ 2) का निर्वहन करने के लिए बैंक का कर्तव्य उस सीमा तक निलंबित रहेगा जब तक कि बैंक उस मुद्रा का निपटान नहीं कर सकता है या प्रतिबंधित रूप से कर सकता है जिसमें विदेशी मुद्रा मुद्रा क्रेडिट शेष या दायित्व राजनीतिक अस्थिरता/अनिश्चितता या संबंधित मुद्रा के देश में परिस्थितियों या घटनाओं के कारण मूल्यवर्गित है। उस हद तक और जब तक ऐसी परिस्थितियाँ या घटनाएँ बनी रहती हैं, बैंक या तो संबंधित मुद्रा के देश के बाहर किसी अन्य स्थान पर, किसी अन्य मुद्रा में (यूरो सहित) या नकद प्रदान करके प्रदर्शन करने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि, यदि बैंक इसे पूरी तरह से अपने संगठन के भीतर निष्पादित कर सकता है, तो एक विदेशी मुद्रा क्रेडिट बैलेंस के डेबिट के लिए एक निपटान आदेश निष्पादित करने के लिए बैंक का कर्तव्य निलंबित नहीं किया जाएगा। एक ही मुद्रा में देय पारस्परिक दावों को एक-दूसरे के विरुद्ध निर्धारित करने का ग्राहक और बैंक का अधिकार उपरोक्त प्रावधानों से प्रभावित नहीं होगा।

10.4 ग्राहक का जोखिम

प्रत्येक विदेशी मुद्रा लेनदेन ग्राहक द्वारा पूरी जागरूकता के साथ दर्ज किया जाएगा, कि विदेशी मुद्रा लेनदेन में विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल हो सकता है जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

11. सहयोग करने के लिए ग्राहक के कर्तव्य:

11.1 सहयोग करने की बाध्यता

बैंक के साथ अपने व्यवहार में ग्राहक को, विशेष रूप से, नीचे बताए गए अनुसार सहयोग करने के दायित्वों का पालन करना होगा। इसके किसी भी उल्लंघन से यहां बताए गए अनुसार बैंक के समझौते को समाप्त करने का अधिकार होगा।

11.2 ग्राहक के नाम, पते या बैंक के प्रति प्रतिनिधित्व की शक्तियों में परिवर्तन:

ग्राहक, बिना किसी देरी के, अपने नाम और पते में किसी भी बदलाव के साथ-साथ किसी भी व्यक्ति (विशेष रूप से मुख्तारनामा) को बैंक के प्रति प्रतिनिधित्व की किसी भी शक्ति की समाप्ति या संशोधन के बारे में लिखित रूप में बैंक को तुरंत सूचित करेगा। यह अधिसूचना शुल्क भी मौजूद है जहां प्रतिनिधित्व की शक्तियां एक सार्वजनिक रजिस्टर (कंपनियों के रजिस्ट्रार) में दर्ज की जाती हैं और उस रजिस्टर में किसी भी समाप्ति या उसके किसी भी संशोधन को दर्ज किया जाता है। ग्राहक कानूनी लेनदेन में प्रवेश करने के लिए अपनी क्षमता में किसी भी बदलाव या हानि के बारे में तुरंत बैंक को लिखित रूप में सूचित करेगा। यदि ग्राहक एक कंपनी या कानूनी इकाई है, तो उसके विघटन की सूचना तुरंत बैंक को दी जाएगी।

11.3 आदेश और क्रेडिट अंतरण की स्पष्टता

आदेश और क्रेडिट अंतरण को स्पष्ट रूप से अपना इरादा और उद्देश्य दिखाना चाहिए। आदेश और क्रेडिट अंतरण जो स्पष्ट रूप से या ठीक से

नहीं लिखे गए हैं, वे प्रश्नों का कारण बन सकते हैं, जिसके

परिणामस्वरूप देरी हो सकती है। विशेष रूप से, किसी खाते को क्रेडिट करने का आदेश देते समय (जैसे प्रत्यक्ष डेबिट और चेक प्रस्तुतीकरण) और क्रेडिट अंतरण करते समय, ग्राहक को आदाता के नाम की शुद्धता और पूर्णता के साथ-साथ खाता संख्या, बैंक कोड संख्या और मुद्रा सुनिश्चित करनी चाहिए। संशोधन, पुष्टि या आदेशों की पुनरावृत्ति और क्रेडिट अंतरण को इस तरह नामित किया जाना चाहिए।

11.4 निर्देश:

- बैंक ग्राहकों या उनके जनादेश धारकों से बैंक की संतुष्टि के लिए ग्राहक के उचित प्राधिकरण के साथ निर्देशों को स्वीकार करेगा।
- यदि किसी कारण से, बैंक को निर्देश देने वाले व्यक्ति के प्राधिकरण के बारे में कोई संदेह है, तो बैंक ऐसे निर्देशों के अनुसरण में स्वीकार या कार्य नहीं करने के लिए अधिकृत है।
- इंटरनेट के माध्यम से और ऑनलाइन सेवाओं के संबंध में निर्देश प्राप्त करने के अलावा बैंक केवल बैंकिंग समय के दौरान निर्देश स्वीकार करेगा। यदि बैंक को बैंकिंग समय के बाहर कोई निर्देश प्राप्त होता है, तो उसे ग्राहक द्वारा अगले बैंकिंग दिवस पर वितरित माना जाएगा।

11.5 प्रमाणीकरण:

ग्राहक उचित प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिए निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन और पुष्टि करेगा:
ग्राहक लेन-देन के लिए आवश्यक निर्धारित प्रमाणीकरण तकनीकों और सुरक्षा उपायों की पुष्टि करने के लिए सहमत है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाने का वचन देता है कि बैंक द्वारा ग्राहक को विशेष रूप से दिया गया पासवर्ड/कोई भी नंबर किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताया गया है।

11.6 किसी आदेश या क्रेडिट अंतरण के निष्पादन के संबंध में तात्कालिकता का विशेष संदर्भ:

यदि ग्राहक को लगता है कि किसी आदेश या क्रेडिट अंतरण के लिए विशेष रूप से त्वरित निष्पादन की आवश्यकता है, तो ग्राहक इस तथ्य के बारे में बैंक को अलग से सूचित करेगा। मुद्रित फॉर्म पर जारी आदेश या क्रेडिट अनातार्ण के लिए, इसे फॉर्म से अलग से किया जाना चाहिए।

11.7 बैंक से प्राप्त अधिसूचना की जांच और आपतियां:

ग्राहक को तुरंत खाते के विवरण, सुरक्षा लेनदेन विवरण, प्रतिभूतियों के विवरण और निवेश आय, अन्य विवरण, आदेशों के निष्पादन की सलाह और क्रेडिट अंतरण, साथ ही अपेक्षित भुगतान और खेप (सलाह) की जानकारी की जांच करनी चाहिए और उनकी शुद्धता और पूर्णता के बारे में मेल करें और इससे संबंधित कोई भी आपत्ति, यदि कोई हो, तुरंत

उठाएं। यदि बैंक को दो सप्ताह की अवधि के भीतर कोई लिखित आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो बैंक के कथनों और सेवाओं को ग्राहक द्वारा सही और अनुमोदित माना जाएगा।

11.8 विवरण प्राप्त न होने की स्थिति में बैंक को सूचना: यदि आवधिक शेष विवरण और सुरक्षा विवरण प्राप्त नहीं होते हैं, तो ग्राहक को तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए। बैंक को सूचित करने का कर्तव्य भी मौजूद है यदि ग्राहक द्वारा अन्य सलाह की अपेक्षा की जाती है (उदाहरण के लिए सुरक्षा लेनदेन विवरण, ग्राहक के आदेश के निष्पादन के बाद खाते के विवरण और क्रेडिट अंतरण या ग्राहक द्वारा अपेक्षित भुगतान)।

11.9 दूरसंचार के साधनों का उपयोग करने में उचित सावधानी और परिश्रम: यदि ग्राहक दूरसंचार के माध्यम से आदेश या अन्य बयान देता है, तो उसे प्रसारण त्रुटियों और दुरुपयोग से बचने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए।

11.10 अनुवाद की आपूर्ति करने का कर्तव्य:

किसी भी विदेशी भाषा के लिखत को किसी स्वीकृत व्यक्ति द्वारा अंग्रेजी अनुवाद में भी बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और यदि बैंक को इसकी आवश्यकता हो तो विधिवत प्रमाणित भी किया जाना चाहिए।

बैंक सेवाओं की लागत

12. ब्याज, शुल्क और जेब से खर्च:

12.1 ब्याज और शुल्क

ग्राहक को बैंक को देय धन पर ब्याज का भुगतान करना होगा और बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर शुल्क का भुगतान ऐसी दरों पर, ऐसे आधार और ऐसे समय पर करना होगा, जिस पर बैंक के साथ लिखित में सहमति हो या इस तरह के लिखित समझौते के अभाव में, जैसा कि समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है।

12.2 अतिदेय राशि पर ब्याज

बैंक अपने विवेक से देय होने पर भुगतान नहीं की गई राशि या पूर्व समझौते के बिना अधिक आहरण राशि पर ब्याज की उच्च दर वसूलने का हकदार होगा और इस तरह के ब्याज को समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

12.3 ब्याज और शुल्क में परिवर्तन

परिवर्तनीय ब्याज दर ऋणों के मामले में, ब्याज दर को संबंधित ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार समायोजित किया जाएगा। सेवाओं के लिए शुल्क जो ग्राहक आमतौर पर स्थायी आधार पर व्यावसायिक संबंध (जैसे खाता/प्रतिभूति खाता प्रबंधन) के ढांचे के भीतर उपयोग करता है, बैंक द्वारा अपने उचित विवेक पर बदला जा सकता है।

12.4 लागत और शुल्क

ग्राहक मांग पर तुरंत बैंक को भुगतान या प्रतिपूर्ति करेगा और बैंक ग्राहक के किसी भी खाते को सभी कमीशनों और अन्य शुल्कों के साथ डेबिट करने का हकदार होगा जो आमतौर पर बैंक द्वारा चार्ज किए जाते हैं चाहे ग्राहक को पहले सूचित किया गया हो या नहीं और अन्य

सभी लागतें, शुल्क और जेब से खर्च और बैंक द्वारा इन सामान्य व्यावसायिक शर्तों, किसी विशेष व्यावसायिक शर्तों या बैंक और ग्राहक के बीच कानूनी खर्च और रोके गए कर (कॉर्पोरेट आयकर को छोड़कर) सहित किसी अन्य समझौते के संबंध में किए गए अन्य खर्च। बैंक व्यक्तिगत राशि निर्दिष्ट किए बिना एकमुश्त आधार पर ऐसे शुल्कों और खर्चों का हकदार होगा, जब तक कि ग्राहक स्पष्ट रूप से अलग-अलग राशियों के मदीकरण की मांग नहीं करता है।

ग्राहक के विरुद्ध बैंक के दावों के लिए सुरक्षा

13. सुरक्षा प्रदान करना या बढ़ाना:

13.1 सुरक्षा का अनुरोध करने का बैंक का अधिकार

बैंक मांग कर सकता है कि ग्राहक बैंकिंग संबंधों से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे के लिए उचित समय के भीतर सुरक्षा के सामान्य रूप प्रदान करें, भले ही ऐसे दावे सशर्त हों या समय के अनुसार सीमित हों या अभी तक देय न हों (उदाहरण के लिए ग्राहक की ओर से जारी गारंटी के तहत भुगतान की गई राशि के लिए क्षतिपूर्ति)। यदि ग्राहक ने बैंक के प्रति किसी अन्य ग्राहक के दायित्वों के लिए दायित्व ग्रहण किया है (उदाहरण के लिए एक जमानत के रूप में), तो, बैंक यह मांग करने का हकदार नहीं है कि ऋण की परिपक्वता से पहले किए गए ऐसे दायित्व के परिणामस्वरूप ऋण के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए या बढ़ाई जाए।

13.2 जोखिम में परिवर्तन

यदि बैंक, ग्राहक के विरुद्ध दावों के निर्माण पर, शुरु में पूरी तरह या आंशिक रूप से मांग करता है कि सुरक्षा प्रदान की जाए या बढ़ाई जाए, तो वह बाद में किसी भी समय ऐसी मांग नहीं कर सकता है, बशर्ते, वे परिस्थितियां हों या बैंक को ज्ञात हो जाता है जो ग्राहक के विरुद्ध दावों के उच्च जोखिम मूल्यांकन को उचित ठहराता है। यह विशेष रूप से मामला हो सकता है यदि (ए) ग्राहक की आर्थिक / वित्तीय स्थिति बदल गई है या नकारात्मक तरीके से बदलने की धमकी दी है या (बी) मौजूदा सुरक्षा का मूल्य खराब हो गया है या बिगड़ने का खतरा है। बैंक को सुरक्षा मांगने का कोई अधिकार नहीं है यदि यह सहमति हो गई है कि ग्राहक को या तो कोई सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है या केवल वही सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए जो निर्दिष्ट की गई है। सभी प्रकार के ऋण समझौतों के लिए, बैंक मांग कर सकता है कि सुरक्षा प्रदान की जाए या बढ़ाई जाए, भले ही ऋण समझौते में सुरक्षा के बारे में कोई संपूर्ण संकेत न हो।

13.3 सुरक्षा प्रदान करने या बढ़ाने के लिए समय अवधि निर्धारित करना:

बैंक सुरक्षा प्रदान करने या बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय देगा। यदि

बैंक इन व्यावसायिक शर्तों के खंड संख्या 20 के अनुसार बिना किसी सूचना के समाप्ति के अपने अधिकार का उपयोग करने का इरादा रखता है, और ग्राहक ऐसी समय अवधि के भीतर सुरक्षा प्रदान करने या

बढ़ाने के दायित्व का पालन करने में विफल रहता है, ऐसा करने से पहले यह ग्राहक का ध्यान इस परिणाम की ओर आकर्षित करेगा।

14. बैंक के पक्ष में ग्रहणाधिकार:

14.1 ग्रहणाधिकार पर समझौता

ग्राहक एतद्वारा पुष्टि करता है कि बैंक उन प्रतिभूतियों और संपत्ति पर ग्रहणाधिकार प्राप्त करेगा, जो बैंकिंग व्यवसाय के दायरे में आते हैं या बैंक के घरेलू कार्यालय के कब्जे में आ सकते हैं। बैंक किसी भी ऐसे दावे पर भी ग्रहणाधिकार प्राप्त करेगा जो ग्राहक के पास है या भविष्य में बैंकिंग संबंधों (जैसे क्रेडिट शेष) से उत्पन्न होने वाले बैंक के खिलाफ हो सकता है। यदि कोई प्रतिभूतियां ग्रहणाधिकार के अधीन हैं, तो ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज और लाभांश का विस्तार होगा।

ग्रहणाधिकार, संयुक्त खातों सहित, व्यापार संबंध के तहत ग्राहक के साथ-साथ बैंक के दावों को सुरक्षित करेगा, भले ही दावे सशर्त हों या समय के अनुसार सीमित हों या अभी तक देय न हों। संयुक्त खातों या प्रतिभूति खातों की संपत्ति पर ग्रहणाधिकार भी केवल एक खाता धारक या प्रतिभूति खाताधारक के साथ व्यापार संबंध के तहत बैंक के दावों को सुरक्षित करेगा।

14.2 ग्रहणाधिकार का अस्तित्व में आना है

बैंक के उस मद पर कब्जा करने पर ग्रहणाधिकार अस्तित्व में आ जाएगा, जैसा कि ऊपर बताए गए दावों की सीमा तक मौजूद है; अन्यथा किसी भी भविष्य के समय में जब ऐसे दावे उत्पन्न होते हैं।

14.3 सुरक्षित दावे

ग्रहणाधिकार बैंकिंग संबंधों से उत्पन्न होने वाले सभी मौजूदा, भविष्य और आकस्मिक दावों को सुरक्षित करने का कार्य करता है, जिसे बैंक अपने सभी घरेलू और विदेशी कार्यालयों के साथ ग्राहक के खिलाफ रखने का हकदार है। यदि ग्राहक ने बैंक के प्रति किसी अन्य ग्राहक के दायित्व के लिए दायित्व ग्रहण किया है (उदाहरण के लिए एक जमानत के रूप में), तो ग्रहणाधिकार ऋण की परिपक्वता से पहले किए गए दायित्व से उत्पन्न ऋण को सुरक्षित नहीं करेगा।

14.4 ग्रहणाधिकार से छूट

यदि निधि या अन्य संपत्तियां रिजर्व के तहत बैंक के निपटान की शक्ति में आती हैं कि उनका उपयोग केवल एक विशिष्ट उद्देश्य (जैसे विनिमय के बिल के भुगतान के लिए नकद जमा करना) के लिए किया जा सकता है, तो बैंक का ग्रहणाधिकार इन परिसंपत्तियों पर लागू नहीं होता है।

हालांकि, यह तभी तक लागू होगा जब तक आरक्षण प्रभावी है। यही बात बैंक द्वारा जारी किए गए शेयरों (स्वयं के शेयरों) और उन प्रतिभूतियों पर भी लागू होती है जिन्हें बैंक ग्राहक के खाते के लिए विदेश में सुरक्षित अभिरक्षा में रखता है। इसके अलावा, ग्रहणाधिकार न तो बैंक द्वारा जारी

किए गए लाभ-भागीदारी अधिकारों/लाभ-भागीदारी प्रमाणपत्रों तक और न ही दस्तावेज़ द्वारा पुष्ट या अपुष्ट बैंक के अधीनस्थ दायित्वों के लिए विस्तारित है।

14.5 ब्याज और लाभांश वारंट

यदि प्रतिभूतियां बैंक के ग्रहणाधिकार के अधीन हैं, तो ग्राहक ऐसी प्रतिभूतियों से संबंधित ब्याज और लाभांश वारंट की सुपुर्दगी की मांग करने का हकदार नहीं है।

15. संग्रहण के लिए मर्दों और विनिमय के रियायती बिलों के मामले में सुरक्षा हित:

15.1 सुरक्षा के माध्यम से स्वामित्व का अंतरण:

बैंक ऐसी वस्तुओं को जमा करने के समय संग्रह के लिए जमा किए गए किसी भी चेक और विनिमय के बिलों की सुरक्षा के माध्यम से स्वामित्व प्राप्त करता है। बैंक ऐसी वस्तुओं की खरीद के समय विनिमय के रियायती बिलों का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करता है; यदि यह खाते में छूट वाले विनिमय बिलों को फिर से डेबिट करता है, तो यह विनिमय के ऐसे बिलों में सुरक्षा के रूप में स्वामित्व को बरकरार रखता है।

15.2 सुरक्षा के माध्यम से समनुदेशन:

चेक और विनिमय के बिलों में अंतर्निहित दावे चेक और विनिमय के बिलों में स्वामित्व के अधिग्रहण के साथ-साथ बैंक को पास होंगे; यदि अन्य वस्तुओं को संग्रह के लिए जमा किया जाता है (जैसे प्रत्यक्ष डेबिट, वाणिज्यिक व्यापार के दस्तावेज) तो दावे भी बैंक के पास जाते हैं।

15.3 संग्रह के लिए विशेष प्रयोजन की वस्तुएं

यदि संग्रह के लिए वस्तुओं को रिजर्व के तहत बैंक के पास जमा किया जाता है कि उनके काउंटर मूल्य का उपयोग केवल एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, तो सुरक्षा के माध्यम से स्वामित्व का अंतरण या समनुदेशन इन वस्तुओं तक नहीं होता है।

15.4 बैंक के सुरक्षित दावे

सुरक्षा द्वारा अंतरित या सौंपा गया स्वामित्व किसी भी दावे को सुरक्षित करने के लिए कार्य करता है जिसके लिए बैंक ग्राहक के चालू खाते से उत्पन्न होने वाले ग्राहक के लिए हकदार हो सकता है जब वस्तुओं को संग्रह के लिए जमा किया जाता है या संग्रह के लिए अदत वस्तुओं के पुनः डेबिट या विनिमय के रियायती बिलों के

परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। ग्राहक के अनुरोध पर, बैंक ऐसी वस्तुओं की सुरक्षा और उस पर किए गए दावों की सुरक्षा के माध्यम से ग्राहक को स्वामित्व पुनः अंतरित करता है, यदि इस तरह के अनुरोध के समय, ग्राहक के खिलाफ कोई दावा नहीं करता है जिसे

सुरक्षित करने की आवश्यकता है या यदि यह ग्राहक को उनके अंतिम भुगतान से पहले ऐसी वस्तुओं के काउंटर वैल्यू का निपटान करने की अनुमति नहीं देता है।

16. सुरक्षा के दावे की सीमा:

16.1 सुरक्षा सीमा

बैंक मांग कर सकता है कि सुरक्षा प्रदान की जाए या तब तक बढ़ाई जाए जब तक कि सभी सुरक्षा का वसूली योग्य मूल्य बैंकिंग व्यापार संबंधों (सुरक्षा सीमा) से उत्पन्न होने वाले सभी दावों की कुल राशि के अनुरूप न हो।

16.2 विशेष समझौते

यदि वसूली योग्य मूल्य या अन्य सुरक्षा सीमा के अलावा किसी विशिष्ट सुरक्षा मद के लिए मूल्यांकन मानदंड पर सहमति व्यक्त की गई है, तो ये अन्य मानदंड या सीमाएं लागू होंगी।

17. सुरक्षा की प्राप्ति

यदि ग्राहक किसी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है या चूकता है या नकद कवर या सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे ग्राहक द्वारा बैंक के लिए कोई आकस्मिक या अन्य दायित्व वास्तव में परिपक्व हुआ हो या नहीं, बैंक किसी भी व्यक्ति को भुगतान या नोटिस की मांग के बिना, डॉयचे बैंक एजी के अपने या किसी कार्यालय/शाखा में ग्राहक की किसी भी संपत्ति को इस तरह और ऐसी शर्तों पर बेच सकता है, वसूल कर सकता है या अन्यथा उसका निपटान कर सकता है, जैसा कि बैंक अपने पूर्ण विवेक से सोच सकता है। बिक्री या निपटान की पूर्वोक्त शक्ति का प्रयोग करने में होने वाली किसी भी हानि के लिए न तो बैंक और न ही उसका कोई एजेंट जिम्मेदार होगा, और बैंक ऐसी बिक्री या निपटान के संबंध में बैंक द्वारा नियोजित किसी दलाल, नीलामकर्ता, एजेंट या अन्य व्यक्ति के कार्यों या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। किसी भी बिक्री या निपटान की शुद्ध आय, उसके संबंध में सभी खर्चों, शुल्कों और अन्य संवितरणों के भुगतान के बाद और किसी भी पूर्व दावों को ग्राहक द्वारा बैंक को देय या देय राशि के भुगतान के लिए लागू किया जाएगा। बैंक के किसी भी अधिकारी द्वारा दिया गया यह विवरण कि बिक्री या निपटान की शक्ति प्रयोग योग्य हो गई है, ऐसे तथ्य का निर्णायक सबूत होगा और ग्राहक इस पर विवाद करने का हकदार नहीं होगा।

18. सेटिंग-ऑफ

18.1 बैंक, बैंक की तुलना में ग्राहक की सभी देनदारियों के प्रति ग्राहक के सभी दावों को समायोजित करने का हकदार होगा, विशेष रूप से एक खाताधारक की तुलना में बैंक के दावों के विरुद्ध संयुक्त खातों में जमा

शेष राशि।

18.2 सेट ऑफ करने के मौजूदा अधिकार के बावजूद, बैंक चालू खातों पर क्रेडिट शेष के संबंध में तीसरे पक्ष के पक्ष में ग्राहक का निपटान करेगा, जब तक कि ग्राहक को एक सेटिंग ऑफ स्टेटमेंट प्राप्त नहीं हुआ है।

समापन

19. ग्राहक के समाप्ति अधिकार:

19.1 किसी भी समय समाप्ति का अधिकार

जब तक कि बैंक और ग्राहक अन्यथा किसी शर्त या समाप्ति प्रावधान के लिए सहमत न हों, ग्राहक किसी भी समय, बिना किसी नोटिस अवधि के, संपूर्ण या विशेष व्यावसायिक संबंधों (जैसे चेक का उपयोग) के रूप में व्यावसायिक संबंध समाप्त कर सकता है।

19.2 उचित कारण के लिए समाप्ति

यदि बैंक और ग्राहक ने किसी विशेष व्यावसायिक संबंध के लिए एक शर्त या इसके विपरीत प्रावधान पर सहमति व्यक्त की है, तो ऐसा संबंध ग्राहक द्वारा बैंक के उस शाखा कार्यालय को लिखित में उचित सूचना देने के बाद समाप्त किया जा सकता है जो उसका खाता रखता है, यदि इसका कोई उचित कारण है जो बैंक की वैध चिंताओं पर विचार करने के बाद, व्यापार संबंध जारी रखने के लिए ग्राहक को अस्वीकार्य बनाता है।

20. बैंक के समाप्ति अधिकार:

20.1 सूचना के बिना समाप्ति- जब कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं है

जब तक बैंक और ग्राहक अन्यथा किसी शर्त या समाप्ति प्रावधान के लिए सहमत नहीं होते हैं, बैंक किसी भी समय संपूर्ण या विशेष व्यावसायिक संबंधों (जैसे चेक का उपयोग) के रूप में व्यावसायिक संबंध समाप्त कर सकता है।

20.2 नोटिस पर समाप्ति-जहां कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं है

एक उचित नोटिस अवधि का पालन करने पर, बैंक किसी भी समय व्यापार संबंध को संपूर्ण या विशेष संबंधों के रूप में समाप्त कर सकता है, जिसके लिए न तो कोई शर्त और न ही समाप्ति प्रावधान पर सहमति हुई है (उदाहरण के लिए चेक फॉर्म के उपयोग को अधिकृत करने वाला समझौता)। सूचना की अवधि निर्धारित करने में, बैंक ग्राहक की वैध चिंताओं को ध्यान में रखेगा।

20.3 बिना किसी निश्चित अवधि के ऋणों की समाप्ति

ऋण और ऋण प्रतिबद्धताएं जिसके लिए न तो एक निश्चित अवधि और न ही समाप्ति प्रावधान पर सहमति व्यक्त की गई है, इस अधिकार का प्रयोग करते समय बैंक द्वारा किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

20.4 उचित कारण के लिए समाप्ति

बैंक किसी भी समय तत्काल प्रभाव से और बिना किसी नोटिस अवधि के

पूरे व्यापारिक संबंध या उसके अलग-अलग हिस्सों को समाप्त करने का हकदार होगा, इसके विपरीत किसी भी समझौते के बावजूद उल्लिखित कारणों से;

- यदि ग्राहक ने अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में गलत विवरण दिया है, बशर्ते ऐसे विवरण बैंक के लिए ऋण प्रदान करने या बैंक के लिए जोखिम (जैसे डेबिट कार्ड की सुपुर्दगी) वाले अन्य कार्यों से संबंधित निर्णय के लिए महत्वपूर्ण महत्व के थे; या
- यदि ग्राहक की वित्तीय स्थिति या सुरक्षा के मूल्य में पर्याप्त गिरावट आती है या आने का खतरा होता है, तो ऋण की अदायगी या बैंक के प्रति किसी अन्य दायित्व का निर्वहन खतरे में पड़ जाता है, भले ही सुरक्षा प्रदान की गई हो; या
- यदि ग्राहक इन व्यावसायिक शर्तों की संख्या 13 या किसी अन्य समझौते के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा प्रदान करने या बढ़ाने के दायित्व के साथ, बैंक द्वारा अनुमत आवश्यक समय अवधि के भीतर अनुपालन करने में विफल रहता है;
- यदि संविदात्मक दायित्व के उल्लंघन के कारण, ग्राहक द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए निर्धारित उचित अवधि की समाप्ति के बाद या ग्राहक को चेतावनी के असफल होने के बाद ही समाप्ति की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि किसी विशेष मामले की विशेष विशेषताओं के कारण इस प्रावधान को समाप्त नहीं किया जा सकता है;
- ग्राहक द्वारा देय होने पर, उसके द्वारा किए जाने के लिए आवश्यक कोई भुगतान करने में विफलता, और यदि ग्राहक को ऐसी विफलता की सूचना दिए जाने के दो सप्ताह बाद या उससे पहले ऐसी विफलता का उपचार नहीं किया जाता है;
- अपने स्वैच्छिक समापन या परिसमापन (एक समेकन, समामेलन या विलय के अनुसरण के अलावा) के लिए एक संकल्प पारित करने वाला ग्राहक;
- ग्राहक दिवालिया हो रहा हो या अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो या असफल हो जाता हो या अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता को लिखित रूप में स्वीकार करता हो क्योंकि वे देय हो जाते हैं;
- अपने लेनदारों के साथ या उनके लाभ के लिए एक सामान्य समनुदेशन व्यवस्था या संरचना करने वाला ग्राहक;
- यहां उल्लिखित दायित्वों का पालन न करना या यहां उल्लिखित किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन;
- ग्राहक ने इसके खिलाफ दिवालियेपन या दिवाला कानून या लेनदार के अधिकारों को प्रभावित करने वाले अन्य समान कानून के तहत किसी अन्य राहत की मांग करने वाली कार्यवाही की स्थापना की हो, या इसके समापन या परिसमापन के लिए एक याचिका प्रस्तुत की हो, और, ऐसी किसी कार्यवाही या याचिका के मामले में उसके खिलाफ ऐसी कार्यवाही या याचिका स्थापित या प्रस्तुत की गई हो;
- यदि दिवाला या दिवालियेपन का निर्णय या राहत के लिए एक

आदेश की प्रविष्टि या इसके समापन या परिसमापन के लिए एक आदेश का परिणाम होता है; या

— संस्था या उसके प्रस्तुतीकरण के 30 दिनों के भीतर प्रत्येक मामले में बर्खास्त, छुट्टी, रोक या प्रतिबंधित नहीं किया गया है;

— इसके लिए एक प्रशासक, अनंतिम परिसमापक, रिसेवर, ट्रस्टी, संरक्षक या अन्य समान अधिकारी या सभी की नियुक्ति या काफी हद तक इसकी सभी संपत्तियों में मांग करना या उसके अधीन हो जाना

— एक सुरक्षित पार्टी ग्राहक की सभी या काफी हद तक सभी संपत्तियों पर कब्जा कर रही है या ग्राहक की सभी या काफी हद तक सभी संपत्तियों पर या उसके खिलाफ एक संकट, निष्पादन, कुर्की या अन्य कानूनी प्रक्रिया लागू, लागू या मुकदमा किया गया है और और ऐसा सुरक्षित पक्ष कब्जा रखता है, या ऐसी किसी भी प्रक्रिया को उसके बाद 30 दिनों के भीतर प्रत्येक मामले में खारिज, बर्खास्त, रोक या प्रतिबंधित नहीं किया जाता है;

— इसके अलावा, बैंक किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी ऑनलाइन सेवाओं में ग्राहक की पहुंच को बाधित करने, निलंबित करने या समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और बिना कोई कारण बताए और ग्राहक को किसी भी प्रकार की हानि/क्षति/लागत के लिए उत्तरदायी होने के बिना ग्राहक को इसकी उचित सूचना देने का सर्वोत्तम प्रयास करेगा।

21. किसी भी पार्टी द्वारा समाप्ति

निम्नलिखित में से किसी भी घटना में किसी भी समय एक डिफॉल्ट का गठन होता है और व्यावसायिक संबंधों को प्रभावित पक्ष द्वारा तुरंत समाप्त किया जा सकता है। अन्य पक्ष द्वारा यहां निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के तहत किसी भी दायित्व का पालन करने या निष्पादित करने में विफलता और यदि ऐसी विफलता की सूचना पार्टी को दी जाने के तीसरे दिन से पहले या उससे पहले इस तरह की विफलता का उपचार नहीं किया जाता है। दूसरे पक्ष द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व किसी भी भौतिक संबंध में गलत या भ्रामक साबित होता है जब इसे बनाया या समझा जाता है।

22. कानूनी परिणाम:

22.1 संपूर्ण व्यावसायिक संबंध या उसके अलग-अलग हिस्सों को समाप्त करने पर उसके तहत बकाया सभी राशि तुरंत ग्राहक द्वारा बैंक को पूर्ण रूप से देय हो जाएगी। बैंक, अपने विवेकाधिकार पर, ग्राहक को खातों के निपटान के लिए एक उचित समय अवधि की अनुमति दे सकता है, जब तक कि इसमें तुरंत उपस्थित होना आवश्यक न हो, (उदाहरण के लिए किसी सुविधा की समाप्ति या खाता बंद होने की स्थिति में चेक फॉर्म की वापसी)। इसके अलावा, बैंक ग्राहक की ओर से उसके द्वारा ग्रहण की गई सभी देनदारियों से स्वतः मुक्त हो जाएगा।

22.2 इसके अलावा, बैंक ग्राहक की ओर से सभी देनदारियों को निपटाने के साथ-साथ वसूली के अधीन जमा की गई राशि को तुरंत फिर से डेबिट करने का हकदार होगा। प्रतिभूतियों से उत्पन्न होने वाले दावे, विशेष रूप से विनिमय या चेक के बिलों में, जब तक संभावित डेबिट शेष, यदि कोई हो, को कवर नहीं किया जाता है, तब तक बैंक द्वारा दावा किया जा सकता है।

22.3 बैंक ऐसी समाप्ति की तारीख तक देय सभी शुल्क और अन्य धन प्राप्त करने का हकदार होगा। बैंक किसी भी राशि में से देय किसी भी राशि की कटौती करने का हकदार होगा, जिसे बैंक को सेवा समाप्त होने पर ग्राहक को भेजना पड़ सकता है।

22.4 ये सामान्य व्यावसायिक शर्तें व्यापार संबंध समाप्त होने के बाद भी खातों के पूर्ण निपटान तक लागू होती रहेंगी।

जमा धनराशि की सुरक्षा

23. जमा सुरक्षा कोष:

23.1 सुरक्षा का दायरा

बैंक जर्मन बैंकों के संघ (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.)के जमा संरक्षण कोष का सदस्य है, जिसे इसके बाद "जमा संरक्षण कोष" कहा जाने लगा। जमा सुरक्षा कोष उन सभी देनदारियों की सुरक्षा करता है जिन्हें तुलन पात्र मद "ग्राहकों के लिए देयता" में दिखाया जाना आवश्यक है। इनमें पंजीकृत बचत प्रमाणपत्र सहित मांग, सावधि और बचत जमा शामिल हैं। प्रत्येक लेनदार के लिए सुरक्षा सीमा जमा सुरक्षा के लिए प्रासंगिक उत्तरदायी पूंजी का 30% है। यह इंटरनेट पर www.bdb.de पर उपलब्ध है।

23.2 जमा सुरक्षा से छूट

वे दावे जिनके संबंध में बैंक ने वाहक लिखत जारी किए हैं, (जैसे जमाकर्ता बांड और जमाकर्ता प्रमाणपत्र), साथ ही साथ बैंकों की देनदारियां सुरक्षित नहीं हैं।

23.3 जमा सुरक्षा कोष के उपनियमों की अतिरिक्त वैधता

सुरक्षा के दायरे का और विवरण जमा सुरक्षा कोष के उप-नियमों की धारा 6 में निहित है, जो अनुरोध पर उपलब्ध हैं।

23.4 दावों का अंतरण

जिस सीमा तक जमा सुरक्षा कोष या उसका प्रतिनिधि ग्राहक को भुगतान करता है, बैंक के खिलाफ ग्राहक के दावों की संबंधित राशि सभी सहायक अधिकारों के साथ जमा सुरक्षा कोष में एक साथ अंतरित की जाएगी।

23.5 जानकारी के प्रकटीकरण

बैंक जमा सुरक्षा कोष या उसके प्रतिनिधि को सभी प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करने और उनके निपटान में आवश्यक दस्तावेज रखने का हकदार होगा।

24. विविध

24.1 विवेक

ग्राहक यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतेगा कि किसी भी खाते और/या लेनदेन से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी (जैसे उसके हस्ताक्षर) और दस्तावेज (जैसे चेक), उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड/पिन नंबर ठीक से रखे और संरक्षित हैं, ताकि उनका उपयोग किसी अन्य पार्टी द्वारा किसी अनधिकृत उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सके। यदि ग्राहक अपने खाते, सूचना या दस्तावेज के किसी अनधिकृत उपयोग के बारे में जानता है या संदेह करता है, तो ग्राहक को तुरंत बैंक को सूचित करना होगा, जैसा कि बैंक को इन व्यावसायिक शर्तों के संबंध में उचित रूप से आवश्यकता हो सकती है। यदि जाली हस्ताक्षर या लिखतों के अन्य भागों में परिवर्तन के कारण विनिमय के बिल बैंक से डेबिट किए जाते हैं, तो बैंक ग्राहक को डेबिट कर सकता है।

25. क्षतिपूर्ति

ग्राहक एतद्वारा बैंक को सभी दावों, मांगों, मुकदमों, कार्यों, क्षतियों, देनदारियों, लागतों, हानियों, शुल्कों, खर्चों और अन्य राशियों के लिए क्षतिपूर्ति करता है जो ग्राहक को क्रेडिट देने या अन्य बैंकिंग सुविधाओं से उत्पन्न होने या किसी भी बैंकिंग सेवा के प्रदर्शन से उत्पन्न होती हैं, और बैंक द्वारा खर्च किए गए किसी भी ऐसे भुगतान की मांग पर तुरंत बैंक को प्रतिपूर्ति करेगा, सिवाय इसके कि बैंक लापरवाही, धोखाधड़ी या जानबूझकर कदाचार का दोषी है।

26. ऋणग्रस्तता का विवरण

ग्राहक द्वारा बैंक को देय राशियों और देनदारियों (उसकी मुद्राओं सहित) के बारे में या किसी भी लेन-देन से संबंधित किसी भी मामले के रूप में बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए ऋणग्रस्तता का विवरण, किसी भी प्रकट त्रुटि या चूक के अभाव में, ग्राहक के खिलाफ निर्णायक और बाध्यकारी होगा।

27. मुद्रा क्षतिपूर्ति

यदि बैंक को ग्राहक द्वारा देय किसी राशि का भुगतान प्राप्त होता है और ऐसा भुगतान उस मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में है जिसमें ऐसी राशि बैंक ("मुद्रा खाता") को देय है, तो बैंक किसी भी समय अपने विवेकाधिकार पर और ग्राहक को बिना किसी सूचना के, ऐसे भुगतान को ऐसी अवधि और रूपांतरण की दर पर खाते की मुद्रा में परिवर्तित करने का हकदार होगा, जिसके परिणामस्वरूप बैंक किसी भी समय प्रभावित हो सकता है। बैंक को

कोई भी भुगतान (चाहे किसी निर्णय या न्यायालय के आदेश के अनुसरण में या अन्यथा) उस राशि का निर्वहन नहीं करेगा जिसके संबंध में यह किया गया था जब तक कि बैंक को मुद्रा खाते में पूर्ण भुगतान प्राप्त नहीं हो जाता। यदि ऐसा भुगतान खाते की मुद्रा में व्यक्त की गई राशि से कम हो जाता है, तो बैंक के पास ग्राहक के खिलाफ कमी की वसूली के लिए एक अलग कारण होगा।

28. सूचनाएँ

बैंक अपने विवेक पर बैंक के रिकॉर्ड में उपलब्ध ग्राहक के अंतिम ज्ञात पते पर साधारण डाक, टेलेक्स या फैंक्स द्वारा ग्राहक को कोई नोटिस, पत्राचार, लिखत या दस्तावेज भेजने का हकदार है और इस तरह के किसी भी संचार को ग्राहक द्वारा डाक के दो दिन बाद (यदि स्थानीय हो), पांच दिन बाद (यदि विदेश में), प्रसारण के समय (यदि टेलेक्स या फैंक्स द्वारा), या डिलीवरी पर (यदि हाथ द्वारा) प्राप्त किया गया माना जाएगा।

29. अधिक आहरित राशि

बैंक अपने विवेक पर (ऐसा करने के लिए बाध्य हुए बिना) किसी भी भुगतान दायित्वों को पूरा करने या किसी भी निर्देश को पूरा करने के उद्देश्य से ग्राहक को ऋण प्रदान कर सकता है, वित्तीय आवास या अग्रिम धन प्रदान कर सकता है, जिस स्थिति में उसके अनुसरण में उत्पन्न होने वाली कोई भी देनदारी (i) यदि बैंक की मांग पर ग्राहक द्वारा तत्काल चुकाई जाएगी (जब तक कि बैंक द्वारा लिखित रूप में अन्यथा सहमति न दी जाए) और (ii) ऐसी पारस्परिक रूप से सहमत दर पर ब्याज वहन करेगी (या इस तरह के समझौते के अभाव में, ऐसी दर पर जैसा कि बैंक अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसार उचित रूप से निर्धारित कर सकता है)।

30. दस्तावेज़

यदि बैंक को कोई दस्तावेज प्राप्त करना या देना है, तो वह उचित सावधानी से उनकी जांच करेगा। बैंक किसी भी दस्तावेज़ पर भरोसा कर सकता है जो बैंक को प्रथम दृष्टया में ठीक लगता है और बैंक दस्तावेजों की वास्तविकता, वैधता, प्रभावशीलता, उपयुक्तता या पूर्णता के लिए जिम्मेदार नहीं है, न ही उनकी सामग्री व्याख्या या अनुवाद के लिए, न ही इस दस्तावेज़ में उल्लिखित किसी भी सामान की प्रकृति, मात्रा या स्थिति के लिए जिम्मेदार होगा।

31. बाजार घाटा

जब तक इसके विपरीत स्पष्ट रूप से लिखित रूप में समझौता नहीं किया जाता है, तब तक बैंक इन सामान्य व्यावसायिक शर्तों में उल्लिखित कार्यों के अलावा कोई अन्य प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। विशेष रूप से, बैंक किसी भी नुकसान के बारे में ग्राहक को सूचित करने का कार्य नहीं करता है, जो बाजार के उद्धरणों में परिवर्तन, या जमा की गई वस्तुओं या प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी के कारण हो सकता है, या किसी भी परिस्थिति में जो उन वस्तुओं के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है या अन्यथा खराब कर सकता है।

32. ब्याज की हानि

यदि आदेशों के निष्पादन के संबंध में देरी या चूक के कारण या उसके संबंध में किसी भी सलाह के कारण कोई नुकसान होता है, तो नुकसान वास्तव में ग्राहक द्वारा वहन किया जाता है, बैंक केवल ब्याज की हानि के लिए उत्तरदायी होगा, जब तक कि विशेष मामले में, बैंक ने आदेश या सलाह से यह नहीं देखा है कि नुकसान ब्याज की हानि से अधिक हो सकता है।

33. प्रतिभूति का रखरखाव

बैंक के पक्ष में सुरक्षित किसी भी वास्तु, संपत्ति या अधिकारों के रखरखाव और सुरक्षा को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में देखना और साथ ही संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में बैंक के पक्ष में सुरक्षित किसी भी दावे या परिवर्तन और वार्षिकी के संग्रह को देखना और बैंक को उचित रूप से सलाह देना स्वयं ग्राहक का कर्तव्य है,

34. कानूनी हैसियत

ग्राहक बैंक द्वारा वहन किए गए नुकसान के लिए बैंक को प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा कि बैंक बिना किसी गलती या निष्क्रियता के, ग्राहक या उसके प्रतिनिधियों की कानूनी क्षमता पर किसी भी प्रतिबंध का ज्ञान प्राप्त नहीं करता है।

35. प्रतिभूतियों में लेनदेन

जहां एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों या ओवर-द-काउंटर बाजार में प्रतिभूतियों का लेन-देन किया जाता है, वहां विपरीत निर्देशों के अभाव में बैंक ऐसे आदेशों के निष्पादन के स्थान का चयन करेगा।

36. स्वामित्व और बौद्धिक संपदा अधिकार

स्टेशनरी और बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लोगो, स्लोगन और सेवा चिह्न, बैंक या संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार मालिकों के पंजीकृत और अपंजीकृत बौद्धिक संपदा अधिकार हैं। इसमें निहित किसी भी चीज को बैंक की लिखित अनुमति के बिना या ऐसे तीसरे पक्ष की लिखित अनुमति के बिना बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किसी भी बौद्धिक संपदा का उपयोग करने का कोई लाइसेंस या अधिकार प्रदान करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, जो बौद्धिक संपदा का मालिक हो सकता है। बैंक न तो वारंट करता है और न ही प्रतिनिधित्व करता है कि ग्राहक द्वारा बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित सामग्री का उपयोग पेटेंट, कॉपीराइट या किसी बौद्धिक संपदा अधिकार या तीसरे पक्ष के किसी भी अन्य अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा जो बैंक के स्वामित्व या संबद्ध नहीं है। बैंक ग्राहक को बैंक की वेबसाइट तक पहुंचने और इन शर्तों के साथ-साथ विशेष व्यावसायिक शर्तों के अनुसार विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार देता है। ग्राहक स्वीकार करता है कि टेक्स्ट, सामग्री, फोटो, वीडियो, ऑडियो और ग्राफिक्स सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, या तो बैंक और/या सामग्री प्रदाताओं द्वारा अनुमति के साथ उपयोग की जाती है, या लागू कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सेवा चिह्न, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और अन्य स्वामित्व अधिकार और/या भारत और अन्य देशों के कानून, और नियम व शर्तों द्वारा संरक्षित हो सकती है।

37. अधिकारों की छूट नहीं

इन सामान्य व्यावसायिक शर्तों के संबंध में किसी भी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का प्रयोग करने में विफलता या देरी को छूट के रूप में संचालित करने के लिए नहीं माना जाएगा, और किसी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का एक या आंशिक प्रयोग, उस अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार

या किसी अन्य अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार के किसी भी अनुवर्ती या आगे के प्रयोग को रोकने के लिए नहीं माना जाएगा।

38. विच्छेदनीयता

यदि इन सामान्य व्यावसायिक शर्तों के किसी प्रावधान या शर्त को किसी कानून, नियम, प्रशासनिक आदेश या किसी न्यायालय, या नियामक या स्व-नियामक एजेंसी या निकाय के न्यायिक निर्णय के कारण अमान्य या अप्रवर्तनीय माना जाएगा, तो ऐसी अमान्यता या अप्रवर्तनीयता केवल ऐसे प्रावधान या शर्त के साथ संलग्न करें।

शेष प्रावधानों और शर्तों की वैधता इससे प्रभावित नहीं होगी और इन सामान्य व्यावसायिक शर्तों को इस तरह पूरा किया जाएगा जैसे कि ऐसा कोई अमान्य या अप्रवर्तनीय प्रावधान या शर्त यहां निहित नहीं थी।

39. शीर्षक

इन नियमों और शर्तों में खंड शीर्षक केवल सुविधा के लिए हैं और संबंधित शब्द के अर्थ को प्रभावित नहीं करते हैं।

सामान्य व्यापार शर्तों के लिए अनुबंध

सामान्य व्यावसायिक शर्तों का यह अनुबंध ग्राहक और बैंक के बीच सहमत सामान्य व्यावसायिक शर्तों का हिस्सा है। नियमों और शर्तों को शामिल करने के मामले में इस अनुबंध के नियम और शर्त प्रासंगिक होंगी। शर्तें बैंक शाखाओं में उपलब्ध होंगी।

1. परिभाषाएं

1.1 "बैंक" का अर्थ डॉयचे बैंक एजी और उसकी शाखाओं से होगा और इसमें तब तक शामिल है जब तक कि यह इसके अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों, ठेकेदारों, सलाहकारों, प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारी, सामग्री प्रदाताओं और ऐसे किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं के संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, जो संबद्ध हैं या किसी भी खाते या सेवाओं के प्रावधान या किसी अन्य बैंक संचालन के संबंध में किसी भी उद्देश्य के लिए बैंक से जुड़ा हुआ है, सिवाय इसके कि बैंक ने स्वयं ऐसे किसी व्यक्ति या संस्था को यहां से बाहर रखा है।

1.2 "शुल्क" का अर्थ ग्राहक पर किसी भी खाते और/या सेवाओं और/या अन्यथा के संबंध में बैंक या किसी कानून द्वारा लगाए गए सभी शुल्क, फीस, ब्याज, लागत और सेवा कर से है।

- 1.3 "संवाददाता बैंक" का अर्थ है अन्य बैंक जो घरेलू और सीमा पार दोनों स्तरों पर बैंक तक फैले हुए हैं, कुछ सुविधाएं जिनमें नोस्ट्रो खाते का रख-रखाव, ऋण की सीमा का विस्तार, व्यापार वित्त गतिविधियों के उपक्रम को सुगम बनाना और निकासी और संग्रह गतिविधि का विस्तार करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- 1.4 "ग्राहक" उस व्यक्ति या व्यक्ति को संदर्भित करता है (i) जिसके नाम पर बैंक में खाते मौजूद हैं, जो अभी/भविष्य में कभी भी खोले (बदले गए) हो सकते हैं; (ii) जिन्हें सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं; (iii) कार्डधारक, जहां भी लागू हो, और इसमें एकवचन और बहुवचन दोनों शामिल हैं, संयुक्त खाताधारकों के संदर्भ के लिए, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से। "ग्राहक" शब्द में न्यायिक व्यक्ति, साझेदारी फर्म, व्यक्तियों का संघ, एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार), कंपनी, सहकारी समिति, चैरिटेबल सोसाइटी या ट्रस्ट, जिसमें एक सरकार या राजनीतिक उपखंड या एक एजेंसी या साधन शामिल है, जिसका बैंक के साथ खाता है। सुविधा के लिए ग्राहक को मर्दाना लिंग में संदर्भित किया जा रहा है।
- 1.5 "फेमा" का अर्थ है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999।
- 1.6 "अप्रत्याशित घटना" में आकस्मिक घटना, आग, माल, तूफान, विस्फोट, भूकंप या भगवान के किसी भी अन्य कार्य, सरकार / अर्ध-सरकारी / स्थानीय प्राधिकरण के किसी भी कार्य शामिल हैं, इसमें बैंक के व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कानून, फरमान, अध्यादेश और सरकारी नियम, नागरिक अशांति, युद्ध, युद्ध जैसी स्थितियां, दंगे और विद्रोह, सार्वजनिक शत्रु के कार्य, हड़ताल और तालाबंदी, परिवहन ठहराव या मंदी शामिल हैं।
- 1.7 "इंटरनेट" कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के एक नेटवर्क को संदर्भित करता है जो सूचनाओं को साझा और आदान-प्रदान करता है और एक विश्वव्यापी प्रसारण क्षमता है, सूचना प्रसार के लिए एक तंत्र है, भौगोलिक स्थिति के संबंध में व्यक्तियों और उनके कंप्यूटरों के बीच सहयोग और बातचीत के लिए एक माध्यम है।
- 1.8 "मेलिंग एड्रेस" बैंक के साथ दर्ज ग्राहक का पता है (या ग्राहक द्वारा बैंक के रिकॉर्ड में समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित तरीके से बदला गया), जिस पते पर सभी पत्राचार भेजे जाने हैं।
- 1.9 "पंजीकृत पता" खाता खोलने के समय ग्राहक द्वारा बैंक को प्रदान किए गए डाक पते के अलावा कोई भी पता है और जैसा कि बैंक द्वारा निर्धारित तरीके से समय-समय पर बैंक के रिकॉर्ड में बदला जाता है।
- 1.10 "RBI" का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक है।

1.11 "इंटरनेट बैंकिंग धोखाधड़ी बीमा" का तात्पर्य बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से ग्राहक के खाते में धोखाधड़ी के लेनदेन के संबंध में बैंक द्वारा ग्राहक को बीमा प्रदान करने की अतिरिक्त सेवा से है, जो यहां खंड में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है।

1.12 "तकनीकी खराबी" में नियमित रखरखाव आवश्यकताओं, अधिक मांग, बिजली और बिजली की विफलता, कंप्यूटर त्रुटियों, प्रोग्रामिंग त्रुटियों, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर त्रुटियों, कंप्यूटर ब्रेकडाउन, इंटरनेट या नेटवर्क विफलता, दूरसंचार नेटवर्क में खराबी, गैर-इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता, बैंक के सर्वर और ग्राहक के कंप्यूटर नेटवर्क के बीच संचार समस्याएं, बैंक के सर्वर या वेबसाइट को बंद करना, संचार लिंक की अनुपलब्धता, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का भ्रष्टाचार, सेवा प्रदाताओं के बुनियादी ढांचे और दूरसंचार नेटवर्क में खराबी, अन्य प्रौद्योगिकी संबंधी खराबी के कारण; प्राकृतिक आपदा, खाद्य पदार्थ, आग और अन्य प्राकृतिक आपदाएं, कानूनी प्रतिबंध या कोई अन्य समस्या या बैंक के नियंत्रण से परे कठिनाई सहित किसी भी कारण से कोई समस्या और कठिनाइयां शामिल हैं।

1.13 "शर्त" का अर्थ होगा शर्त जो अभी मौजूद हो सकती हैं और जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

1.14 "वेबसाइट" का अर्थ बैंक की वेबसाइट से है।

2. अभिस्वीकृति

ग्राहक स्वीकार करता है कि उसने इन शर्तों को पढ़ लिया है, उन पर पुर्नावलोकन कर लिया है और समझ लिया है। ग्राहक बिना किसी शर्त के सभी शर्तों और फेमा सहित सभी लागू कानूनों, आरबीआई या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण के नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए सहमत होता है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है। ग्राहक यह भी स्वीकार करता है कि ग्राहक को दिया गया खाता या सेवाएं किसी भी परिस्थिति में किसी तीसरे पक्ष को सौंपे जाने योग्य/हस्तांतरणीय नहीं हैं और केवल ग्राहक द्वारा उपयोग किया जाएगा।

3. संवाददाता बैंक संबंध

बैंक कुछ सेवाएं या सुविधाएं प्रदान करने के लिए संवाददाता बैंकों की सेवा का उपयोग कर सकता है। ग्राहक के हितों की रक्षा के लिए बैंक उचित ध्यान रखेगा, लेकिन बैंक जिम्मेदार नहीं होगा यदि कोई नुकसान/देयताएं होती हैं जो संवाददाता बैंक के किसी कार्य या चूक और/या जमा किए गए चेक की वसूली में देरी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं।

4. जानकारी का प्रकटीकरण

ग्राहक एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है और सहमति देता है कि बैंक किसी भी समय खुलासा कर सकता है और किसी भी एजेंसी, ब्यूरो, सहयोगी कंपनियों, फर्मा, संघों, कॉर्पोरेट निकायों और किसी भी बाहरी एजेंसियों सहित अन्य व्यक्तियों को ग्राहक की कोई भी जानकारी साझा कर सकता है, जैसा कि सख्त सहमति में आवश्यक हो सकता है। ग्राहक आगे सहमत है कि बैंक सांख्यिकीय विश्लेषण और क्रेडिट स्कोरिंग के लिए किसी भी सेवा के संबंध में कंप्यूटर पर या अन्यथा उसकी व्यक्तिगत जानकारी को रोक और संसाधित कर सकता है।

ग्राहक इस बात से भी सहमत है कि बैंक अन्य संस्थानों के लिए सख्त सहमति में ऐसी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा कर सकता है जो (i) किसी भी दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग नेटवर्क में भागीदारी तक सीमित नहीं है; (ii) लेकिन कानूनी या नियामक निर्देश / निर्देश के अनुपालन तक सीमित नहीं है; (iii) लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग तक सीमित नहीं है; (iv) लेकिन धोखाधड़ी की रोकथाम के उद्देश्यों तक सीमित नहीं है।

5. ग्राहक का प्रतिनिधित्व और वारंटी

ग्राहक प्रतिनिधित्व करता है और वारंटी देता है कि (i) उसके पास अधिकार है और/या वह कानूनी रूप से शर्तों को स्वीकार करने का हकदार है और वह किसी भी विकलांगता, प्रतिबंध या निषेध के अधीन नहीं है, जो उसे शर्तों के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने या पालन करने से रोकता है; (ii) शर्तों या उसके किसी भाग का निष्पादन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ग्राहक द्वारा निष्पादित या दर्ज किए गए किसी अन्य अनुबंध या दस्तावेज़ के साथ टकराव में नहीं है; (iii) ग्राहक के विरुद्ध, उससे संबंधित या उसे प्रभावित करने वाली कोई देनदारी नहीं है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से बैंक के व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है; (iv) पंजीकरण के समय ग्राहक द्वारा बैंक को प्रदान की गई व्यक्तिगत जानकारी सत्य और सटीक है और उसके बाद प्रदान की गई कोई अन्य जानकारी सत्य और सटीक होगी; (v) ग्राहक के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही, या निषेधाज्ञा या स्थगन आदेश लंबित नहीं हैं या उत्पन्न होने की संभावना है जो शर्तों का उल्लंघन कर सकते हैं या ग्राहक के इन शर्तों की पूर्ति को भौतिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

6. बैंक के दायित्व की सीमा

बैंक अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम तरीके से सुरक्षित और त्रुटि मुक्त सेवाएं प्रदान करने का ध्यान रखेगा। बैंक किसी भी कारण से ग्राहक या किसी तीसरे पक्ष को होने वाली किसी भी क्षति, हानि, हानि, व्यय, दायित्व और इस तरह के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा, चाहे वह बैंक के लिए जिम्मेदार हो या नहीं। उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक निम्नलिखित कारणों से होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए ग्राहक या किसी तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा: ग्राहक के निर्देशों के आधार पर, उचित परिश्रम करके या उचित सावधानी बरतते हुए बैंक द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कोई भी कार्रवाई; खाते और/या सेवा के उपयोग के माध्यम से होने वाला कोई भी अनधिकृत और अवैध लेनदेन, जिसे ग्राहक

और/या किसी तीसरे पक्ष के कपटपूर्ण या लापरवाहीपूर्ण आचरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है; बैंक के कंप्यूटर सिस्टम/नेटवर्क या संचार नेटवर्क में घुसपैठ या हैकिंग; ग्राहक के खाते (खातों) में शेष राशि की कमी के कारण ग्राहक के किसी भी निर्देश को पूरा करने में विफलता; किसी अप्रत्याशित घटना या किसी तकनीकी खराबी या बैंक के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से बैंक खाते तक पहुंचने या किसी भी सेवा का लाभ उठाने में ग्राहक की विफलता; जब ग्राहक के बैंक खाते का अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा हो या तीसरे पक्ष द्वारा अवैध रूप से सेवाओं का लाभ उठाया जा रहा हो,

तो बैंक को सूचित करने में ग्राहक की विफलता; ग्राहक द्वारा खातों के संचालन या किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को दिए गए किसी भी पासवर्ड, या अन्य पहचान चिह्न या किसी भी कार्ड या टोकन को गोपनीय और सुरक्षित रखने में विफलता; व्यक्तिगत या किसी खाते या सेवाओं के संबंध में ग्राहक द्वारा गलत जानकारी प्रदान करने या प्रावधान करने में विफलता; भुगतान रोकने के निर्देश या ग्राहक के इस तरह के निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है या इसमें कोई देरी है; किसी भी भारतीय कानून या विदेशी कानून का उल्लंघन; या ग्राहक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ग्राहक की सहमति से/बिना किसी शर्त का उल्लंघन। इस घटना में कि बैंक द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के उपयोग के परिणामस्वरूप ग्राहक को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए अगर बैंक उत्तरदायी है, तो बैंक केवल प्रत्यक्ष नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा, जो सामान्य घटनाओं में, संभावित रूप से संबंधित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप होने की उम्मीद की जा सकती है। और केवल तभी जब ऐसी हानि या क्षति बैंक की घोर लापरवाही या जानबूझकर की गई चूक के कारण हुई हो और बैंक इस संबंध में किसी भी आकस्मिक, अप्रत्यक्ष, दूरस्थ, परिणामी, विशेष हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

7. अप्रत्याशित घटना /तकनीकी झंझट

यहां निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, यहां कुछ भी लागू नहीं होगा यदि बैंक को यहां अपने किसी भी या सभी दायित्वों को डिस्क चार्ज करने से रोका जाता है या अन्यथा किसी भी कारण से या अप्रत्याशित घटना या तकनीकी खराबी से संबंधित या किसी भी कारण से बैंक के उचित नियंत्रण से परे है।

8. क्षतिपूर्ति

ग्राहक सहमत है और बैंक और प्रत्येक कर्मचारी एजेंटों, सलाहकारों, ठेकेदारों, सामग्री प्रदाताओं या बैंक के प्रतिनिधियों को सभी कार्यों, दावों, देनदारियों, मांगों, कार्यवाही, हानियों, क्षतियों, लागतों, शुल्कों और उचित वकील की फीस और अदालत/निर्णायक निकाय की लागत, जो भी हो, सहित खर्च, जो बैंक किसी भी समय निम्न उत्पन्न कारणों से वहन करता है, (i) ग्राहक के अभ्यावेदन और वारंटी के उल्लंघन से उत्पन्न; या (ii) ग्राहक या ग्राहक की सहमति से/बिना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खाते और/या सेवाओं के अनुचित उपयोग से उत्पन्न; या (iii) या ग्राहक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ग्राहक

की सहमति से/बिना शर्तों के किसी भी प्रावधान या बैंक के साथ किसी अन्य समझौते के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होता है या, (iv) या ग्राहक के कृत्यों या चूकों के कारण ग्राहक द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश पर बैंक द्वारा सद्भावपूर्वक लेने या लेने से इनकार करने या कार्रवाई करने से इनकार करने के कारण उत्पन्न होता है, जिसमें शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: (ए) बैंक को सूचित करने में विफलता जब उसे संदेह होता है या पता है कि उसके पासवर्ड तीसरे पक्ष को ज्ञात हैं या जब तीसरे पक्ष अनधिकृत या अवैध लेनदेन करने के लिए अपने पासवर्ड का उपयोग करते हैं; (बी) तीसरे पक्ष से गोपनीय और सुरक्षित पासवर्ड रखने में विफलता; (सी) अपनी व्यक्तिगत जानकारी या खाता जानकारी में किसी भी बदलाव के बारे में बैंक को सूचित

करने में विफलता; (डी) ग्राहक के पासवर्ड का उपयोग करके बैंक के कंप्यूटर सिस्टम/नेटवर्क और/या डेटा तक अनधिकृत या अवैध पहुंच; (ई) कानून का पालन करने में विफलता; (एफ) बैंक द्वारा जारी उपयोग दिशानिर्देशों का पालन करने में विफलता; प्रासंगिक समय पर लागू होने वाले खातों या सेवाओं के संबंध में; (छ) इन शर्तों और बैंक और ग्राहक के बीच किसी भी समझौते का पालन करने में विफलता।

9. लागू/शासी कानून

बैंक की ये शर्तें, खाते/सेवाएं और दायित्व शासित होंगे और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कानूनों और दिशानिर्देशों के अधीन होंगे। भारत के अलावा किसी अन्य देश के कानूनों का पालन न करने के लिए बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दायित्व स्वीकार नहीं करता है। केवल तथ्य यह है कि भारत के अलावा किसी अन्य देश में इंटरनेट या फोन या मोबाइल के माध्यम से खाते या सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि उस देश के कानून इन शर्तों और/या ग्राहक के खातों के संचालन को नियंत्रित करते हैं।

10. कानून/भाषा का अनुपालन

ग्राहक को या तो स्वयं या कानूनी रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से खाता खोलने और संचालित करने या सेवा का लाभ उठाने के लिए कानून द्वारा योग्य और सक्षम होना चाहिए, चाहे जैसा भी मामला हो। ग्राहक की अपात्रता या अक्षमता के कारण हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए बैंक ग्राहक या किसी तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। ग्राहक सहमत हैं कि वह भारत या विदेश में अपने खातों या सेवाओं के माध्यम से किए जाने वाले किसी भी लेन-देन पर लागू होने वाले किसी भी कानून के बारे में जानता है और उसका पालन करेगा। ग्राहक द्वारा किसी भी कानून के उल्लंघन के लिए बैंक किसी तीसरे पक्ष के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। प्रचलित भाषा अंग्रेजी है।

11. मध्यस्थता

जैसा कि नीचे कहा गया है, मध्यस्थता के उपाय का सहारा लिया जाएगा जब तक कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को "देय ऋण" की वसूली अधिनियम 1993 के तहत स्थापित ऋण वसूली न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर मतभेद न हों, इस मामले में अधिकरण के पास मामले पर अधिकार क्षेत्र होगा। ग्राहक

सहमत है कि वह हर समय, बैंक के साथ शर्तों या किसी अन्य समझौते के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी मतभेदों को हल करने के लिए सभी प्रयास करेगा। बैंक के साथ चर्चा करके असफल होने पर, मध्यस्थता द्वारा, बशर्ते कि मध्यस्थता बैंक द्वारा नामित एकमात्र मध्यस्थ द्वारा होगी। मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्ति की मृत्यु, इनकार, उपेक्षा, अक्षमता या अक्षमता की स्थिति में, बैंक एक और एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेगा। मध्यस्थता मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी और अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता का स्थान मुंबई भारत होगा। ग्राहक स्थल पर ऐसी कार्यवाही के लिए किसी भी आपत्ति को माफ करता है। इस अनुबंध के पूर्वोक्त प्रावधानों के बावजूद, ग्राहक

द्वारा इस अनुबंध के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन या आशंका/धमकी के उल्लंघन की स्थिति में, बैंक अन्य सभी उपायों के अलावा, मध्यस्थता का सहारा लिए बिना किसी भी ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा का हकदार होगा। ग्राहक के अधिकृत प्रतिनिधियों/कर्मचारियों द्वारा शर्तों या उनके और ग्राहक के बीच संबंधित अनुबंधों के किसी भी उल्लंघन या धमकी के उल्लंघन या बैंक के साथ किसी अन्य समझौते की स्थिति में, ग्राहक का हॉल इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक तरीके से बैंक के साथ सहयोग करता है, जिसमें सभी कानूनी उपायों की खोज भी शामिल है। पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शहर के न्यायालय, जिसमें बैंक की शाखा, जिसमें खाता खोला गया है, स्थित है, के पास शर्तों के संबंध में किसी भी विवाद का निर्णय करने का विशेष अधिकार क्षेत्र होगा। उपरोक्त के होते हुए भी, बैंक को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय या न्यायिक फोरम में दावा लाने/दाखिल करने का अधिकार है, चाहे वह भारत में या बाहर हो।

12. अभिलेखों का रखरखाव और परिरक्षण

बैंक अपने एकमात्र विकल्प और विवेकाधिकार पर खातों या सेवाओं के संबंध में लेन-देन के ऐसे अभिलेखों को बनाए या नष्ट करेगा, जैसा बैंक उचित समझे या कानून द्वारा अनिवार्य है। ग्राहक इसकी वैधता और शुद्धता पर सवाल नहीं उठाएंगे। बैंक और ग्राहक के रिकॉर्ड के बीच टकराव के मामले में, बैंक के अभिलेखों निर्णायक और बाध्यकारी होंगे।

13. स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित और समय-समय पर यथा संशोधित ब्याज आय पर स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, बैंक द्वारा वार्षिक आधार पर टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है जिसमें सभी जमाराशियों के लिए समेकित उस वर्ष के लिए सभी ब्याज उपार्जन/भुगतान शामिल हैं। सावधि जमा सलाह पर उल्लिखित राशि को कर, रोके हुए कर या मोचन के कारण किसी भी कटौती के लिए समायोजित नहीं किया जाता है और इसलिए ऐसी सलाह पर निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए बैंक पर कोई दायित्व नहीं रखा जाता है।

यदि ग्राहक बैंक को फॉर्म संख्या 15 (एच)/उपयुक्त आयकर छूट प्रमाणपत्र, जहां कहीं लागू हो, प्रस्तुत नहीं करता है, तो ग्राहक बैंक को ऐसी जमाराशियों या ग्राहक की अन्य जमाराशियों या मौजूदा और/या भविष्य में खोले जाने वाले बैंक खाते पर ब्याज पर लागू टीडीएस के साथ सावधि जमा खाते को डेबिट करने के

लिए अधिकृत करता है। संयुक्त सावधि जमा के मामले में, टीडीएस की घटना संयुक्त खाता धारक पर होगी जिसका नाम आवेदन पत्र में पहले आता है। यदि कटौती की जाने वाली राशि कटौती के लिए उपलब्ध ब्याज की राशि से कम है, तो बैंक ग्राहक के किसी अन्य खाते से और/या स्वयं सावधि जमा के मूलधन से और उस उद्देश्य के लिए इसे वसूल करने का हकदार है, बैंक इस तरह के समयपूर्व नकदीकरण से होने वाले नुकसान के लिए किसी भी दायित्व के बिना, समय से पहले इसे तोड़ने का भी हकदार है।

14. विविध

ग्राहक सहमत है कि बैंक इस समझौते के किसी भी प्रावधान को पूरा करने के लिए एजेंटों, सलाहकारों, ठेकेदारों, सामग्री प्रदाताओं या प्रतिनिधियों को उप-अनुबंध और नियुक्त कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों के किसी भी लापरवाही या कपटपूर्ण कृत्यों या उनके अधिकार के दायरे से बाहर किए गए किसी भी कार्य के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। इन शर्तों में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, कोई भी प्रयोग, या प्रयोग करने में विफलता, या इन शर्तों में निहित किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने में देरी, बैंक द्वारा उस या किसी अन्य अधिकार, उपाय या शक्ति से छूट का गठन करेगा। यदि शर्तों के एक या अधिक प्रावधान किसी एक ग्राहक के विरुद्ध अप्रवर्तनीय हैं, तो यह किसी भी तरह से अन्य ग्राहकों के विरुद्ध उस प्रावधान की प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगा। बैंक अपने विवेक से अस्थायी आधार पर या केवल एक विशेष मामले के रूप में शर्तों के किसी भी प्रावधान को छोड़ने या शिथिल करने का निर्णय ले सकता है और यह किसी भी समय उस प्रावधान को सख्ती से लागू करने के बैंक के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। इस घटना में कि इन शर्तों के किसी भी प्रावधान को किसी भी लागू कानून का उल्लंघन माना जाता है या यदि किसी भी कारण से सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत इन शर्तों या हिस्से के किसी प्रावधान को अप्रवर्तनीय पाती है, तो उस प्रावधान को इन शर्तों के आशय को प्रभावी बनाने के लिए अनुमत अधिकतम सीमा तक लागू किया जाएगा, तथा इन शर्तों में से शेष पूरी तरह से लागू और प्रभावी रूप से जारी रहेंगी। बैंक किसी भी दावे, किसी भी या सभी सेवाओं को अव्यवहार्य या अस्वीकार्य जोखिमों के लिए प्रवण होने पर, बिना किसी दावे को आकर्षित किए, संशोधित करने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

खातों के संचालन के लिए नियम

ग्राहक इस बात से सहमत है कि खाता खोलना और रखरखाव करना और खातों के संचालन के लिए सेवाओं का लाभ उठाना निम्नलिखित नियमों और शर्तों और बैंक द्वारा समय-समय पर जारी की गई सामान्य व्यावसायिक शर्तों और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर पेश या संशोधित किए गए नियमों और विनियमों के अधीन है। नियमों और शर्तों को शामिल करने के मामले में खातों के संचालन के लिए ये नियम प्रासंगिक होंगे।

शब्द में सभी बड़े अक्षरों में लिखे गए शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ नीचे तब तक बताया गया है, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो। इन परिभाषाओं के आलावा, बैंक की सामान्य व्यावसायिक शर्तों की परिभाषाएँ लागू होंगी:

- 1.1 "खाता" में सभी मौजूदा, नए और भविष्य (किसी परिवर्तित रूप सहित लेकिन सीमित नहीं) खाते, (किसी भी रूप में, जिसमें सामान्य बैंकिंग और किसी भी प्रकार का बैंकिंग या वित्तीय संबंध शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) शामिल हैं। या तो बैंक में एकल और/या संयुक्त रूप से आयोजित, संचालित और/या लेनदेन किया है।
- 1.1 "वैकल्पिक चैनल" में एटीएम शामिल हैं (हालांकि इन्हीं तक सीमित नहीं हैं); फोन (फैक्स सहित); इंटरनेट; पीओएस
- 1.2 "अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता" का अर्थ है, गैर-व्यक्तिगत ग्राहकों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार और/या लागू कानूनों के अनुसार खातों / पहुँच सेवाओं को संचालित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति।
- 1.3 "बैंक हॉलिडे" का अर्थ है सभी रविवार, राष्ट्रीय अवकाश और सार्वजनिक अवकाश, जैसा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत घोषित किया गया है, भले ही बैंक या उसकी कोई भी शाखा उन दिनों खुलती हो।
- 1.4 "CID" का अर्थ है ग्राहक पहचान संख्या।
- 1.5 "FEDAI" का मतलब फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है।
- 1.6 "GOI" का अर्थ है भारत सरकार।
- 1.7 "डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं- इसमें कैश सुपुर्दगी सेवा, कैश पिक-अप, चेक और दस्तावेज़ पिक-अप/सुपुर्दगी, विदेशी मुद्रा वितरण/पिक-अप या बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार पर प्रदान की जाने वाली कोई अन्य सेवाएं शामिल हैं।
- 1.8 "संयुक्त खाता" का अर्थ एक से अधिक व्यक्तिगत ग्राहकों द्वारा धारित खाता है।
- 1.9 इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार पर विभिन्न लेनदेन करने या इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से है।
- 1.10 एनआरआई का अर्थ है अनिवासी भारतीय, जैसा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, और/या भारत सरकार और/या आरबीआई द्वारा बनाए गए प्रासंगिक नियमों और विनियमों के तहत परिभाषित किया गया है।
- 1.11 OCS का अर्थ है विदेशी कॉर्पोरेट निकाय, जैसा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, और/या भारत सरकार और/या RBI द्वारा बनाए गए प्रासंगिक नियमों और विनियमों के तहत परिभाषित किया गया है।

- 1.12 ऑपरेटिंग मेंडेट का अर्थ है खाता उपयोग का वह तरीका जो ग्राहक द्वारा बैंक में खाता खोलते समय निर्दिष्ट किया गया हो और जिसे ग्राहक द्वारा समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित तरीके से बदला गया हो।
- 1.13 पासवर्ड का अर्थ है किसी भी यादृच्छिक रूप से उत्पन्न गुप्त और गोपनीय कोड, जिसे खाते के संचालन के लिए और/या वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से विशेष रूप से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से विशिष्ट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक द्वारा ग्राहक को आवंटित किया गया है और/या ग्राहक द्वारा चुना गया है और/या बाद में ग्राहक द्वारा उसकी पसंद के अनुसार बदला गया है।
- 1.14 भुगतान निर्देश" का अर्थ है, ग्राहक के खाते से बैंक में धारित किसी अन्य ग्राहक के किसी अन्य खाते में या ऐसे बैंक के किसी ग्राहक के किसी अन्य बैंक के खाते में या किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान को धनराशि के हस्तांतरण के लिए ग्राहक द्वारा दिए गए निर्देश।
- 1.15 व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन)" का अर्थ है किसी भी यादृच्छिक रूप से उत्पन्न गुप्त और गोपनीय कोड, जिसे खाते के संचालन के लिए और/या वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से विशिष्ट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक द्वारा ग्राहक को आवंटित किया गया है और/या ग्राहक द्वारा चुना गया है और/या बाद में ग्राहक द्वारा उसकी पसंद के अनुसार बदला गया है।
- 1.16 Pio- का अर्थ है भारतीय मूल का व्यक्ति, जैसा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, और/या भारत सरकार और/या RBI द्वारा बनाए गए प्रासंगिक नियमों और विनियमों के तहत परिभाषित किया गया है।
- 1.17 वेतन खाते का अर्थ ग्राहक के नाम पर खोला गया खाता है, जो उस इकाई (नियोक्ता) के साथ रोजगार के आधार पर खोला गया है जिसके साथ बैंक की इस संबंध में व्यवस्था है।
- 1.18 सुरक्षित मेल का अर्थ है, बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्राप्त करने वाले ग्राहकों के लिए उपलब्ध ई-मेल सुविधा।
- 1.19 सेवाओं में शामिल हैं, वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से सेवाएं; डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं; ड्रॉप बॉक्स सेवा या कोई अन्य सेवाएं जो बैंक द्वारा समय-समय पर अपने विवेकाधिकार से सभी या उसके कुछ ग्राहकों को संपूर्ण रूप से या कुछ हिस्से में प्रदान की जाती हैं।
- 1.20 वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से सेवाओं का अर्थ है, विभिन्न लेन-देन करने या जानकारी प्राप्त करने के लिए फोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ग्लोबल डेबिट कार्ड और एटीएम नेटवर्क सहित वैकल्पिक चैनलों पर बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार पर प्रदान की जाने वाली सुविधाएं या सेवाएं।
- 1.21 स्थायी निर्देश ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट तरीके से बैंक को दिए गए डेबिट निर्देश

होते हैं, जिन्हें ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट अवधि के दौरान भविष्य की तारीखों पर एक समय अंतराल पर या ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट घटना के होने पर निष्पादित किया जाना है।

1.22 उपयोगकर्ता नाम या उपयोगकर्ता ID का अर्थ है कोड, जो बैंक द्वारा ग्राहक को खाते के संचालन और/या विशिष्ट इंटरनेट बैंकिंग सेवा का लाभ उठाने के लिए आवंटित किया गया है।

1.23 कार्य दिवसों का अर्थ है वे दिन जो बैंक अवकाश नहीं हैं।

2. डाउनग्रेड

यदि बैंक ने किसी भी समय ग्राहक को विशेषाधिकार प्राप्त/निजी बैंकिंग स्थिति सौंपी है, तो ग्राहक बैंक को "निजी बैंकिंग ग्राहक" की स्थिति से दूसरी स्थिति में डाउनग्रेड करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता है, यदि वह समय-समय पर बैंक द्वारा परिभाषित और संप्रेषित संबंध/औसत त्रैमासिक शेष राशि की आवश्यकता को बनाए रखने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे मामले में, ग्राहक बैंक को निम्नलिखित के लिए अधिकृत करता है: (i) उसके खाते का बचत खाता संस्करण बदलने, जिसके लिए एक अलग औसत तिमाही शेष राशि की आवश्यकता हो सकती है, और शुल्क की एक अलग अनुसूची लागू हो सकती है। (ii) समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित "निजी बैंकिंग" खाता धारक के रूप में उसे उपलब्ध सभी विशेषाधिकारों को बंद कर दे।

ग्राहक इस बात से भी सहमत है कि बैंक को उससे कोई मौखिक/लिखित स्वीकृति लिए बिना और उसे कोई पूर्व संचार भेजे बिना उपर्युक्त कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

3. संयुक्त खाते

संयुक्त खातों के मामले में सभी ग्राहकों पर इसके सभी प्रावधान लागू होंगे। संयुक्त खाते के सभी धारक संयुक्त खाते के उपयोग से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों, चूकों और लेन-देन से संयुक्त रूप से और अलग-अलग बाध्य होंगे, चाहे परिचालन आदेश कुछ भी हो। संचार, संयुक्त खातों के संबंध में खाता विवरण सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, को पहले उल्लेखित खाता धारक के डाक पते पर भेजा जाएगा। इन मामलों में, ऐसे सभी संचार संयुक्त खाते के सभी धारकों द्वारा प्राप्त किए गए माने जाएंगे। बैंक को, हर समय, ग्राहक के किसी भी संयुक्त खाते में जमा होने वाली पूरी राशि को उस खाते के किसी भी धारक के बकाया के विरुद्ध भेजने का अधिकार होगा। यदि कोई धारक खाते से भुगतान करने से मना करता है, तो सभी धारकों/उत्तरजीवीओं से सेवा मुक्ति के अतिरिक्त खाते से किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। संयुक्त सावधि जमा खाते केवल इस प्रकार के खाते के सभी धारकों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किए जा सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी खाते के संचालन बिना किसी सीमा के शामिल होगा। (a) समय से पहले टूटना (आंशिक या संपूर्ण); (b) परिपक्वता निर्देशों का स्वतः नवीनीकरण से एकल परिपक्वता में परिवर्तन और इसके विपरीत (c) समयपूर्व नवीनीकरण; (d) ब्याज निपटान निर्देश को क्रेडिट से खाते में पुनर्निवेश में बदलना और इसके विपरीत (e) चेक

द्वारा भुगतान करने के लिए क्रेडिट से खाते में मूल वितरण निर्देश में परिवर्तन और इसके विपरीत। यदि खाताधारकों ने एक संचालित जनादेश दिया है, तो बैंक अपने विवेकाधिकार पर किसी भी खाताधारक द्वारा संचालित जनादेश के आधार पर उपरोक्त सभी या किसी भी लेनदेन की अनुमति दे सकता है। यदि लेनदेन एकल हस्ताक्षर के आधार पर संसाधित किया जाता है, तो यह सभी संयुक्त खाता धारकों के लिए बाध्यकारी होगा।

4. गैर-व्यक्तिगत खाते

गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा धारित खातों का संचालन उन पर लागू कानूनों के अनुसार और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिचालन आदेश के अनुसार या बैंक द्वारा आवश्यक हो सकता है।

5. विदेशी मुद्रा/नॉन-रेसीडेंट एकाउंट्स

रेसीडेंट/नॉन-रेसीडेंट के विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के खाते (खातों) और नॉन-रेसीडेंट के रुपया मूल्यवर्ग के खाते (खातों) को आरबीआई/भारत सरकार के नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और विनियम के साथ किसी भी तरह के विरोध के मामले में ये नियम लागू होंगे।

6. अनिवासी भारतीय (NRI)

अनिवासी भारतीय ग्राहक वचन देता है कि वह (i) स्थायी निवास के लिए भारत लौटने के बारे में सूचित करेगा; (ii) NRE/NRO या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी अन्य लागू योजना का पालन करेगा, (iii) भारत में निवेश के उद्देश्य से NRO/NRE खातों में डेबिट और बिक्री आय का प्रतिनिधित्व करने वाले क्रेडिट के मामले में सुनिश्चित करना निवेश, ऐसे निवेशों/विनिवेशों को भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य या विशिष्ट अनुमति द्वारा आवृत किया जाएगा।

NRI ग्राहक एतदद्वारा लागू कानूनों के गैर-अनुपालन के कारण बैंक से उत्पन्न होने वाले या उसे होने वाले किसी भी हानि, दावों, लागतों, शुल्कों और खर्चों के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है।

7. ड्यूश बैंक प्रीमियम पेट्रोल खाता

ग्राहक स्वीकार करता है और सहमत होता है कि उसके ड्यूश बैंक प्रीमियम पेट्रोल खाते के संबंध में, (i) बैंक के पूर्ण विवेक पर वह केवल नियोक्ता के साथ अपने रोजगार की अवधि के दौरान ही कुछ सुविधाओं के लिए हकदार हो सकता है; (ii) ड्यूश बैंक प्रीमियम पेट्रोल खाते के संबंध में उक्त सुविधाओं में से कोई भी पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद हो सकता है; (iii) ड्यूश बैंक प्रीमियम पेट्रोल खाता बंद हो सकता है यदि नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए और/या नियोक्ता के निर्देशों पर कोई राशि जमा नहीं की जाती है और/या यदि ग्राहक किसी भी कारण से नियोक्ता की सेवा में रहना बंद कर देता है। ग्राहक एतदद्वारा नियोक्ता के अनुरोध पर अपरिवर्तनीय और बिना शर्त बैंक को क्रेडिट को डेबिट/रिवर्सल करके, नियोक्ता द्वारा और/या नियोक्ता के निर्देशों पर उसके

खाते में जमा की गई किसी भी अतिरिक्त राशि को बिना किसी संदर्भ या सहारा के पुनर्प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है। यहां ऊपर वर्णित किसी भी कृत्य के लिए बैंक को जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

8. सावधि जमा (टीडी)

न्यूनतम राशि और अवधि जिसके लिए बैंक द्वारा सावधि जमा खोला जा सकता है उस पर ब्याज बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा। सावधि जमा की प्रभावी तिथि वह तारीख होगी जिस दिन ग्राहक/जमाकर्ता बैंक के पास नकद जमा करता है या वह तारीख जब बैंक के पास जमा किया गया चेक प्राप्त

होता है या इंटरनेट बैंकिंग पर निधि अंतरण प्रभावी होता है, जैसा भी मामला हो। ग्राहक सहमत है कि मीयादी जमा की परिपक्वता पर, निधियों के निपटान पर लिखित निर्देशों के अभाव में, बैंक को अपने विवेक से जमा राशि को उस पर अर्जित ब्याज के साथ उसी शर्तों पर नवीनीकृत करने का अधिकार है जो प्रचलित ब्याज दरों पर परिपक्व सावधि जमा की है। यदि सावधि जमा एक से अधिक ग्राहकों के नाम पर जारी किया जाता है, तो नवीनीकरण के निर्देश कम से कम एक ग्राहक द्वारा दिए जाने चाहिए। मीयादी जमा की शर्तें शायद प्राथमिक हो सकती हैं या केवल तभी संशोधित की जा सकती हैं जब ग्राहक उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अनुरोध द्वारा बैंक में आवेदन करता है; या संयुक्त सावधि जमा के मामले में - यदि सभी संयुक्त खाता धारकों द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित आवेदन कम से कम सात दिन पहले बैंक के पास प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि, बैंक के पास इस तरह की शर्तों को संशोधित करने या बदलने का एकमात्र विवेक होगा। सावधि जमा के समय से पहले टूटने की अनुमति बैंक के विवेकाधिकार पर और ऐसे शुल्क/जुर्माने पर दी जाएगी जो बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं। ग्राहक इस बात से सहमत है कि यदि बैंक उसे मीयादी जमाराशि को समय से पहले तोड़ने की अनुमति देता है, तो पहले से भुगतान किए गए ब्याज की वसूली सावधि जमा की आय से वसूल की जा सकती है। इस तरह के समय से पहले टूटने के लिए सभी संयुक्त खाताधारकों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं, भले ही परिचालन आदेश कुछ भी हो। सावधि जमा पर ब्याज को पुनर्निवेश जमा के मामले में त्रैमासिक अंतराल पर कम से कम दो महीने के लिए बैंक के पास जमा रखने के अधीन रखा जाएगा। सावधि जमा पर ब्याज का भुगतान आरबीआई के निर्देशों के अनुसार रियायती ब्याज दरों पर एक चौथाई से कम अवधि के लिए किया जा सकता है।

9. विशेष प्रकार के खाते:

9.1 संयुक्त खाता

कई खाताधारकों के लिए एक संयुक्त खाता भी खोला जा सकता है। खाते में अंतर्निहित दावे, विशेष रूप से उसे बंद करने और हस्ताक्षर करने का अधिकार देने के संबंध में सभी खाताधारक संयुक्त रूप से निर्णय ले सकते हैं। प्रत्येक खाता धारक व्यक्तिगत मामले में एक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। खाते से उत्पन्न होने वाले सभी दायित्वों के लिए खाताधारक संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे।

हस्ताक्षर करने का प्राधिकार प्रत्येक संयुक्त खाता धारक द्वारा निरस्त किया

जा सकता है।

9.2 विदेशी मुद्रा खाता

यदि बैंक ग्राहक के लिए एक विदेशी मुद्रा खाता रखता है, तो संबंधित विदेशी मुद्रा में अंतरण ऐसे खाते में जमा किया जाएगा, जब तक कि एक अलग अंतरण निर्देश नहीं दिया गया हो। यदि कोई विदेशी मुद्रा खाता मौजूद नहीं है, तो बैंक राष्ट्रीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा राशि जमा करने का हकदार होगा, जब तक कि ग्राहक द्वारा स्पष्ट रूप से इसके विपरीत निर्देश न दिया जाए। राशि को उस दिन रूपांतरण दर पर परिवर्तित किया जाएगा जिस दिन विदेशी मुद्रा में राशि बैंक के पास होगी और शायद इसके द्वारा उपयोग की गयी होगी। विदेशी मुद्रा में क्रेडिट बैलेंस के धारक भारत और विदेशों में बैंक द्वारा धारित संबंधित मुद्रा में कुल क्रेडिट बैलेंस को प्रभावित

करने वाले किसी भी और सभी वित्तीय और कानूनी परिणामों और नुकसान/क्षति (विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण हुई हानि सहित) को सहन करेंगे, जो उन परिस्थितियों या घटनाओं के कारण थे जिनके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं है।

10. वकील/जनादेश धारक

यदि ग्राहक खाता संचालित करने या उसकी ओर से सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक वकील नियुक्त करना चाहता है, तो वह सत्यापन के प्रयोजनों के लिए विधिवत नोटरीकृत मुख्तारनामा/अधिदेश पत्र की प्रमाणित सत्य प्रति बैंक को (बैंक द्वारा अनुमोदित प्रारूप में) मूल के साथ अग्रेषित करेगा। बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर इस तरह के मुख्तारनामा/जनादेश पत्र को स्वीकार कर सकता है और ऐसे मुख्तारनामा/जनादेश धारक को बैंक को स्वीकार्य तरीके से ग्राहक की ओर से खाता संचालित करने या सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति दे सकता है। मुख्तारनामा के प्रतिसंहरण की स्थिति में ग्राहक तत्काल बैंक को इस तरह के प्रतिसंहरण के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा और प्रतिसंहरण के समर्थन में दस्तावेज जमा करेगा।

11. पता

बैंक अपने विवेक से, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, बैंक सभी संचार, पत्राचार, खाता विवरण, चेक बुक, ड्राफ्ट आदि डाक पते पर ग्राहक को भेजेगा। ग्राहक को अपने डाक पते/पंजीकृत पते में किसी भी परिवर्तन के बारे में लिखित रूप में तत्काल बैंक को सूचित करना चाहिए। यदि पंजीकृत पते को डाक पते के रूप में बदलना है, तो यह सम्प्रेषण बैंक को स्वीकार्य किसी अन्य माध्यम से भेजा जा सकता है। किसी भी पते का परिवर्तन ग्राहक के उन खातों पर लागू होगा जिनमें वह एकमात्र या प्राथमिक धारक है, जब तक कि अन्यथा संकेत न दिया गया हो। संयुक्त परिचालन अधिदेश के साथ संयुक्त खाते के मामले में डाक/पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि सभी धारकों द्वारा सूचित नहीं किया जाता है।

यदि ग्राहक को किसी भी कारण से ऐसे पते पर बैंक द्वारा डाक/कूरियर किया गया कोई मेल प्राप्त नहीं होता है, तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। इन कारणों में शामिल हो सकता है; डाक/कूरियर एजेंसी की गलती; मेल दिए गए पते पर वितरित किया गया हो लेकिन ग्राहक द्वारा प्राप्त नहीं किया गया; और/या

ग्राहक के वहां उपलब्ध नहीं होने के कारण दिए गए पते पर मेल वितरित नहीं किया गया। डाक की सुपुर्दगी या गैर-प्राप्ति के मामले में, बैंक इसे फिर से वितरित करने के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

12. ग्राहक द्वारा संचार

ग्राहक को केवल निर्दिष्ट मोड के माध्यम से बैंक के साथ संवाद करना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं। बैंक किसी अन्य माध्यम से संचार प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं है। विशेष रूप से, यदि फोन या ई-मेल के माध्यम से कुछ प्रकार के लेनदेन अनुरोधों की अनुमति नहीं है, तो इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ग्राहक को महत्वपूर्ण निर्देशों के लिए सिक्क्योर मेल का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कार्ड की जांच रोकना या हॉट-लिस्टिंग करना।

सभी संचार चाहे लिखित रूप में हों या अन्यथा, बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप (यदि कोई हो) में भेजे जाने पर ही मान्य होंगे।

13. बैंक को निर्देश

बैंक को सभी निर्देशों का पालन ऐसे समय के भीतर किया जाएगा जैसा कि निर्देश प्राप्त होने के समय बैंक द्वारा सूचित किया जा सकता है और जैसा कि लागू कानूनों द्वारा अनुमत है। ग्राहक द्वारा प्राप्त निर्देशों को बैंक के उस पर कार्य करने से पहले किसी भी समय उलट दिया जा सकता है। यदि ग्राहक इस पर कार्रवाई करने से पहले इस तरह के उलट निर्देश देने में विफल रहता है, तो बैंक ग्राहक द्वारा किए गए किसी भी नुकसान/दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इंटरनेट बैंकिंग पर ग्राहक द्वारा सीधे किए गए किसी भी लेन-देन को वापस नहीं किया जा सकता है। बैंक ग्राहक के खाते से नकद राशि निकालने या किसी अन्य अनुरोध को पूरा करने के अनुरोध को मानने से इनकार कर सकता है यदि उसे लगता है कि (i) ऐसा करना कानून द्वारा आवश्यक है; (ii) राशि अनुचित रूप से बड़ी है; (iii) बैंक के मन में उचित संदेह पैदा करता है; (iv) अनुरोध का सम्मान करने से बैंक को अनुचित कठिनाई हो सकती है; या (v) सुरक्षा जोखिम और बैंक ग्राहक को ऐसे इनकार के कारणों के बारे में बता सकता है।

14. अवकाश प्रसंस्करण

बैंक की छुट्टी पर या व्यावसायिक घंटों के बाद किसी भी लेनदेन को बैंक के विवेकाधिकार पर खाते में दिखाया जाएगा, जैसा कि बाद के कार्य दिवस पर, न कि लेनदेन के वास्तविक दिन और इस तरह की राशि पर सभी कटौती/वृद्धि ऐसे कार्य दिवस के रूप में काटा/उपार्जित किया जाएगा। बैंक ग्राहक द्वारा किए गए किसी भी ब्याज या देयता के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जिसमें चेक की वापसी, इस तरह के लेनदेन के कारण उत्पन्न होने वाले ब्याज की हानि, वास्तव में उसी दिन नहीं दिखाई होगा। एफसीएनआर प्लेसमेंट सहित किसी भी लेनदेन के लिए विनिमय दर बैंक द्वारा निर्धारित/लागू दरों के आधार पर अगले कार्य दिवस की आवश्यकताओं के अधीन या अन्यथा आरबीआई द्वारा लागू की जा सकती है।

15. नाम जोड़ना या हटाना

किसी भी खाते के संबंध में, यदि धारक का नाम जोड़ा या हटाया जाना है, तो वर्तमान ग्राहक और प्रस्तावित ग्राहक बैंक द्वारा अपेक्षित तरीके से बैंक को लिखित रूप में आवेदन करेंगे और बैंक द्वारा आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्रदान करेंगे।

16. मृत्यु या अक्षमता

बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 सहित लागू कानूनों के अनुसार नामांकन सुविधा उपलब्ध है। ग्राहक को सलाह दी जाती है कि खाता खोलते समय एक नामित व्यक्ति को नामित करें। संयुक्त खातों के मामले में या गैर-व्यक्तिगत खाते के मामले में, ग्राहक सहमत होता है और बैंक को तुरंत सूचित करने का वचन देता है यदि कोई संयुक्त खाता धारक या खाते का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जैसा भी मामला हो, मृत्यु हो जाती है या किसी न्यायालय द्वारा अक्षम घोषित किया जाता है या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी है।

जब कोई खाताधारक मर जाता है या अक्षम घोषित किया जाता है या उसके संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो बैंक खाते पर रोक लगा सकता है और सभी कार्यों को रोक सकता है, हालांकि बैंक ऐसे खातों पर शुल्क लगाना जारी रख सकता है और ऐसी राशि का दावा कर सकता है जो किसी बैंकर ग्रहणाधिकार के तहत या अन्यथा देय है। यदि ग्राहक द्वारा नामांकन सुविधा का लाभ लिया गया है, यदि ग्राहक द्वारा नामांकन सुविधा का लाभ उठाया गया है, तो संबंधित समय पर बैंक द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर नामिती को भुगतान करके बैंक अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा, जब तक कि विशेष रूप से न्यायालय के आदेश द्वारा निषिद्ध न हो। किसी नामांकित व्यक्ति की अनुपस्थिति में, बैंक खाते में किसी भी और सभी निधियों को तब तक अपने पास रख सकता है जब तक कि वह अपनी संतुष्टि के लिए खाताधारक के उत्तराधिकारी की पहचान और प्रमाण-पत्र स्थापित नहीं कर लेता, जिसमें वसीयत के उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र/प्रोबेट या किसी अन्य साक्ष्य पर जोर देना शामिल हो सकता है, जैसा कि उस समय लागू कानून द्वारा आवश्यक हो सकता है और खाता बंद कर दिया जाएगा और शेष राशि उत्तरजीवी खाताधारक को दे दी जाएगी। पहले उल्लेखित खाताधारक के अलावा अन्य खाताधारक की मृत्यु होने पर, खाता उत्तरजीवी खाताधारक के नाम से संचालित होता रहेगा।

17. खाता बंद/सेवाएं बंद

बैंक, अपने पूर्ण विवेक पर, ग्राहक को बिना कोई कारण बताए 7 (सात) दिनों का नोटिस देकर किसी भी खाते को बंद कर सकता है या किसी भी सेवा को समाप्त कर सकता है। उपरोक्त स्थिति के साथ नहीं, ग्राहक स्वीकार करता है और सहमत होता है कि बैंक किसी भी समय बिना किसी सूचना के बैंकों के पूर्ण विवेक की आवश्यकता के अनुसार सेवाओं को बंद/संशोधित/रद्द/समाप्त कर सकता है, यदि बैंक की यदि बैंक की राय है कि सेवाओं को जारी रखना बैंक के हितों के प्रतिकूल है, तो खाते को बंद करने या सेवाओं की समाप्ति से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक को उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा। बैंक अपने विवेक से, और उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इसके अतिरिक्त चालू, बचत या ओवरड्राफ्ट खाता रखने वाले व्यक्ति के खाते

को बंद कर सकता है। यदि ऐसे व्यक्ति के एक करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य के चेक एक वित्तीय वर्ष में चार या अधिक मौकों पर उस खाते में पर्याप्त धनराशि के अभाव में अनादरित हो गए हों। हालांकि बैंक ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा, जिसका खाता वह तीसरे चेक के अनादर के बाद बंद हो सकता है। ग्राहक अपना खाता बंद कर सकता है या किसी भी समय किसी भी सेवा का लाभ उठाना बंद कर सकता है। बैंक उस समय तक खाता बंद करने से इंकार करने का हकदार होगा जब तक कि ग्राहक द्वारा बैंक को देय सभी शुल्कों का पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाता है। बैंक ग्राहक को उस तारीख की सूचना दे सकता है जिस दिन उसका खाता बंद किया जाएगा और सेवा बंद कर दी जाएगी। किसी भी खाते के बंद होने पर, ऐसे खाते से जुड़ी सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। खाता बंद करने के समय ग्राहक बैंक में आएगा और/या बैंक को लागू सभी अप्रयुक्त चेक पते/कार्ड/डीमैट निर्देश पर्ची को नष्ट करने की पुष्टि करेगा। बैंक के स्वामित्व या देखभाल में ग्राहक के किसी भी धन/संपत्ति/खाते (खातों) से दावा करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल

प्रभाव डाले बिना, ग्राहक एतद्द्वारा बिना शर्त, अपरिवर्तनीय रूप से और बिना किसी आपत्ति के सहमत होता है और बैंक को तुरंत भुगतान करने का वचन देता है, जैसे कि निर्दिष्ट है, बैंक की लिखित मांग पर और बिना किसी दूषण या तर्क के दावा की गई किसी भी राशि को साबित करने की आवश्यकता के बिना या उसमें निर्दिष्ट राशि के लिए बैंक की मांग के लिए आधार या कारण दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यदि खाता खोलने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर ग्राहक द्वारा खाता बंद कर दिया जाता है, तो बैंक अपने विवेकाधिकार से ग्राहक पर शुल्क लगा सकता है। खाता बंद होने के बाद चेक के अनादर के कारण बैंक को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए ग्राहक क्षतिपूर्ति करेगा और बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

18. चेक बुक और चेक

बचत, चालू या ओवरड्राफ्ट खाता रखने वाले व्यक्तियों को बैंक द्वारा ऐसे प्रभारों पर चेक बुक जारी किए जा सकते हैं जो बैंक द्वारा इंगित किए गए हों। चेक बुक ग्राहक को उसके डाक पते पर भेजी जाएगी। बैंक अपने विवेक से कुछ ग्राहकों को कानून के अनुसार "सममूल्य पर" चेक बुक दे सकता है।

बैंक चालू, बचत या ओवरड्राफ्ट खाता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को नई चेक बुक जारी करने से इनकार करेगा यदि ऐसे व्यक्ति के खाते में पर्याप्त धनराशि के अभाव में एक वित्तीय वर्ष के दौरान चार या अधिक बार एक करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य के चेक अस्वीकृत हो गए हों। साथ ही, बैंक अपने विवेक से चालू खाते को बंद करने पर विचार कर सकता है। बैंक निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाता रखने वाले ग्राहकों को चेक बुक जारी नहीं करेगा। ग्राहकों को चेक इस तरह से निकालना चाहिए कि जारी करने के बाद परिवर्तन को रोका जा सके और ग्राहक के हस्ताक्षर बैंक के रिकॉर्ड में हस्ताक्षर के साथ पुष्टि करनी चाहिए। चेक में कोई भी परिवर्तन ग्राहक के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। बैंक के पास किसी भी तरह से बदले गए चेकों के भुगतान से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित है, जब तक कि ग्राहक द्वारा बैंक के पास रिकॉर्ड पर मौजूद नमूने के अनुसार पूर्ण हस्ताक्षर के तहत परिवर्तन को प्रमाणित नहीं किया जाता है।

19. चेक / ड्राफ्ट / पे ऑर्डर जमा

बैंक किसी भी व्यक्ति से ग्राहक के खाते में जमा करने के लिए चेक/ड्राफ्ट/पे ऑर्डर (इसके बाद इस खंड के प्रयोजन के लिए "इंस्ट्रूमेंट" के रूप में जाना जाता है) स्वीकार कर सकता है। जमा करने वाले व्यक्ति के अधिकार पर सवाल उठाने के लिए बैंक की आवश्यकता नहीं है, जब तक लागू किए गए कानून द्वारा अनिवार्य न हो।

ग्राहक को सलाह दी जाती है कि वह लिखत के संबंध में प्रचलित समाशोधन समय के लिए बैंक से संपर्क करें। स्थानीय लिखत अगले कार्य दिवस पर अदाकर्ता बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा। गैर-स्थानीय चेक (भारत में या बाहर आहरित) संग्रह के आधार पर या सीधे अदाकर्ता बैंक को संवाददाता बैंकों/स्वयं की शाखाओं को भेजे जाएंगे और इस तरह के लिखत की आय निधियों की वसूली पर खाते में जमा की जाएगी। बैंक अगले लागू समाशोधन समय को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा और देरी के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि/दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं

होगा। खाते में विदेशी मुद्रा लिखत का क्रेडिट फेमा सहित सभी लागू कानूनों के अधीन होगा, और इस तरह के विनिमय नियंत्रण और अन्य नियमों के रूप में आरबीआई या कोई नियामक प्राधिकरण समय-समय पर खाते में धन की वसूली पर निर्देश दे सकता है। बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरतेगा कि लिखत संपर्ककर्ता बैंक/अपनी शाखा तक पहुंचे, हालांकि, यदि संग्रह के आधार पर संवाददाता बैंकों / अपनी शाखाओं को भेजे गए लिखत या तो पारगमन में खो जाते हैं या बैंक को धन प्राप्त नहीं होता है, तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे परिदृश्य में, बैंक संपर्ककर्ता बैंक / अदाकर्ता बैंक के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं है और ग्राहक को आगे की कार्रवाई के लिए लिखत जारीकर्ता से संपर्क करने की आवश्यकता है।

यदि खाते में धनराशि जमा होने के बाद संवाददाता बैंक/आहर्ता बैंक/स्वयं की शाखा द्वारा लिखत वापस कर दिया गया है, तो बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के लिखत राशि और शुल्क, यदि कोई हो, के लिए खाते को डेबिट कर देगा। बैंक किसी भी संविदात्मक दायित्वों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसे ग्राहक द्वारा खाते में पहले जमा करने के आधार पर सम्मानित किया गया था। ग्राहक उसी दिन भुगतान के लिए उच्च मूल्य समाशोधन में भाग लेने वाली शाखा पर आहरित उच्च मूल्य का लिखत जमा कर सकता है। उच्च मूल्य समाशोधन के लिए भेजे जाने वाले लिखत को जमा करते समय, ग्राहक को जमा पर्ची पर इसका उल्लेख करना चाहिए ताकि बैंक को उच्च मूल्य समाशोधन के लिए संलग्न लिखत की पहचान करने में सहायता मिल सके। बैंक ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा। यदि बैंक अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से निर्देशों का पालन करने में असमर्थ है, तो ग्राहक को होने वाली किसी भी हानि के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। ग्राहक को इस सेवा के लिए प्रचलित दिशा-निर्देशों के लिए बैंक से पूछताछ करनी चाहिए।

बैंक किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा, जिसमें निम्नलिखित के कारण होने वाली परिणामी हानि शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है:

(यदि जमा पर्ची पर लिखी गई खाता संख्या की स्पष्टता/अधिलेखन की कमी के कारण जमाकर्ता के खाते के अलावा किसी अन्य खाते में लिखत की राशि जमा कर रहा है); या (iii) किसी भी कारण से समाशोधन के लिए लिखत को अग्रेषित करने में देरी के कारण। जमा पर्ची के साथ कोई लिखत संलग्न किया गया था या नहीं, इस पर किसी भी विवाद के मामले में, बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

बैंक गैर-स्थानीय समाशोधन पर आहरित लिखत की स्वीकृति से इंकार करने का हकदार है, यदि लिखत की आय वसूली प्रभार से कम है और/या ऐसे स्थान के संबंध में जहां बैंक की किसी भी बैंक के साथ कोई व्यवस्था नहीं है। बैंक और ग्राहक के बीच व्यवस्था के अनुसार, ग्राहक द्वारा आहरित और बैंक की किसी भी शाखा में देय चेक, इस तरह के चेक को बैंक की किसी भी शाखा में प्रस्तुत करने के समय और तारीख को ऐसे समय और डेटा पर अदाकर्ता शाखा में चेक की प्रभावी प्रस्तुति माना जाएगा।

20. चेक वापसी

बैंक किसी भी चेक को वापस करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि खाते में अपर्याप्त राशि है, बैंक को भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत करते समय बैंक के रिकॉर्ड में दिखाई गई शेष राशि के बराबर पूरी चेक राशि डेबिट करने के लिए, भले ही, उसी तिथि को, समाशोधन की प्राप्ति, नकद जमा करने आदि के कारण खाते में किसी अन्य समय पर्याप्त शेष राशि हो सकती है। बैंक किसी भी कारण से बिना भुगतान किए लौटाए गए चेक के बारे में ग्राहक को सूचित करने के लिए उत्तरदायी या बाध्य नहीं है।

21. अपर्याप्त निधि

जब ग्राहक के खाते में उसके द्वारा आहरित चेक या किसी अन्य डेबिट के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं होती है, तो बैंक चेक पर विचार कर सकता है या ग्राहक द्वारा जारी किए गए किसी भी विपरीत सूचना की परवाह किए बिना एक अपर्याप्त निधि मद को डेबिट कर सकता है।

22. त्रैमासिक औसत शेष

ग्राहक को समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार अपने खाते में न्यूनतम त्रैमासिक औसत शेष राशि बनाए रखना आवश्यक है। त्रैमासिक औसत शेष राशि की गणना खाते की दैनिक समाप्ति शेष राशि को जोड़कर और कैलेंडर तिमाही के पहले दिन के दौरान उस कैलेंडर तिमाही के अंतिम दिन के दौरान खाते के सक्रिय होने के दिनों की कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है। सेवा शुल्क, जैसा कि बैंक द्वारा निर्धारित या अधिसूचित किया जा सकता है, की गणना न्यूनतम औसत त्रैमासिक शेष राशि के गैर-रखरखाव के आधार पर की जाती है।

23. प्रभार और ब्याज

ग्राहक जिम्मेदार होंगे और खाते के संबंध में या समय-समय पर संकेतित किसी भी सेवा के लिए सभी शुल्कों का भुगतान करने का वचन देते हैं। ब्याज की गणना दस (10 तारीख) को कारोबार की समाप्ति और प्रत्येक कैलेंडर माह के अंतिम दिन के बीच न्यूनतम क्रेडिट शेष पर और केवल पूरी राशि पर की

जाती है। बचत खाते में ब्याज मासिक रूप से अर्जित किया जाएगा और अर्ध-वार्षिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

बचत और सावधि जमा खातों पर देय ब्याज ऐसी दर या दरों पर होगा जो बैंक द्वारा समय-समय पर, अपने पूर्ण विवेक पर और लागू कानूनों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। यह समय-समय पर (ऊपर और नीचे दोनों) भिन्न हो सकता है।

ग्राहक के खातों में अपर्याप्त शेष के मामले में, बैंक के पास उन राशियों पर शुल्क की सीमा तक ग्रहणाधिकार होगा जो खाते में जमा हो सकती हैं। बैंक बाद में क्रेडिट से या तो उसी खाते में या ग्राहक के किसी अन्य खाते से इस राशि की वसूली (आंशिक रूप से या पूरी तरह से) करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक ग्राहक को किसी भी पूर्व सूचना के बिना या सूचना के बाद, ग्राहक के किसी भी खाते में पड़े किसी भी क्रेडिट बैलेंस से अपने

शुल्क वसूल लेने का हकदार होगा, और बैंक ऐसी वसूली के कारण चेक की किसी भी वापसी के लिए भी उत्तरदायी नहीं होगा। ग्राहक इसके द्वारा बैंक को खाते से कटौती करने के लिए अधिकृत करता है और बैंक द्वारा कार्ड के संबंध में ग्राहक द्वारा देय धन एकत्र करने में किए गए किसी भी व्यय के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है (बिना किसी सीमा के कानून द्वारा अनुमत सीमा तक उचित वकील की फीस सहित)।

24. निधि अन्तरण (फंड ट्रांसफर)

ग्राहक संबंधित खाते में पर्याप्त निधि के बिना या ओवरड्राफ्ट के अनुदान के लिए बैंक के साथ पूर्व-मौजूदा व्यवस्था के बिना धन हस्तांतरित करने का प्रयास नहीं करेगा।

बैंक, अपने विवेक पर, ग्राहक से पूर्वानुमोदन या नोटिस के बिना निधियों/क्रेडिट सुविधा की अपर्याप्तता न होने पर निर्देशों का पालन कर सकता है और ग्राहक परिणामी ओवरड्राफ्ट/अग्रिम/क्रेडिट ब्याज सहित चुकाएगा और सभी संबंधित शुल्क और अतिरिक्त राशि पर ब्याज, ऐसी दरों पर जो बैंक लगा सकता है।

व्यक्तिगत रूप से ग्राहक से सीधे प्राप्त न होने वाले धन हस्तांतरण के अनुरोध के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित एक चेक होना चाहिए।

बैंक किसी भी कारण से सभी या किसी भी भुगतान या देर से भुगतान के लिए किसी भी चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

25. स्थायी निर्देश

बैंक अपने विवेकाधिकार पर अपने ग्राहकों को शाखा या वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से स्थायी निर्देश देने की सुविधा प्रदान कर सकता है। प्रत्येक निर्देश के लिए ग्राहक को उस राशि को निर्दिष्ट करना होगा जो उसके खाते से बैंक के पास रखे गए किसी अन्य खाते में अंतरण के लिए या ड्राफ्ट के माध्यम से डेबिट की जाएगी। ग्राहक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि संबंधित खाते में उस तिथि को पर्याप्त धनराशि है, जब स्थायी निर्देशों को निष्पादित किया जाना है। बैंक ग्राहक को पूर्वानुमोदन या सूचना

दिए बिना धन/ऋण सुविधा की अपर्याप्तता के बावजूद स्थायी निर्देशों का पालन कर सकता है और ग्राहक परिणामी ओवरड्राफ्ट/अग्रिम/क्रेडिट और सभी संबंधित शुल्कों और अतिरिक्त राशि पर ब्याज के साथ बैंक द्वारा लगाए जाने वाली दरों पर ब्याज का भुगतान करेगा। बैंक किसी भी कारण से सभी या किसी भी निर्देश को निष्पादित करने में किसी भी चूक के लिए या देर से निर्देश के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ग्राहक बैंक द्वारा लगाए गए शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत है।

26. अतिदेय खाता

यदि किसी भी कारण से खाते में डेबिट शेष है, तो ग्राहक बैंक की प्रचलित दर और प्रथा के अनुसार ब्याज और अन्य शुल्कों का भुगतान करेगा और उसी दिन खाते को नियमित करेगा, जब तक कि बैंक विशेष रूप से कोई अपवाद नहीं करता है। एनआरआई/पीआईओ/ओसीबी ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा ऐसे और विनियमों के अधीन होगी जो आरबीआई समय-समय पर निर्धारित करता है या कर सकता है।

27. खाता विवरण

प्रत्येक खाते के लिए खाता विवरण बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार पर निर्धारित आवृत्ति पर जारी किया जाएगा। ग्राहक स्वीकार करता है कि बैंक द्वारा उसे भेजे गए खातों के विवरण पर बैंक की ओर से हस्ताक्षर नहीं किए जा सकते हैं। यदि ग्राहक को बैंक द्वारा उसे प्रदान की गई खाता जानकारी में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो वह खाता विवरण प्राप्त होने के दो (2) सप्ताह के भीतर बैंक को तदनुसार सूचित करेगा, ऐसा न करने पर इसे ग्राहक द्वारा स्वीकार मान लिया जाएगा। यदि ग्राहक को अपने किसी भी ऐसे खाते पर लेन-देन के बारे में पता चलता है जिसे उसके द्वारा वैध रूप से अधिकृत नहीं किया गया है, तो वह तुरंत बैंक को सूचित करेगा। बैंक त्रुटि को तुरंत ठीक करने का प्रयास करेगा, लेकिन वह इसके लिए बाध्य नहीं है, और ऐसी त्रुटि से उत्पन्न होने वाले किसी भी ब्याज या शुल्क को समायोजित करेगा। बैंक किसी भी समय खाता विवरण में विसंगतियों, यदि कोई हो, को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक ऐसे किसी भी संदिग्ध डेबिट/निकासी के बारे में बैंक को सूचित करने के लिए ग्राहक की ओर से किसी भी देरी, आईएपीएसई, चूक, या उपेक्षा से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और होने वाले किसी भी परिणाम या हानि के लिए ग्राहक पूरी तरह उत्तरदायी है। यदि ग्राहक विवरण की जांच करने या किसी समस्या की रिपोर्ट करने में देरी करता है, तो यह समस्या को हल करने की बैंक की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ग्राहक बैंक को स्टेटमेंट और/या अन्य दस्तावेज़/सामग्री तैयार करने और मेल करने के लिए तीसरे पक्ष/विक्रेताओं की सेवाओं को शामिल करने और उनका उपयोग करने के लिए अधिकृत करता है। मेल में गुम हुए विवरणों के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है। यदि आवश्यक हो, तो ग्राहक को डुप्लिकेट विवरण के लिए बैंक से संपर्क करना होगा। बैंक की ओर से ईमेल खाते या अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त संचार प्रणालियों/सर्वर को भेजे गए विवरण या संदेश, ग्राहक के संपूर्ण जोखिम पर हैं और यदि वह खो जाता है, गलत तरीके से प्राप्त होता है, या गलत ई-मेल पर भेजा जाता है या तीसरे पक्ष तक पहुंच योग्य होता है तो बैंक इस तरह के प्रसारण के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं है और न ही इसे उत्तरदायी बनाया जा सकता है। यदि किसी भी वैकल्पिक चैनल (इंटरनेट बैंकिंग या ईमेल सहित) पर ग्राहक को भेजे गए विवरण/संदेश किसी भी कारण से बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड

से मेल नहीं खाते हैं, तो बाद वाला मान्य होगा। ग्राहक डुप्लीकेट विवरण जारी करने के लिए बैंक द्वारा लगाए गए किसी भी शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत है।

28. भुगतान रोको

यह सुनिश्चित करना ग्राहक की जिम्मेदारी है कि भुगतान रोकने के निर्देश सीधे बैंक को फोन बैंकिंग के माध्यम से, शाखा काउंटर पर या वैकल्पिक चैनलों पर सेवाओं पर भुगतान रोक सुविधा के माध्यम से सूचित किए जाएं। किसी अन्य माध्यम से बैंक को सूचित "भुगतान रोको निर्देश" के लिए, बैंक इस तरह के "भुगतान रोको निर्देश" और परिणामी नुकसान, यदि कोई हो, और ऐसे "भुगतान रोको निर्देश" द्वारा कवर किए गए चेक की निकासी के लिए गैर-प्रसंस्करण या विलंबित प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

कोई भी खाता जिसमें संयुक्त संचालन के लिए "ऑपरेटिंग मैनेज" है, भुगतान रोकने के निर्देशों पर उसी तरह से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जैसे खाते के संचालन के लिए लागू होते हैं। हालाँकि बैंक वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से भुगतान रोकने के सभी निर्देशों को स्वीकार करता है, पर वह इस बात पर जोर दे सकता है कि ग्राहक के लिखित निर्देशों का पालन किया जाए। हालाँकि, बैंक बिना किसी लिखित निर्देश के भुगतान रोकने के निर्देशों को स्वीकार करता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप यदि ग्राहक या तीसरे पक्ष को कोई नुकसान होता है, तो बैंक इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि भुगतान रोकने के निर्देश स्वीकार्य तरीके से नहीं हैं और/या ऑपरेटिंग मैनेज के अनुसार हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं और/या उस तारीख को प्राप्त हुए हैं जो दो कार्य दिवसों के बाद है जब चेक समाशोधन में प्राप्त हुआ था, तो बैंक चेकों के समाशोधन या उसके किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा, जिसके लिए बैंक को भुगतान रोकने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। ग्राहक इस बात से सहमत है कि एक बार स्वीकार किए जाने के बाद भुगतान रोकने के निर्देश को रद्द नहीं किया जा सकता है।

29. मुद्रा लेनदेन और विनिमय दर

लागू विनिमय दर सहित विदेशी मुद्रा से जुड़े खाते में किए गए सभी लेनदेन आरबीआई/भारत सरकार/फेडरल द्वारा जारी नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे और इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

30. विदेशी आवक प्रेषण

भारत के बाहर से किसी भी खाते में किए गए किसी भी प्रेषण पर, बैंक से बिना किसी सूचना के, ग्राहक को इसका कारण बैंक को ऐसे सबूत या सबूत के साथ बताना चाहिए जो बैंक द्वारा आवश्यक हो।

डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं और ड्रॉप बॉक्स सेवाएं

ग्राहक सहमत है कि डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं और ड्रॉप बॉक्स सेवाओं का लाभ निम्नलिखित नियमों और शर्तों के साथ-साथ बैंक की सामान्य व्यावसायिक शर्तों और समय-समय पर बैंक द्वारा जारी किए गए खातों के संचालन के नियमों के अधीन है, साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर पेश या संशोधित किए गए नियम और कानून। डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं और ड्रॉप बॉक्स सेवाओं

के लिए नियम और शर्तें शामिल होने के मामले में प्रासंगिक होंगी।

1. सामान्य शर्तें

बैंक द्वारा उत्पाद के संचालन के अनुसार और मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों सहित लागू कानूनों के अनुसार केवल बैंक द्वारा अनुमोदित ग्राहकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। बैंक इन सेवाओं के लिए शुल्क लगा सकता है और बैंक अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। ये सेवाएं ग्राहक को उसके डाक/पंजीकृत पते पर उपलब्ध कराई जाएंगी। डिलीवरी/पिक-अप अनुरोधों के लिए किसी अन्य पते की स्वीकृति बैंक के विवेकाधिकार ("मेलिंग/स्वीकृत पता") पर होगी। इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, ग्राहक

बैंक को स्वीकार्य किसी भी वैकल्पिक माध्यम से बैंक को अपने अनुरोध की सूचना दे सकता है। इसमें निहित किसी भी बात के होते हुए भी,

बैंक वैकल्पिक चैनलों, मेल या कूरियर पर प्राप्त ग्राहक के निर्देशों को प्रमाणित करने के लिए बाध्य नहीं होगा; या यह सत्यापित करने के लिए भी बाध्य नहीं होगा कि निर्देश देने वाला और ग्राहक के पिन/पासवर्ड/यूजर आईडी या अन्य पहचान विवरण का उपयोग करने वाला व्यक्ति ग्राहक है या नहीं। बैंक वैकल्पिक चैनलों द्वारा ग्राहक से प्राप्त निर्देशों का रिकॉर्ड रख सकता है, जैसा कि बैंक उचित समझे। जबकि बैंक उचित सावधानियों का उपयोग करेगा, ये सेवाएं "नो वारंटी नो रिस्क बेसिस" पर प्रदान की जाती हैं। हालांकि बैंक उचित सावधानियों का उपयोग करेगा, पर ये सेवाएं "नो वारंटी नो रिस्क बेसिस" पर प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएं इस स्पष्ट शर्त पर प्रदान की जाती हैं और प्रदान की जाती हैं कि बैंक यह वारंट नहीं करता है कि सेवाएं एक विशिष्ट समय पर प्रदान की जाएंगी (चाहे बैंक द्वारा, वितरण व्यक्ति या अन्यथा) और सेवाओं के किसी भी विलंब या दुरुपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा।

ग्राहक सहमत है कि सेवाओं से उत्पन्न होने वाली किसी भी लागत या क्षति के लिए बैंक ग्राहक या किसी अन्य पक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा और ग्राहक आगे इस संबंध में बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है। ये सेवाएं बैंक द्वारा कूरियर/मैसेंजर/मेल और ऐसे माध्यम के माध्यम से प्रदान की जा सकती हैं, जो बैंक उचित समझे (डिलीवरी करने वाला व्यक्ति), सिवाय इसके कि जहां बैंक ने एक मोड निर्दिष्ट किया हो या जहां ग्राहक ने किसी अतिरिक्त शुल्क के साथ या बिना किसी विशिष्ट मोड के लिए अनुरोध किया हो। पहचान के प्रयोजन के लिए, ग्राहक डिलीवरी करने वाले व्यक्ति के पहचान पत्र की सावधानीपूर्वक जांच करेगा। ग्राहक को डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी प्रमाणीकरण दस्तावेज की प्रति दिखाने या प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, डिलीवरी करने वाला व्यक्ति ग्राहक की पहचान पर जोर देने या सत्यापित करने या ग्राहक के हस्ताक्षर को सत्यापित करने के लिए बाध्य नहीं है।

2. नकद/ड्राफ्ट की सुपर्दगी

समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर नकद/ड्राफ्ट ग्राहक के अनुरोध प्राप्त होने पर डाक/स्वीकृत पते पर वितरित किए जाएंगे। ग्राहक बैंक को वह चेक संख्या प्रदान करेगा जिसके लिए ग्राहक को नकद/ड्राफ्ट वितरित किया जाना है। निर्देश प्राप्त होने पर, बैंक तुरंत ग्राहक के खाते से इतनी राशि डेबिट कर देगा और फिर नकद/ड्राफ्ट के वितरण की व्यवस्था करेगा। डिलीवरी करने वाला व्यक्ति बाध्य नहीं है (i) यह सत्यापित करने के लिए कि क्या चेक पर हस्ताक्षर ग्राहक के हैं, या (ii) चेक राशि के शब्दों और आंकड़ों में किसी भी अंतर के मामले में या बैंक द्वारा प्राप्त ग्राहक के मूल अनुरोध से चेक की राशि भिन्न होने पर वितरण को पूरा करने के लिए। ग्राहक को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि चेक पर अंकित तिथि पुरानी नहीं है। इसके अतिरिक्त, चेक विवरण में किसी भी भौतिक परिवर्तन के मामले में ग्राहक को परिवर्तन को

पूर्ण रूप से अधिकृत करने के लिए हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। ऐसे चेक में किसी भी विसंगति की स्थिति में, बैंक ग्राहक द्वारा पहले दिए गए डेबिट निर्देशों का पालन करने का हकदार होगा। डिलीवरी के समय डाक/स्वीकृत पते पर ग्राहक की गैर-मौजूदगी सहित लेकिन सीमित नहीं, किसी भी कारण से ग्राहक को नकद/ड्राफ्ट की सुपर्दगी न करने के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। नकद/ड्राफ्ट की सुपर्दगी न होने की स्थिति में, बैंक द्वारा उसी दिन या अगले कार्य दिवस पर, बैंक के पूर्ण विवेक पर क्रेडिट और शुल्क की प्रक्रिया की जाएगी और खाते में क्रेडिट में देरी के कारण चेक की वापसी के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। भौतिक मुद्रा (नकद या अन्य परिभाषित रूप में जिसे बाहर रखा गया है) भारत के बाहर वितरित नहीं की जा सकती है और नहीं की जाएगी और ऐसी भौगोलिक सीमाओं के अधीन होगी जो बैंक लगा सकता है। बैंक के अधिकारों को सीमित किए बिना, यह एनआरआई के लिए ऐसी भौतिक उपस्थिति आवश्यकताओं के अधीन भी होगा, जिसे बैंक प्राप्त प्रत्येक विशिष्ट अनुरोध के लिए उचित समझे।

3. नकद/चेक पिक-अप

समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर नकद, ग्राहक के अनुरोध पर और बैंक के विवेक पर डाक / स्वीकृत पते से लिया जाएगा। ग्राहक से पिकअप के लिए निर्देश प्राप्त होने पर बैंक डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को डाक/स्वीकृत पते पर जाने के लिए व्यवस्थित करेगा। ग्राहक को डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को नकद/चेक और पूर्ण जमा पर्ची देना आवश्यक है। डिलीवरी करने वाला व्यक्ति ग्राहक से पावती की एक अस्थायी रसीद लेगा और उसके बाद जमा पर्ची और नकद/चेक बैंक के अधिकृत अधिकारियों को सौंप देगा। नकद या चेक जमा करने की राशि बैंक द्वारा सत्यापन के अधीन होगी और यह सत्यापित राशि ग्राहक के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगी। जमाराशियों के लिए क्रेडिट ग्राहक को नकद जमा के मामले में और चेक जमा के मामले में भुगतान प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा विधिवत भुगतान किए जाने के बाद अगले कार्य दिवस पर उपलब्ध होगा। जमा के समय डिलीवरी करने वाले व्यक्ति दी गई पावती केवल वही दर्शाती है जो ग्राहक ने जमा किया है और यह बैंक के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। यदि ऐसी जमाराशियों में गंदे, कटे-फटे नोट हैं, तो ऐसी जमाराशियों की स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा नोट वापसी नियमों के

अनुसार अंतिम स्वीकृति और प्रतिपूर्ति के अधीन होगी। विदेशी मुद्रा नकद/चेक या किसी भी अन्य जमाराशियों की जमाराशियां, जो अस्वीकार्य हैं, ग्राहक की लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर वापस की जाएंगी।

4. विदेशी मुद्रा सुपुर्दगी/पिक-अप

ग्राहक के अनुरोध पर, बैंक अपने विवेक पर, ग्राहक को दी गई सलाह के अनुसार, फेमा, आरबीआई दिशानिर्देशों सहित सभी मौजूदा कानूनों और ऐसी शर्तें जो बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जा सकती हैं, के अधीन ग्राहक को/से नकद और/या यात्री चेक में विदेशी मुद्रा डिलीवर/पिक-अप करने की व्यवस्था कर सकता है। यह सेवा ग्राहकों को या तो बैंक के अधिकृत एजेंटों या किसी भी स्वतंत्र सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रदान की जा सकती है,

जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा परिवर्तक के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है।

5. ड्रॉप बॉक्स सेवा

इस सेवा के माध्यम से स्थानीय मुद्रा चेक और निर्देश बैंक साइटों पर स्थित ड्रॉप बॉक्स में स्वीकार किए जाते हैं। यह सेवा केवल ग्राहक की सुविधा के लिए प्रदान की जाती है और उसे इसका लाभ उठाने से पहले इस सेवा के लिए दिशानिर्देशों/नियमों और शर्तों के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। ड्रॉप बॉक्स में जमा किए गए लिखत को ठीक से निष्पादित किया जाना चाहिए और इसके साथ संलग्न जमा पर्ची के साथ जमा किया जाना चाहिए। बैंक ड्रॉप बॉक्स और/या रिवर्स एंट्री में जमा किए गए किसी भी उपकरण के संबंध में किसी भी क्रेडिट के लिए मना कर सकता है (बैंक का कोई दायित्व नहीं है), यदि लिखत अधूरा है, ठीक से निष्पादित नहीं है या पर्याप्त प्रमाण या दस्तावेज के साथ समर्थित नहीं है (आरबीआई विनियम के अनुसार) या बैंक द्वारा विसंगतिपूर्ण या अपर्याप्त पाया जाता है। इस खंड के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में, बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। ग्राहक बैंक के साथ और उसके द्वारा संचार के लिए सभी लागतों को वहन करने का वचन देता है और ग्राहक के कृत्य या चूक से बैंक द्वारा होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति से बैंक को क्षतिपूर्ति करता है। बैंक किसी भी नुकसान या क्षति के लिए किसी भी दायित्व को स्वीकार नहीं करता है जो ग्राहक या किसी तीसरे पक्ष को किसी भी साधन के गैर-प्रसंस्करण या विलंबित प्रसंस्करण के कारण हो सकता है या ड्रॉप बॉक्स में जमा किया गया चेक या जमा पर्ची पर या अन्यथा खाता संख्या की स्पष्टता/ओवरराइटिंग की कमी के कारण इच्छित खाते के अलावा किसी अन्य खाते में लिखतों की राशि जमा करने के कारण हो सकता है।

6. नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक सुपुर्दगी सेवाएं

ग्राहक स्वीकार करता है और सहमत होता है कि बैंक द्वारा निर्धारित सेवा की शर्तों के अनुसार नियुक्त नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक डिलीवरी सेवाओं के लिए नामित प्रतिनिधि निर्धारित समय के भीतर बैंक के निर्धारित प्रारूप के अनुसार बैंक को फैंक्स भेजने की व्यवस्था करेगा। कैश/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक की सुपुर्दगी के लिए बैंक और/या उसकी एजेंसी ग्राहक के स्थान पर अधिकतम एक घंटे तक प्रतीक्षा करेगी। बैंक ग्राहकों और सेवाओं का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों

को सेवाओं के संबंध में समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर की चेक डिलीवरी सेवाएं प्रदान करेगा। इस प्रयोजन के लिए, 'नामित प्रतिनिधि' का अर्थ ग्राहक द्वारा नियुक्त व्यक्ति/बैंक के ग्राहकों के लिए बैंक से नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक सुपुर्दाही सेवाओं का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों से है। ग्राहक इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए सहमत होता। ग्राहक स्वीकार करता है और सहमत होता है कि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक सुपुर्दगी भी केवल "आपको" देय अनुरोधित राशि के चेक के लिए ही लागू की जाएगी। ग्राहक स्वीकार करता है कि वह प्रतिकृति निर्देशों के लिए जोखिम परिचर के बारे में जानता है और बैंक किसी भी प्रतिकृति निर्देश पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं होगा, भले ही कोई त्रुटि / स्पष्टता / अधिकार या प्रामाणिकता की कमी हो और बैंक उसे पूरी तरह से अधिकृत और ग्राहक के लिए बाध्यकारी मान सकता है,

और बैंक द्वारा ग्राहक से फैंक्स निर्देश प्राप्त करना बैंक के कॉर्पोरेट वेतन खाता ग्राहक द्वारा बैंक के लिए उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्णायक निर्देश माना जाएगा। ग्राहक स्वीकार करता है और सहमत होता है कि बैंक/कॉर्पोरेट ग्राहक या फैंक्स या किसी भी कारण से अस्पष्ट निर्देशों की प्राप्ति में संचार उपकरण की किसी भी विफलता के मामले में गैर-वितरण/सेवाओं के विलंबित वितरण के कारण ग्राहक या उसके कर्मचारियों (जो सेवाओं का लाभ उठाते हैं) को हुई किसी भी हानि/क्षति के लिए बैंक जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा। ग्राहक इस बात से सहमत है कि बैंक ग्राहक द्वारा बैंक को दिए गए सभी दस्तावेजों/निर्देशों पर पूरी तरह से भरोसा करेगा और बैंक को उसके हस्ताक्षरकर्ताओं/निष्पादकों की सत्यता/प्राधिकरण और क्षमता के बारे में कोई और पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्राहक बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर बैंक को स्वीकार्य प्रारूप में अपनी सहमति देगा और बैंक द्वारा आवश्यक होने पर इसे बैंक को प्रस्तुत करेगा। इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सहमति पत्र प्रस्तुत करना एक शर्त है। सेवाओं का लाभ उठाने पर, ग्राहक को उपरोक्त सभी नियमों और शर्तों से सहमत और स्वीकार करने वाला माना जाएगा। हालाँकि बैंक उचित सावधानियों का उपयोग करेगा, पर ग्राहक स्वीकार करता है कि ये सेवाएं "कोई वारंटी या जोखिम के आधार पर" प्रदान नहीं की जाती हैं। ग्राहक इस बात से सहमत है कि इन सेवाओं को प्रदान करने वाले बैंक के संबंध में किसी भी अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, दंडात्मक या परिणामी लागत, क्षति या अन्यथा के लिए बैंक ग्राहक या किसी अन्य पक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा और सेवाओं के किसी भी दुरुपयोग के लिए बैंक उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा। ग्राहक इस संबंध में बैंक को हर्जाना देने के लिए सहमत है। ग्राहक सहमत है कि ग्राहक और/या किसी एजेंट या प्रतिनिधि द्वारा किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ग्राहक बैंक को हर्जाने और मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ग्राहक सहमत है कि नुकसान और मुआवजे में सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान के दावे, लागत, शुल्क, खर्च शामिल होंगे जो बैंक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन के कारण या उसके कारण हो सकते हैं (बैंक द्वारा या उसके खिलाफ किसी कार्रवाई या कार्यवाही के कारण शामिल)।

वैकल्पिक चैनलों के जरिए सेवाएं

ग्राहक सहमत है कि वैकल्पिक चैनलों के जरिए सेवाओं का लाभ निम्नलिखित नियमों और शर्तों के साथ-साथ बैंक की सामान्य व्यावसायिक शर्तों और समय-समय पर बैंक

द्वारा जारी किए गए खातों के संचालन के नियमों के साथ-साथ पेश किए गए नियमों के अधीन है या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर संशोधित है। वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से इन सेवाओं के लिए नियम और शर्तें शामिल होने के मामले में प्रासंगिक होना होना।

1. परिभाषाएं

19.1 व्यावसायिक घंटों का अर्थ उस समय अवधि से है जिसके लिए बैंक कार्य दिवसों पर व्यवसाय के लिए खुला रहता है और बैंक की प्रत्येक शाखा के लिए व्यवसाय के घंटे अलग-अलग हो सकते हैं, जैसा कि समय-समय पर सूचित किया जाता है।

19.2 कैश/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक सेवाओं" में कैश डिलीवरी सर्विस, कैश पिक-अप, चेक और डॉक्यूमेंट्स पिक-अप/डी लीवरी या बैंक द्वारा अपने

विवेकाधिकार पर बैंक और/या पार्सन्स के साथ सैलरी अकाउंट बनाए रखने वाली कोई अन्य सेवाएं या बैंक के ग्राहकों के लिए बैंक से इन सेवाओं का लाभ उठाने वाला व्यक्ति शामिल है।

19.3 "इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग" का अर्थ है किसी भी वैकल्पिक चैनल पर ग्राहक द्वारा प्राप्त सभी बैंकिंग लेनदेन और सुविधाएं।

2. सामान्य

वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से सेवाएं बैंक द्वारा अपने विवेक पर और केवल ग्राहक की सुविधा के रूप में दी जाती हैं। ग्राहक अपने जोखिम पर सेवा का लाभ उठा सकते हैं। शर्तों के अलावा, ग्राहक समय-समय पर बैंक द्वारा जारी वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से सेवाओं के उपयोग, पहुंच और संचालन के लिए दिशानिर्देशों का पालन करेगा। वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से सेवाएं केवल संयुक्त खाते के ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगी, इस खाते के संचालन के कई निर्देश हैं।

3. ग्राहक की पहचान (प्रस्तावना और प्रमाणीकरण)

बैंक द्वारा जारी पासवर्ड/पिन/यूजर आईडी या ग्राहक के अन्य पहचानकर्ताओं के माध्यम से ग्राहक के प्रमाणीकरण के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की अनुमति है। ग्राहक इसके द्वारा वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी लेनदेन को करने के लिए बैंक को (अपने पासवर्ड/पिन/उपयोगकर्ता आईडीआई का उपयोग करके) स्पष्ट अधिकार प्रदान करता है, प्रमाणीकरण के बाद और इसे ऐसे ग्राहक से निकला हुआ माना जाएगा। वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से प्राप्त किसी भी लेनदेन अनुरोध की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए बैंक का कोई दायित्व नहीं होगा या ग्राहक द्वारा भेजे जाने के अलावा अन्य माध्यमों के माध्यम से भेजा (पासवर्ड/पिन/यूजर आईडी का सत्यापन) ऐसे निर्देशों पर सदभावपूर्वक कार्य करने के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। यदि बैंक का मानना है कि वैकल्पिक चैनलों पर निर्देश ग्राहक द्वारा उचित रूप से अधिकृत नहीं किया गया है, तो बैंक यह जांचने के लिए उचित प्रयास करने के बाद कि क्या यह उचित रूप से अधिकृत था, इस तरह के निर्देश को पूरा करने से मना कर सकता है या किसी भी कार्रवाई को पलटने के लिए उस निर्देश के आधार पर

कदम उठा सकता है। बैंक, अपने विवेकाधिकार पर, वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से किसी भी निर्देश/निर्देशों को निष्पादित नहीं करने का निर्णय ले सकता है, जहां बैंक के पास यह मानने का कारण है कि निर्देश वास्तविक नहीं हैं या अन्यथा अनुचित या अस्पष्ट हैं या संदेह पैदा करते हैं।

ग्राहक/तीसरे पक्ष को किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, जो इस तरह के निर्देशों या उलटफेर से इनकार करने के परिणामस्वरूप होता है।

4. फैंक्स के माध्यम से ग्राहक को संचार

ग्राहक के अनुरोध पर, बैंक ग्राहक के खाते (खातों) के संबंध में फैंक्स ("फैंक्स") (ग्राहक द्वारा दिए गए फैंक्स नंबर पर) वित्तीय जानकारी (ग्राहक द्वारा मांगी गई)

द्वारा ग्राहक को भेज सकता है, जो शायद एक निजी और प्राकृतिक गोपनीय हो और ग्राहक किसी भी तरह से बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा, अगर ऐसी जानकारी किसी तीसरे पक्ष की जानकारी में आती है।

5. फैंक्स के माध्यम से निर्देश

ग्राहक फैंक्स के माध्यम से लिखित और हस्ताक्षरित निर्देश भेज सकता है। बैंक इन निर्देशों पर अपने विवेक से कार्य कर सकता है। यह सुनिश्चित करना ग्राहक की जिम्मेदारी है कि संचार की हार्ड कॉपी के साथ फैंक्स निर्देशों का पालन किया जाएगा।

ग्राहक स्वीकार करता है कि फैंक्स एक सुरक्षित माध्यम नहीं है और फैंक्स भेजने से पहले, ग्राहक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फैंक्स सही नंबर पर भेजा जा रहा है और यह सत्यापित करने के लिए बैंक को कॉल करें कि फैंक्स इच्छित प्राप्तकर्ता तक पहुंच गया है। ग्राहक यह भी स्वीकार करता है कि वह अपने जोखिम पर फैंक्स के माध्यम से निर्देश भेजेगा और फैंक्स के उपयोग से ग्राहक को हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

6. लेनदेन का अभिलेख/ रिकॉर्ड

कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से या अन्यथा बनाए गए वैकल्पिक चैनलों पर लेनदेन का केवल बैंक का अपना रिकॉर्ड(अभिलेख) ही बैंक द्वारा निर्णायक के रूप में स्वीकार किया जाएगा और सभी उद्देश्यों के लिए बैंक और ग्राहक के लिए बाध्यकारी होगा और ग्राहक बिना किसी आपत्ति या विरोध के बैंक के ऐसे रिकॉर्ड को स्वीकार करता है, वचन देता है और स्वीकार करने के लिए सहमत होता है। कुछ वैकल्पिक चैनलों की अंतर्निहित विशेषताओं के कारण, ग्राहक वैकल्पिक चैनलों पर ग्राहक द्वारा किए जाने वाले लेन-देन का एक प्रिंट निकालने में सक्षम हो सकता है। इसके बाद भी, केवल बैंक द्वारा अनुरक्षित रिकॉर्ड ही मान्य होगा। ग्राहक बिना शर्त स्वीकार करता है और वैकल्पिक चैनलों पर इसके लिए अनुरोध करने पर बैंक द्वारा किए गए या नहीं किए गए किसी भी लेनदेन का विरोध नहीं करने के लिए सहमत होता है।

7. पासवर्ड/पिन/एक्सेस

ग्राहक को वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से किसी भी सेवा का लाभ उठाने के

लिए बैंक द्वारा पासवर्ड/पिन/कार्ड और/या यूजर आईडी आवंटित किया जाएगा। ग्राहक को इसे एंटेम्पर-प्रूफ सीलबंद लिफाफे ("मेलर") में प्राप्त होगा। ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि मेलर को बिना किसी छेड़छाड़ के प्राप्त किया गया है, और यदि नहीं तो ग्राहक बैंक को तुरंत लिखित रूप में या फोन द्वारा सूचित करेगा। यदि लगातार तीन बार गलत पासवर्ड/पिन दर्ज किया जाता है (या समय-समय पर बैंक द्वारा तय किए गए प्रयासों की संख्या) तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से सेवाओं तक ग्राहक की पहुंच अक्षम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में बैंक एक विशिष्ट अंतराल के बाद स्वचालित रूप से पहुंच को पुनः सक्रिय कर सकता है।

यदि बैंक द्वारा निर्दिष्ट लगातार अवधि के लिए सेवाओं का उपयोग नहीं किया जाता है तो बैंक पासवर्ड/पिन/यूजर आईडी को अक्षम करने का निर्णय ले सकता है। ग्राहक एक्सेस को अस्थायी रूप से अक्षम करने का अनुरोध भी कर सकता है।

वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से सेवाओं तक पहुंच को फिर से सक्रिय करने के लिए, ग्राहक को बैंक को एक पत्र, फोन या इस तरह के अन्य मोड के माध्यम से बैंक को सूचित करना चाहिए, जैसा कि बैंक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, बैंक द्वारा आवश्यक या निर्धारित कुछ विवरण प्रदान करना और जानकारी प्रदान करना भेजा गया सही माना जाएगा।

8. पासवर्ड/पिन/यूजर आईडी की सुरक्षा और गोपनीयता

पासवर्ड/पिन/यूजर आईडी की सुरक्षा और गोपनीयता ग्राहक सहमत हैं और स्वीकार करता है कि वह अपने खाते के विवरण और पासवर्ड/पिन की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। ग्राहक को समय-समय पर दिशानिर्देशों में निर्धारित या ग्राहक को सूचित किए गए वैकल्पिक चैनलों के अपने उपयोग की सुरक्षा की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन की गई किसी भी अन्य आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल ग्राहक वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से एक्सेस करने और निर्देश देने में सक्षम हैं, उसे हर समय निम्नलिखित सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। (i) ग्राहक को अपना पासवर्ड/पिन नियमित रूप से बदलने होंगे या यदि बैंक द्वारा ऐसा करना आवश्यक हो; (ii) ऐसा पासवर्ड/पिन न चुनें, जिसका उसने पहले इस्तेमाल किया हो या जिसके बारे में किसी के द्वारा अनुमान लगाए जाने की संभावना हो; (iii) अपने पासवर्ड/पिन को हर समय सुरक्षित रखें और अपने पासवर्ड/पिन के किसी भी विवरण को किसी और को न बताएं (जिसमें संयुक्त खाता धारक या बैंक का सदस्य भी शामिल है); (iv) पासवर्ड/पिन को इस तरह से रिकॉर्ड न करें जिससे यह किसी तीसरे पक्ष के लिए पढ़ने में आसानी या सुलभ हो; (v) अधिमानतः पासवर्ड/पिन याद रखें और उसके बाद उसके किसी भी रिकॉर्ड को नष्ट कर दें; (vi) किसी को भी अपनी ओर से वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से सेवाओं को संचालित करने की अनुमति नहीं देगा; (vii) वैकल्पिक चैनलों पर लॉग इन होने पर किसी भी सिस्टम को अधूरा न छोड़ें और हर बार जब वह वैकल्पिक चैनल से लॉग आउट करने के लिए ऐसे सिस्टम से दूर जाता है; (viii) किसी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (या LAN) से जुड़े किसी उपकरण या उपकरण से वैकल्पिक चैनलों तक नहीं पहुंचना, जैसे कि एक बाहरी वातावरण में है। पहले यह सुनिश्चित किए बिना कि कोई और उसके पासवर्ड/पिन का निरीक्षण या प्रतिलिपि बनाने में सक्षम नहीं

है। उपरोक्त सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करने में उसकी ओर से किसी भी विफलता के कारण बैंक द्वारा किसी भी नुकसान की भरपाई होने पर ग्राहक बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

यदि ग्राहक को पता चलता है या संदेह है कि उसका पासवर्ड/पिन या उसका कोई भाग किसी और को ज्ञात है, तो उसे तुरंत वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से पासवर्ड/पिन स्वयं बदलना होगा। यदि यह संभव नहीं है, तो ग्राहक को कार्य समय के दौरान या फोन के माध्यम से तुरंत बैंक शाखा में बैंक को सूचित करना चाहिए। जब तक नया पासवर्ड/पिन सेट नहीं किया जाता है, बैंक वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से सेवाओं के उपयोग को निलंबित कर सकता है। इस तरह की अधिसूचना से पहले किया गया कोई भी लेनदेन पूरी तरह से ग्राहक के जोखिम और लागत पर होगा।

पासवर्ड/पिन/यूजर आईडी की हानि: यदि ग्राहक पासवर्ड/पिन भूल जाता है या खो जाता है, तो वह बैंक द्वारा निर्धारित तरीके से बैंक को सूचित करेगा जो अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर ग्राहक को नया पासवर्ड/पिन पुनः उत्पन्न करने और भेजने की व्यवस्था करता है।

9. ग्राहक का दायित्व/बैंक के अधिकार

9.1 बैंक ऐसी तकनीक लागू कर सकता है जो वह सुरक्षा सुनिश्चित करने और इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं तक अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए उचित नहीं समझे। बैंक सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का प्रयास करेगा, लेकिन ग्राहक को समझना होगा कि प्रौद्योगिकी की प्रकृति के कारण, प्रणाली को हर समय विश्वसनीय और छेड़छाड़-विरोधी रखना संभव नहीं हो सकता है।

9.2 ग्राहक स्वीकार करता है तथा बिना शर्त स्वीकार करता है तथा सहमत होता है कि यदि ग्राहक को तकनीकी खराबी या इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं और/या पासवर्ड के दुरुपयोग/अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरूप या किसी व्यक्ति को उसके बैंक खाते के बारे में बैंक द्वारा जानकारी प्रकट किए जाने के परिणामस्वरूप या पासवर्ड के उपयोग से इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं द्वारा प्राप्त लेन-देन या निर्देश से नुकसान होता है तो बैंक को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। यदि ग्राहक सुरक्षा और गोपनीयता आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, तो वह अनधिकृत उपयोग के लिए उत्तरदायी हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में इस ओर से बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

9.3 ग्राहक आगे सहमत होता है और स्वीकार करता है कि कंप्यूटर वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वर्म्स, लॉजिक बॉम्ब या अन्य बम या इसी तरह के क्रमादेश या नेमी के परिणामस्वरूप किसी भी नुकसान या क्षति (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

9.4 ग्राहक बैंक द्वारा लिखित मांग पर बैंक को तुरंत क्षतिपूर्ति करेगा और ग्राहक द्वारा इस समझौते की शर्तों के किसी भी तरह के उल्लंघन के

परिणामस्वरूप बैंक द्वारा किए गए किसी भी देनदारियों, क्षति, लागत, खर्च, दावों या मांगों या हानि के खिलाफ ग्राहक बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

9.5 इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन के संबंध में ग्राहक को इंटरनेट बैंकिंग धोखाधड़ी बीमा पॉलिसी प्रदान करने वाली बैंक की अतिरिक्त सेवा, यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है:-

a) बैंक अपनी लागत पर इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन के लिए भौगोलिक सीमा के भीतर और नियमों और शर्तों के अधीन और पॉलिसी में विशेष रूप से निर्धारित सीमा के अधीन बीमा लेगा।

b) ग्राहक अपने खाते में किसी भी ऐसे छलपूर्ण लेनदेन की सूचना तुरंत बैंक को देगा, जो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाता है और यह सूचना अपने शहर में उपलब्ध 24 घंटे फोन बैंकिंग नंबर पर कॉल करके बैंक को दी जा सकती है। बैंक ग्राहक की उपयोगकर्ता आईडी को तत्काल निष्क्रिय कर देगा ताकि आगे दुरुपयोग को रोका जा सके।

c) ग्राहक पासवर्ड की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और इसे सुरक्षित रखने के लिए सभी कदम उठाएगा, जैसा कि यहां दिया गया है। यदि इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो ग्राहक को स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट ("एफआईआर") दर्ज करानी होगी और इसकी एक प्रति तुरंत स्थानीय बैंक शाखा को एक कवरिंग लेटर के साथ इसकी सूचना देने के लिए भेजनी होगी।

9.6 ग्राहक को तब निम्नलिखित दस्तावेज बैंक को भेजने होंगे:

a) पुलिस अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार की गई "एफआईआर" रिपोर्ट;

b) हानि/विवादित लेनदेन का विवरण देने वाला पत्र।

c) बैंक द्वारा आवश्यक और बैंक की संतुष्टि के लिए अन्य सभी दस्तावेज.

9.7 बैंक ऊपर दिए गए आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 5 दिनों के भीतर विवादित राशि के लिए होल्ड चिह्न के साथ ग्राहक को अनंतिम जमा देगा।

9.8 लेन-देन की देयता अधिकतम 25,000 रुपये तक सीमित होगी, जो प्रति खाता अधिकतम 1,00,000 रुपये के अधीन होगी.

9.9 अपेक्षित दस्तावेजों के साथ किसी भी प्रत्यक्ष मौद्रिक नुकसान के बारे में ग्राहक की ओर से सूचना प्राप्त होने पर, नुकसान की रिपोर्ट करने

से पहले, बैंक इस तरह के छलपूर्ण लेनदेन के संबंध में अपनी जांच करने के लिए अधिकृत है। यदि इस तरह की जांच से ग्राहक या उसके परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों या उसके कर्मचारियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी का पता चलता है, तो बैंक ग्राहक को ऐसी पॉलिसी का लाभ देने से इनकार करने के अलावा ग्राहक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है। जांच के बाद ही अनंतिम जमा को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैंक की जांच के निष्कर्ष अंतिम और ग्राहक के लिए बाध्यकारी होंगे।

9.10 ग्राहक तब तक खाता बंद नहीं कर सकता जब तक कि बैंक द्वारा उक्त खाते के लिए होल्ड फंड जारी नहीं कर दिया जाता है।

9.11 हालांकि एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राहक को इस इंटरनेट बैंकिंग धोखाधड़ी बीमा पॉलिसी का लाभ तभी मिलेगा यदि:

- लेनदेन खाता अच्छी स्थिति में हो
- नुकसान की ऐसी रिपोर्टिंग से पहले, पिछले 12 महीनों के दौरान दो से अधिक अनधिकृत घटनाएं ना हुई हों और
- ग्राहक यह दर्शाए कि उसने इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड की सुरक्षा में लापरवाही नहीं की थी।

हालांकि इंटरनेट बैंकिंग धोखाधड़ी बीमा पॉलिसी के तहत बैंक की देयता सामान्य अपवर्जन के अधीन होगी जैसा कि यहां खंड 9 में उल्लिखित है और ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग हानि पॉलिसी के तहत कोई लाभ पाने का हकदार नहीं होगा यदि नुकसान खंड 9 में उल्लिखित किसी भी कारण से होता है।

10. लेनदेन प्रसंस्करण

वैकल्पिक चैनलों के जरिए लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए समय अलग-अलग हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें मैनुअल रूप से प्रसंस्करित किया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसंस्करित किया जाता है या इस बात पर कि उन्हें तुरंत अपडेट किया जा सकता है या उन्हें व्यावसायिक घंटों के बाद प्रसंस्करित किया जाता है। "भुगतान निर्देश" और अन्य तत्काल/महत्वपूर्ण अनुरोध को रोकने के लिए, ग्राहक को बैंक का अनुसरण करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक द्वारा इसे भौतिक रूप से रिकॉर्ड/कार्यान्वयित किया गया है।

ग्राहक द्वारा वैकल्पिक चैनलों के जरिए निर्देश दिए जाने के बाद, ग्राहक इसे उलटने में सक्षम नहीं होगा। बैंक ग्राहक द्वारा दिए गए निर्देश को उलटने के लिए बाध्य नहीं होगा, या किसी ऐसे निर्देश को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा जो सशर्त या प्रतिवर्ती है या जिसके लिए बैंक को किसी तीसरे पक्ष को जल्द से जल्द भुगतान करने की आवश्यकता होती है, वह निम्नलिखित सामान्य बैंकिंग आचरण के अनुसार भुगतान करने में सक्षम होता।

बैंक अपने विवेक से उस सीमा तक प्रविष्टि को उलटने का प्रयास कर सकता है, जो ग्राहक की कीमत पर बैंकिंग प्रणाली के नियमों और प्रथाओं के तहत संभव है।

ग्राहक एतद्वारा पुष्टि करता है और स्वीकार करता है कि निधि के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के जरिए भुगतान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40ए (3) के अधीन है।

वैकल्पिक चैनलों के जरिए सेवा के माध्यम से उपलब्ध वित्तीय जानकारी केवल संदर्भ उद्देश्यों के लिए है। इस सेवा के माध्यम से उपलब्ध खाता जानकारी उन लेन-देन को नहीं दर्शाएगी जो शायद बैंक के हाथों में हैं लेकिन जिन्हें प्रसंस्करित नहीं किया गया है या जिन्हें भुगतान के लिए अभी भी सत्यापित किया जाना है। ग्राहक या तीसरे पक्ष द्वारा किसी भी वित्तीय जानकारी के कारण या उसके परिणामस्वरूप हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

बैंक वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से प्राप्त निधि अंतरण और भुगतान लेनदेन को प्रभावित करने का प्रयास करेगा बशर्ते ग्राहक के खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो और बैंक के उचित नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण इनमें से कोई भी भुगतान करने में किसी भी चूक के लिए या देर से भुगतान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

11. सीमाएं

बैंक, अपने एकमात्र विकल्प पर, ग्राहक द्वारा वैकल्पिक चैनलों पर या अन्यथा किए गए किसी भी लेनदेन के लिए न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित और रीसेट करेगा। और ऐसी कोई भी सीमा खाते में शेष राशि की उपलब्धता के अधीन होगी। ऐसी सीमाएं शायद बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों पर आधारित हों।

दैनिक न्यूनतम/अधिकतम लेनदेन सीमाएं सभी एटीएम पर लागू होंगी और यह सीमाएं अलग-अलग बैंकों के नेटवर्क से संबंधित विभिन्न एटीएम के बीच देश-दर-देश और समय-समय पर भिन्न हो सकती हैं। विभिन्न एटीएम/नेटवर्क के माध्यम से लेनदेन के लिए इन सीमाओं में एकरूपता की कमी के कारण ग्राहक को होने वाली किसी भी हानि या असुविधा के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

12. वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से सेवाओं तक पहुंच

वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से सेवाओं तक पहुंच ग्राहक के अनुरोध पर और बैंक के विवेक पर उपलब्ध कराई जाएगी। बैंक के नियमों के अधीन, ग्राहक की आईडी से जुड़े सभी खाते वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से सुलभ हो सकते हैं। हालांकि, सुलभ होने वाले प्रत्येक खाते पर उपलब्ध लेनदेन की प्रकृति, उस खाते पर ग्राहक के परिचालन आदेश पर निर्भर करेगी। गैर-व्यक्तिगत ग्राहकों के मामले में, ग्राहक के अनुरोध के आधार पर उन व्यक्तियों को पहुंच प्रदान की जाएगी जो ग्राहक के उपयुक्त शासी निकाय द्वारा अधिकृत हैं।

13. निधियों की पर्याप्तता

ग्राहक सहमत होता है कि उसके खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर ही वह वैकल्पिक चैनलों का उपयोग करके अपने खाते से कोई भी नकदी

निकालने का प्रयास कर सकता है। खाते में पर्याप्त शेषराशि सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से ग्राहक पर है। यदि सीमा का उल्लंघन करने का कोई प्रयास किया जाता है, तो बैंक ग्राहक के लिए वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से सेवाओं को वापस ले सकता है या ऐसे अन्य कदम उठा सकता है जो बैंक को उचित लगे।

14. सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर

ग्राहक अपनी लागत पर, समय-समय पर लागू होने वाले ऐसे सभी सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर और संचार प्रणालियों की खरीद, रखरखाव और अद्यतन / उन्नयन करेगा, जो वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाने और उपयोग करने के लिए बैंक की प्रणाली के अनुकूल हैं। बैंक समय-समय पर अपने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम आदि को

बदलने या अपग्रेड करने के लिए स्वतंत्र होगा और ग्राहक के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम का समर्थन करने के लिए बाध्य नहीं होगा और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से केवल ग्राहक की होगी।

15. बौद्धिक संपदा

ग्राहक स्वीकार करता है और सहमत होता है कि किसी भी सेवा के साथ-साथ अन्य सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित सॉफ्टवेयर के सभी बौद्धिक संपदा अधिकार, जो वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से खाते तक पहुंचने वाली सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक हैं, बैंक या संबंधित विक्रेताओं की कानूनी संपत्ति हैं। बैंक खातों तक पहुंचने और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने के लिए बैंक द्वारा दी गई अनुमति सॉफ्टवेयर की बौद्धिक संपदा में किसी तरह के स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करेगी। ग्राहक उपर्युक्त सॉफ्टवेयर को संशोधित करने, अनुवाद करने, अलग करने, विघटित करने या रिवर्स इंजीनियर करने का प्रयास नहीं करेगा या सॉफ्टवेयर के स्रोत कोड की प्रतिलिपि बनाने या सॉफ्टवेयर के आधार पर कोई व्युत्पन्न उत्पाद बनाने का प्रयास नहीं करेगा।

16. चेतावनी/अलर्टस

बैंक केवल सूचना के लिए सभी या किसी भी ग्राहक को अलर्ट की सुविधा प्रदान कर सकता है और अपने विवेक से इसे बंद भी कर सकता है। खातों पर लेन-देन प्रचलित बैंकिंग पद्धति द्वारा निर्देशित होते रहेंगे और बैंक सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर कुछ पूर्व-निर्धारित अलर्ट प्रदर्शित कर सकता है। हालांकि, अलर्ट की समयबद्धता, पूर्णता, सटीकता और सफल प्रदायगी या प्राप्ति के लिए बैंक जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

17. फोन बैंकिंग सेवाएं

बैंक इस सेवा के तहत समय-समय पर स्टाफ सहायता के माध्यम से या स्वचालित फोन बैंकिंग सिस्टम पर डायल-इन विकल्पों के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर सकता है।

सुरक्षा उद्देश्यों के लिए और ग्राहकों और उसके कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए और विवादों को सुलझाने में मदद करने के लिए, यदि कोई हो तो, बैंक अपने विवेक पर, ग्राहक और बैंक के बीच टेलीफोन पर बातचीत को टेप या रिकॉर्ड

कर सकता है, इसका रिकॉर्ड भी रख सकता है, साथ ही ग्राहक के निर्देशों को भी सुन सकता है, और ग्राहक उपरोक्त के लिए अपनी सहमति देता है।

18. इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं

बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए यथोचित व्यावहारिक कदम उठाएगा कि इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणालियों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय हों; साथ ही बैंक किसी भी लागू कानून, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, आचार संहिता और प्रचलित बाजार प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रणालियों के संचालन में जोखिमों को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए भी उचित कदम उठाएगा। ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग में शामिल जोखिमों, जिम्मेदारियों और देनदारियों से अवगत है और उसने उचित विचार के बाद ही इसका लाभ उठाया है।

ग्राहक प्रतिनिधित्व करता है और आश्वासन देता है कि उसे कंप्यूटर/इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, ईमेल और इंटरनेट का पूरा ज्ञान है जो ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा।

19. अपूर्ण लेनदेन

धन के अंतरण के लिए भुगतान निर्देश, ग्राहक द्वारा किए गए लेन-देन के संबंध में और जो व्यक्तियों के कार्यों या चूक से पूरा नहीं होता है, ऐसे भुगतान निर्देश लागू किए गए हैं। बैंक ग्राहक के ऐसे लेनदेन के लिए जिम्मेदार और/या उत्तरदायी या शामिल नहीं होगा जो अमल में नहीं आ रहा है या पूरा नहीं हो रहा है।

ग्राहक के निर्देशों के अनुसार धन के अंतरण के लिए कोई भी लेनदेन किसी भी कारण से पूरा नहीं हो सकता है और लेनदेन के ऐसे गैर-भौतिकीकरण और/या गैर-पूर्ण होने के लिए बैंक किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। ग्राहक समझता है कि बैंक केवल ग्राहक के निर्देशों के अनुसार धन के अंतरण की सेवाएं प्रदान कर रहा है।

20 वायरस से बचाव:

ग्राहक को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित व्यावहारिक उपाय करने चाहिए कि ग्राहक का सिस्टम या कोई भी कंप्यूटर या अन्य उपकरण जिससे ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करता है, किसी भी सॉफ्टवेयर बम, ट्रोजन हॉर्स और वर्म्स (UViruses") के रूप में जाने जाने वाले कंप्यूटर वायरस या समान सॉफ्टवेयर/डिवाइस से मुक्त है और इसे पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखा गया है।

हालाँकि बैंक अपनी वेबसाइट पर वायरस और ऐसी अन्य विनाशकारी सामग्री को रोकने के लिए कदम उठाएगा, लेकिन यह इस बात की वारंटी या गारंटी नहीं देता है कि बैंक की वेबसाइट या उससे लिंक की गई वेबसाइटों से डाउनलोड की गई सामग्री में ऐसा वायरस या विनाशकारी सामग्री नहीं है। ऐसे वायरस या विनाशकारी सामग्री के कारण होने वाली किसी भी क्षति या नुकसान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं है। बैंक इस बात की गारंटी नहीं देता है कि बैंक की वेबसाइट या उसके कार्य निर्बाध या किसी त्रुटि या दोष से मुक्त होंगे।

21. वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से सेवाओं के लिए दायित्व की सीमा:

ग्राहक को इंटरनेट बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने/नहीं कराने के परिणामस्वरूप ग्राहक को हुई किसी भी हानि या क्षति, चाहे वह प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, परिणामी, दूरस्थ या विशेष हो, के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। नीचे उन परिस्थितियों की उदाहरणात्मक सूची (लेकिन संपूर्ण नहीं) है जिनमें बैंक ग्राहक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा:

जब अप्रत्याशित घटना या तकनीकी खराबी के कारण ऐसी हानि या क्षति होती है; जब ग्राहक की प्रणाली और बैंक की प्रणाली के बीच कोई असंगति हो;

जब ग्राहक या किसी अन्य द्वारा ग्राहक के सिस्टम का कोई दुरुपयोग किया गया हो; जब इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग के परिणामस्वरूप किसी तीसरे पक्ष द्वारा ग्राहक के खाते के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी हो; जब ग्राहक का

पासवर्ड/पिन किसी तीसरे पक्ष द्वारा उपयोग किया जाता हो; प्रसारण के दौरान या अन्यथा कोई भी डेटा, सूचना या संदेश की

हानि/विरूपण/भ्रष्टाचार/विलंब; ऐसे किसी डेटा, सूचना या संदेश में कोई

हानि/विलंब, रुकावट, या यदि बैंक के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण खातों तक पहुंच वांछित तरीके से उपलब्ध नहीं है; व्यावसायिक घंटों के दौरान वैकल्पिक चैनल सेवाओं की अनुपलब्धता।

डेबिट-सह-एटीएम कार्ड सेवाएं

ग्राहक सहमत होता है कि डेबिट-सह-एटीएम कार्ड सेवाओं का लाभ निम्नलिखित नियमों और शर्तों के साथ-साथ बैंक की सामान्य व्यावसायिक शर्तों और समय-समय पर बैंक द्वारा जारी किए गए खातों के संचालन के नियमों और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर पेश या संशोधित किए गए नियमों और विनियमों के अधीन है। नियम और शर्तें शामिल होने की स्थिति में, डेबिट-सह-एटीएम कार्ड सेवाओं के लिए नियम और शर्तें प्रासंगिक होंगी।

1. सामान्य

यहाँ पुलिंग के संदर्भ में स्त्रीलिंग शामिल होगा

2. परिभाषा

"खाता धारक" वह व्यक्ति है जिसके पास बैंक में बचत खाता या चालू खाता या किसी अन्य प्रकार का खाता है। "जवाबदेह शाखा" बैंक की ऐसी शाखा होती है जहां ग्राहक का खाता रखा जाता है और बैंक द्वारा नामित कोई अन्य शाखा।

"अधिकृत डीलर" एक व्यक्ति या विदेशी बैंकिंग इकाई को संदर्भित करता है जो विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूतियों में सौदा करने के लिए अधिकृत है जैसा कि फेमा की धारा 2 © में वर्णित है।

"कार्ड" कार्डधारक को जारी किए गए डॉयचे बैंक एजी डेबिट-सह-एटीएम कार्ड को संदर्भित करता है जिसमें बैंक द्वारा पेश किए गए क्लासिक और गोल्ड

डेबिट कार्ड और बैंक द्वारा समय-समय पर पेश किए गए कोई भी अन्य बदलाव शामिल हैं।

"कार्डधारक" उस बैंक के ग्राहक को संदर्भित करता है जिसे कार्ड जारी किया गया है या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे बैंक के ग्राहक द्वारा कार्ड का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसे बैंक ने कार्ड जारी किया है और जो कार्ड रखने और उपयोग करने के लिए अधिकृत है।

"कार्ड खाता" का अर्थ है कोई भी बचत खाता और/या चालू खाता और/या किसी अन्य प्रकार का खाता जिसे बैंक द्वारा (नकद क्रेडिट/ऋण खातों को छोड़कर) कार्ड के उपयोग के माध्यम से संचालन के लिए पात्र खाते के रूप में नामित किया गया है, चाहे कार्ड जारी करने के साथ-साथ निर्दिष्ट किया गया हो या बाद में ऐसा किया गया हो।

"एनसीएएसएसटी" का अर्थ है ग्राहक सक्रिय बिक्री और सेवा टर्मिनल (जिसे "टच एक्सेस बैंकिंग टर्मिनल" भी कहा जाता है), चाहे वह भारत में हो या विदेश में, चाहे वह बैंक का हो या एक साझा नेटवर्क का जिस पर अन्य बातों के अलावा, कार्डधारक अपने कार्ड खाते तक पहुंचने और अपने कार्ड खाते पर लेनदेन करने के लिए अपने कार्ड का उपयोग कर सकता है।

"निक्षेपागार" का अर्थ है कोई भी मशीन/उपकरण, चाहे वह भारत में हो या विदेश में, चाहे वह बैंक का हो या साझा नेटवर्क का, जिस पर अन्य बातों के अलावा, कार्डधारक अपने कार्ड का उपयोग अपने कार्ड खाते तक पहुंचने और अपने कार्ड खाते में धनराशि जमा करने के लिए कर सकता है।

"ईडीसी" का अर्थ है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैपचर टर्मिनल, प्रिंटर, पिन पैड और उपकरणों को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित अन्य सहायक उपकरण, चाहे वह भारत में हो या विदेशों में, चाहे बैंक का हो या किसी साझा नेटवर्क का, जिस पर अन्य बातों के अलावा, कार्डधारक एक व्यापारी प्रतिष्ठान में लेनदेन की प्रक्रिया के लिए देश भर में बैंक के पास अपने कार्ड खाते में अपने धन का उपयोग कर सकते हैं।

"EXIM" भारत की निर्यात आयात नीति को संदर्भित करता है, जैसा कि समय-समय पर सभी संशोधनों सहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है। "अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन" कार्डधारक द्वारा भारत, नेपाल और भूटान के बाहर अपने कार्ड पर किए गए लेनदेन को संदर्भित करता है।

"खोया/चोरी कार्ड बीमा" का तात्पर्य बैंक द्वारा कार्ड धारक को चोरी या खोए कार्ड के संबंध में बीमा प्रदान करने की अतिरिक्त सेवा से है, जो यहाँ खंड 12 में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है।

"खोया/चोरी कार्ड बीमा पॉलिसी का तात्पर्य बैंक द्वारा एक प्रतिष्ठित बीमा कंपनी के साथ खोए या चोरी हुए कार्ड के संबंध में ली जाने वाली पॉलिसी से है और जैसा कि यहां विशेष रूप से खंड 12 में कहा गया है।

"भाग लेने वाले एटीएम" (PA)में बैंक की स्वचालित टेलर मशीनें (ATM)और

अन्य बैंकों (OB)से संबंधित एटीएम शामिल हैं जो वीज़ा कार्ड इंटरनेशनल के साझा भुगतान नेटवर्क में भाग ले रहे हैं और " " सेवा चिह्न प्रदर्शित करते हैं, जिस पर कार्डधारक अपने कार्ड खाते में अपने धन का उपयोग करने के लिए कार्ड का उपयोग कर सकता है।

"भाग लेने वाले व्यापारी प्रतिष्ठान" (पीएमई) का अर्थ ऐसे प्रतिष्ठान होंगे जो वीज़ा कार्ड अंतर्राष्ट्रीय साझा भुगतान नेटवर्क का हिस्सा हैं और लेनदेन करने के लिए "*" टर्मिनल पर कार्ड को स्वीकार करने के लिए "*" सेवा चिह्न (मुद्रित लोगो) प्रदर्शित करते हैं और कार्ड को स्वीकार करने के रूप में विज्ञापित अन्य संगठनों के अलावा, स्टोर, दुकानें, रेस्तरां, होटल, एयरलाइंस और अन्य संगठन शामिल होंगे।

"पिन" का अर्थ है बैंक द्वारा कार्डधारक को आवंटित या कार्डधारक/बैंक द्वारा समय-समय पर कार्ड के संबंध में चुनी गई व्यक्तिगत पहचान संख्या।

"पीओएस" का अर्थ है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल।

"प्राथमिक खाता" का अर्थ ऊपर वर्णित खातों में से एक है, जिसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों या वीज़ा/प्लस एटीएम स्थानों पर किए गए लेनदेन के लिए डेबिट किया जाएगा।

"कार्यक्रम" डॉयचे बैंक गोल्ड डेबिट कार्ड रिवॉर्ड कार्यक्रम को संदर्भित करता है जैसा कि यहां खंड 17 में विस्तार से बताया गया है।

"अंक" कार्यक्रम के तहत दिए गए रिवॉर्ड/ लॉयल्टी अंक को संदर्भित करता है।

"सैंक" डॉयचे बैंक एजी और इसकी सभी शाखाओं को संदर्भित करता है और इसमें इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल हैं।

"बिक्री पर्ची" का अर्थ वीज़ा टर्मिनल पर या सहभागी व्यापारी प्रतिष्ठान द्वारा एआईपीएमई/टर्मिनल पर कार्डधारक द्वारा किए गए लेन-देन के मूल्य को दर्शाने वाली एक पर्ची है, जिसे कार्डधारक द्वारा अपने पास रखा जाना है।

"टर्मिनल" में भाग लेने वाले व्यापारी प्रतिष्ठान के स्थान पर कार्डधारक के लेनदेन को संसाधित करने के लिए उपकरणों को चलाने के लिए आवश्यक सभी सॉफ्टवेयर, परिधीय और सहायक उपकरण शामिल हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर (ईडीसी) टर्मिनल, वीज़ा टर्मिनल, प्रिंटर, व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) पैड शामिल हैं।

"लेन-देन" का अर्थ है कार्डधारक द्वारा कार्ड का उपयोग करते हुए पीए और टर्मिनल पर सीधे या परोक्ष रूप से कार्ड का उपयोग करके कार्ड खाते तक पहुंच द्वारा लेनदेन को प्रभावित करने के लिए दिया गया कोई भी निर्देश।

"वीज़ा" का अर्थ वीज़ा इंटरनेशनल के स्वामित्व वाला चिह्न होगा।

"वीज़ा इलेक्ट्रॉन" का अर्थ वीज़ा इंटरनेशनल के स्वामित्व वाला चिह्न होगा।

"वीज़ा/प्लस एटीएम नेटवर्क" का अर्थ भारत और विदेशों में विभिन्न स्थानों पर स्थित एटीएम होगा जो कार्ड को स्वीकार करते हैं और वीज़ा/प्लस या वीज़ा इलेक्ट्रॉन प्रतीकों को प्रदर्शित करते हैं।

3. प्रयोज्यता:

3.1 कार्ड का निर्गम और उपयोग समय-समय पर लागू भारतीय रिज़र्व बैंक ("RBI") के विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक के विनिमय नियंत्रण विनियमों, फेमा, फेमा के अंतर्गत बनाए गए सभी नियमों और विनियमों, जारी अधिसूचनाओं/परिपत्रों और समय-समय पर लागू कोई

अन्य संगत अधिनियम के अधीन होगा। कार्ड का उपयोग भारत और विदेशों में किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग नेपाल और/या भूटान में विदेशी मुद्रा के आहरण के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, कार्ड भारत, नेपाल और भूटान में व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए मान्य नहीं है, अर्थात्, नेपाल या भूटान में कार्ड का उपयोग करते समय लेनदेन की मुद्रा उन देशों की स्थानीय मुद्रा या भारतीय रुपये में होनी चाहिए। कार्डधारक फेमा और अन्य संबंधित नियमों के गैर-अनुपालन की स्थिति में कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

3.2 किसी भी नियम और शर्तों या किसी नियम या विनियम के चूक या गैर-अनुपालन की स्थिति में, कार्डधारक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैध डेबिट-सह-एटीएम कार्ड रखने से रोका जा सकता है।

3.3 कार्ड का इस्तेमाल विदेश जाने वाले कार्डधारकों द्वारा समय-समय पर आरबीआई द्वारा निर्धारित विदेशी मुद्रा पात्रताओं के भीतर व्यक्तिगत उपयोग के लिए सभी वास्तविक व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया जा सकता है, बशर्ते विदेश यात्रा के दौरान निकाला गया कुल विनिमय पात्रता से अधिक न हो। विदेशों में खरीदी गयी वस्तुओं का भारत में आयात बैगेज नियमों/एक्जिम नीति द्वारा शासित होगा।

3.4 कार्डधारक को बेसिक ट्रेवल कोटा (बीटीक्यू) के तहत विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए अपने पासपोर्ट के पीछे हस्ताक्षर करने चाहिए। विनिमय की पात्रता (यात्रा से पहले) बैंक के प्राधिकृत डीलर/अधिकृत डीलर शाखाओं से सुनिश्चित की जानी चाहिए जिनके माध्यम से प्रतिपूर्ति का सत्यापन किया जा रहा है। कार्ड का उपयोग उन विप्रेषणों को प्रभावी करने के लिए नहीं किया जा सकता है जिनके लिए मौजूदा/प्रचलित विनियमों के तहत विनिमय जारी करने की अनुमति नहीं है।

3.5 कार्डधारक, यदि वह चाहे तो, एक अधिकृत डीलर/पूर्ण मुद्रा परिवर्तक से पात्रता की सीमा तक विदेशी मुद्रा नोटों/ट्रैवलर्स चेक के रूप में कार्ड के विरुद्ध विदेशी मुद्रा आहरित कर सकता है। पात्रता से बाहर ऐसे विदेशी मुद्रा नोटों/ट्रैवलर्स चेक की बिक्री मौजूदा विनियमों द्वारा शासित होगी और लागू उच्चतम सीमा के अधीन होगी। कैलेंडर वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा के अधिकृत डीलर से विदेशी मुद्रा नोटों/ट्रैवलर्स चेक के रूप में निकाले गए विनिमय का पासपोर्ट पर पृष्ठांकित किया जाना चाहिए।

3.6 कार्ड का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए प्रेषण को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जा सकता है जिनके लिए मौजूदा नियमों के तहत विनिमय जारी करने की अनुमति नहीं है जैसे कि (क) निर्धारित/प्रतिबंधित सूची में पत्रिकाओं की सदस्यता; (ख) पूल, स्वीपस्टेक्स, लॉटरी इत्यादि की सदस्यता (ग) उत्पादों/सेवाओं को बेचने वाली इंटरनेट साइटों की

सदस्यता जिसके लिए विदेशी मुद्रा जारी करने की अनुमति नहीं है। बैंक इस तरह के उल्लंघन की पूरी जानकारी देते हुए विनिमय नियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उल्लंघन की ऐसी स्थिति में, कार्डधारक के कार्ड का उपयोग करने का अधिकार तत्काल निर्धारित किया जाएगा।

3.7 किसी भी परिस्थिति में कार्डधारक के पात्रता से अधिक होने के आधार पर कार्ड बिल/बकाया के भुगतान में देरी या इनकार नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह की अधिक पात्रता के लिए कार्डधारक पर दावा करने या भुगतान की मांग करने के लिए बैंक पर कोई दायित्व नहीं होगा और भुगतान न करने पर कार्डधारक अपनी कार्ड सदस्यता वापस लेने के जोखिम के लिए उत्तरदायी होगा।

3.8 यदि कार्ड रद्द कर दिया जाता है, चाहे वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विनिमय नियंत्रण विनियमों के गैर-अनुपालन के कारण हो और समय-समय पर संशोधित हो या अन्यथा, भारत या विदेश में कार्ड के किसी भी प्रयास के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप कार्ड अस्वीकृत हो जाएगा।

3.9 फेमा, या उसके संशोधनों, सभी नियमों और विनियमों, उसके तहत जारी अधिसूचनाओं, विनिमय नियंत्रण नियमावली, प्रचलित सामान नियमों और लागू एक्जिम नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने का दायित्व पूरी तरह से कार्डधारक के पास है।

3.10 कार्डधारक इन नियमों और विनियमों के उल्लंघन में उसके गलत उपयोग के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता है और बैंक को कार्डधारक के कारण होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, ब्याज, रूपांतरण, किसी भी अन्य वित्तीय लागत, शुल्क या खर्च को पूरा करने के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है।

4. कार्ड के लाभ:

4.1 कार्डधारक अनुमत पीएमई पर भुगतान कर सकता है और एटीएम/पीओएस उपकरणों पर कार्ड के उपयोग के माध्यम से अपने कार्ड खाते की शेष राशि के बारे में जानकारी का पता लगा सकता है। इस तरह के लेनदेन के लिए वीजा नियमों के अनुसार प्रोसेसिंग शुल्क, रूपांतरण शुल्क / शुल्क, यदि कोई हो, के साथ कार्ड खाता जिस मुद्रा में है, उसके बराबर कार्डधारक के कार्ड खाते से डेबिट किया जाएगा। कार्ड भारत और विदेशों में वीजा इलेक्ट्रॉन सेवा के भीतर एटीएम और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में उपयोग के लिए मान्य है। बैंक कार्डधारक को उचित सूचना के बाद समर्थित लेनदेन के प्रकारों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कार्ड पर दर्शाए गए महीने के अंतिम कार्य दिवस तक कार्ड वैध होगा।

5. स्वीकार्यता:

5.1 कार्ड केवल भारत और विदेश में पीएम और टर्मिनल पर बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत लेन-देन के साथ-साथ बैंक द्वारा निर्दिष्ट अन्य भुगतान विधियों के लिए स्वीकार्य होगा।

6. संपत्ति:

6.1 कार्ड बैंक की संपत्ति है और अनुरोध पर बिना किसी आपत्ति के बैंक के अधिकृत व्यक्ति को वापस कर दिया जाना चाहिए। कार्डधारक को कार्ड सौंपने से पहले बैंक के अधिकृत व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करनी होगी। कार्ड हस्तांतरणीय नहीं है। यदि कार्डधारक द्वारा सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह जाती है या बैंक द्वारा किसी भी कारण से सेवाओं को वापस ले लिया जाता है, तो कार्डधारक कार्ड को रद्द करने के लिए बैंक को कार्ड वापस कर देगा। बैंक, अपने पूर्ण विवेकाधिकार में, एक ही नियम और शर्तों या ऐसे अन्य नियमों और शर्तों पर एक प्रतिस्थापन कार्ड या पिन या दोनों जारी कर सकता है, जैसा कि बैंक उचित समझे। कार्डधारक कार्ड की समय सीमा समाप्त होने पर उसे 2 हिस्सों में तिरछा काटकर नष्ट कर देगा। बैंक कार्ड की समाप्ति से पहले कार्डधारक को नवीनीकृत कार्ड भेजेगा। कार्डधारक द्वारा बनाए गए सभी खातों को बंद करने के मामले में, कार्डधारक कार्ड को तुरंत वापस करने के लिए बाध्य है। खाताधारक के सभी खाते बंद कर दिए जाने के बाद नामांकित व्यक्ति के कार्ड भी तुरंत लौटा दिए जाने चाहिए। पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन, कार्ड और/या पिन के अनुचित/धोखाधड़ी/अनधिकृत/डुप्लिकेट/गलत उपयोग के मामले में, तीसरे पक्ष के हाथ में कार्ड के माध्यम से या किसी तीसरे पक्ष के ज्ञान में आने वाले पिन के माध्यम से गुम/चोरी कार्ड बीमा पॉलिसी के तहत, जैसा कि खंड 12 में विस्तार से बताया गया है और पॉलिसी की शर्तों और यहां उल्लिखित शर्तों के अधीन है, कवर की गई देयता के संबंध में और सीमा तक को छोड़कर कार्डधारक बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा।

7. कार्डधारक की बाध्यता:

- 7.1 कार्ड के संबंध में बैंक द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं और सभी संबंधित शुल्कों के लिए कार्डधारक जिम्मेदार होगा। कार्डधारक कार्ड प्राप्त होने पर तुरंत हस्ताक्षर करेगा और इसे सुरक्षित स्थान पर रखेगा और किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कार्ड का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।
- 7.2 कार्डधारक निम्नलिखित के बारे में जागरूक होने के तुरंत बाद बैंक को सूचित करेगा:
- कार्ड का खो जाना या चोरी हो जाना या उसकी नकल करना या ऐसे साधन जो इसे इस्तेमाल करने में सक्षम बनाते हैं;
 - किसी भी अनधिकृत लेनदेन की कार्डधारक के कार्ड खाते में रिकॉर्डिंग;
 - बैंक द्वारा उस कार्ड खाते को बनाए रखने में कोई त्रुटि या अन्य अनियमितता।
- 7.3 कार्ड के खो जाने या चोरी हो जाने पर कार्डधारक तुरंत स्थानीय पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करेगा और एक कवरींग लेटर के साथ इसकी एक प्रति बैंक को इसकी सूचना देने के लिए भेजेगा।
- 7.4 कार्डधारक कार्ड का उपयोग करके किए गए लेनदेन को रद्द नहीं करेगा।
- 7.5 कार्डधारक इस बात से सहमत है कि उसे समय-समय पर घोषित प्रति कैलेंडर दिन में, कार्ड खाते में जमा शेष राशि पर ध्यान दिए बिना, केवल एक निश्चित राशि की नकद/खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं को निकालने की अनुमति होगी।
- 7.6 कार्डधारक इस बात से सहमत है कि जब तक कार्ड खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो, तब तक वह कार्ड का उपयोग करके निकासी/खरीद का प्रयास नहीं करेगा। कार्ड खाते में पर्याप्त शेष राशि सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह उसी पर है। कार्ड खाते से अधिक आहरण होने की स्थिति में, उसे समय-समय पर बैंक द्वारा लगाए गए शुल्क और दंडात्मक ब्याज के साथ खाते की शेष राशि की स्थिति में तुरंत सुधार करना होगा। ये शुल्क बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और समय-समय पर घोषित किए जाएंगे।
- 7.7 यदि लेन-देन के कारण कार्डधारक का कार्ड खाता आहरित हो जाता है, तो बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह कार्डधारक के किसी भी अन्य खाते में संयुक्त रूप से या अकेले रखे गए किसी भी जमा के लिए बिना कोई नोटिस दिए इस राशि को सेट-ऑफ कर सकता है और कार्डधारक इसके द्वारा विशेष रूप से बैंक को ऐसा करने के लिए अधिकृत करता है।
- 7.8 इन नियमों और शर्तों में कुछ भी, समय-समय पर बैंक और कार्डधारक

के बीच अस्तित्व में रहने वाले कानून या किसी अन्य समझौते के अनुसार सेट-ऑफ, ट्रांसफर और पैसे के आवेदन के बैंक के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

7.9 बैंक द्वारा अनुरोध किए जाने पर, कार्डधारक अपने कार्ड खाते के संबंध में सभी या किसी भी मामले से संबंधित सभी जानकारी, रिकॉर्ड या प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

7.10 पिन का खुलासा कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें बैंक के कर्मचारी और अन्य बैंक भी शामिल हैं, जिनके एटीएम को प्रतिभागी एटीएम कहा जाता है, पीएमई के अधिकारी, जो किसी तीसरे पक्ष के लिए सुगम या अन्यथा सुलभ हो, चाहे इस तरह के रिकॉर्ड तक पहुंच ईमानदारी से या बेईमानी से प्राप्त की गयी हो।

7.11 कार्डधारक स्वीकार करता है कि उसके अनुरोध और जोखिम पर, बैंक उसे अब दिए गए किसी भी लिखित स्थायी निर्देश के अलावा कार्ड का उपयोग करके लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है।

7.12 कार्डधारक के निर्देशों पर, व्यवसाय के सामान्य क्रम में बैंक द्वारा सद्भावपूर्वक कार्य करने के कारण, कार्डधारक बैंक को जवाबदेह नहीं ठहराएगा।

7.13 ऐसे निर्देशों का पालन करते हुए, बैंक सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर ऐसा करेगा और कार्डधारक के किसी भी निर्देश पर तत्काल कार्रवाई करने में देरी या अक्षमता के कारण बैंक किसी भी तरह से उत्तरदायी/जिम्मेदार नहीं होगा।

7.14 यहां दिए गए कार्ड खातों के संबंध में दायित्व केवल उस बैंक शाखा में देय हैं जहां खाता या डिपॉजिट खोला गया था और यह स्थानीय कानूनों के अधीन हैं (वित्तीय और विनियम नियंत्रण नियमों सहित, बिना किसी सीमा के, कोई भी सरकारी कार्य, आदेश, डिक्री और विनियम शामिल हैं)। परिवर्तनीयता या हस्तांतरणीयता, मांग, अनैच्छिक स्थानान्तरण, युद्ध या नागरिक हड़ताल के कृत्यों या बैंक के नियंत्रण से परे अन्य समान कारणों के कारण कार्ड खातों में जमा धन की अनुपलब्धता के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा, ऐसी स्थिति में बैंक की कोई अन्य शाखा, सहायक या सहयोगी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

8. वित्तीय उत्तरदायित्व:

8.1 The कार्डधारक बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं और सभी संबंधित शुल्कों के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा और बैंक के साथ कार्ड के संबंध में सभी लेनदेन के संबंध में सद्भावपूर्वक कार्य

करेगा। कार्ड के माध्यम से दिया गया कोई भी निर्देश अपरिवर्तनीय होगा। कार्डधारक, सभी परिस्थितियों में, कार्ड के उपयोग के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करेगा, चाहे वह उसके ज्ञान या उसके अधिकार के साथ संसाधित हो या न हो, व्यक्त हो या निहित हो। कार्डधारक बैंक को किसी भी निकासी या अंतरण की राशि के साथ अपने प्राथमिक खाते को डेबिट करने या बैंक के लेनदेन के रिकॉर्ड के अनुसार कार्ड के उपयोग से प्राप्त होने वाले किसी भी निर्देश को पूरा करने के लिए अधिकृत करता है।

8.2 ट-सह-एटीएम कार्ड सुविधा के उपयोग से उत्पन्न कोई भी दायित्व खाताधारक या कार्डधारक द्वारा किसी अन्य को हस्तांतरणीय नहीं होगा।

9. एटीएम, पीओएस टर्मिनल और अन्य भुगतान विधियों से संबंधित सामान्य शर्तें:

9.1 एक से अधिक खाते:

- (a) कार्डधारक इस बात से सहमत होता है कि यदि बैंक में उसके एक से अधिक खाते हैं, तो बैंक उन कार्ड खातों की संख्या तय करेगा, जिन पर कार्ड की सुविधा होगी।
- (b) एक से अधिक खातों से जुड़े कार्ड के मामले में, साझा नेटवर्क और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लेनदेन केवल प्राथमिक खाते पर ही प्रभावित होंगे। यदि इस खाते में कोई धनराशि नहीं है, तो बैंक लेनदेन को स्वीकार नहीं करेगा, भले ही उसी कार्ड से जुड़े अन्य कार्ड खातों में धन उपलब्ध हो।
- (c) बैंक कार्ड के उपयोग से देय वस्तुओं या सेवाओं, नकद, शुल्क, फीस और भुगतान की सभी खरीद के मूल्य के लिए कार्ड खातों से राशि डेबिट करेगा। सभी लेन-देन कार्ड खाते से संबंधित खाता विवरण में दर्शाए जाएंगे। इस तरह के विवरण कार्डधारक को प्रत्येक तिमाही में बैंक को अंतिम बार सूचित किए गए डाक पते पर भेजे जाएंगे।
- (d) कार्डधारक सहमत है कि उसके खाते से संबंधित लेनदेन का बैंक का रिकॉर्ड निर्णायक और प्रामाणिक है, जो उस पर बाध्यकारी होगा।

9.2 एटीएम, पीओएस और अन्य भुगतान विधि का उपयोग:

- (a) कार्ड एटीएम स्थानों पर गोपनीय पिन की सहायता से संचालित होता है। पिन के उपयोग से किए गए सभी लेनदेन कार्डधारक की जिम्मेदारी होगी।
- (b) कार्ड जारी करने के दौरान कार्डधारक को एक सीलबंद लिफाफे में पिन

दिया जाएगा और कार्डधारक यह सुनिश्चित करेगा कि वह एक सीलबंद लिफाफे में प्राप्त हो।

- (c) पिन को कार्ड पर नोट नहीं किया जाना चाहिए और कार्ड के साथ नहीं रखा जाना चाहिए।
- (d) यदि कार्डधारक इस तरह की सुविधा की उपलब्धता के आधार पर इसे बदलना चाहता है तो वह अपना पिन (कोई भी 4-अंकीय संख्या) चुन सकता है। ऐसे मामले में, कार्डधारक को ऐसे पिन का चयन नहीं करना चाहिए जो उसके साथ आसानी से पहचाना जा सके, जैसे उसकी जन्मतिथि, कार पंजीकरण संख्या, या पुनरावृत्त संख्या आदि।
- (e) ऐसा कोई भी प्रकटीकरण या पिन की गोपनीयता की अपर्याप्त सुरक्षा पूरी तरह से कार्डधारक के जोखिम पर है। पिन के उपयोग से किए गए सभी लेन-देन कार्डधारक की जिम्मेदारी होगी और वह जेनरेट किए गए लेनदेन के रिकॉर्ड का पालन करेगा।
- (f) यदि कार्डधारक कार्ड का पिन भूल जाता है, तो उसे पिन बदलने के लिए बैंक से लिखित में अनुरोध करना होगा, जिसके बाद बैंक कार्डधारक को नया पिन प्रदान करेगा। हालांकि, खाताधारक पुराने पिन का उपयोग करके किए गए लेन-देन के लिए तब तक जिम्मेदार रहेगा जब तक कि बैंक के रिकॉर्ड और कंप्यूटर सिस्टम में एक नया पिन प्रभावी नहीं हो जाता।
- (g) बैंक 30 दिनों के भीतर लेनदेन के लिए कार्डधारक के खाते से डेबिट कर देगा।
- (h) पीए/टर्मिनल पर लेनदेन का मूल्य और समय-समय पर घोषित कार्ड के जारी या उपयोग से प्रभावित सभी संबंधित शुल्क कार्डधारक के कार्ड खाते से तुरंत डेबिट कर दिए जाएंगे। लेन-देन के संबंध में समायोजन, यदि कोई हो, बैंक द्वारा सत्यापन के बाद किया जाएगा। पीए/टर्मिनल पर रसीद तैयार होने के बाद लेनदेन को अधिकृत और पूर्ण माना जाता है। कार्डधारक को वीजा टर्मिनल पर उत्पन्न बिक्री पर्ची की एक प्रति पर हस्ताक्षर करना चाहिए और उसे अपने पास रखना चाहिए।
कार्डधारक को ऐसी रसीदें अपने पास रखनी चाहिए और अपने खाते के विवरण से मिलान करना चाहिए। यदि कार्डधारक का बैंक द्वारा प्रस्तुत विवरण में दर्शाए गए किसी शुल्क या लेनदेन के संबंध में कोई विवाद है, तो कार्डधारक विवरण की तारीख के 15 दिनों के भीतर बैंक को विवरण की सूचना देगा, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि सभी शुल्क स्वीकार्य और क्रम में हैं। पीए/टर्मिनल पर संसाधित लेनदेन के लिए बैंक का रिकॉर्ड सभी उद्देश्यों के लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा।
- (i) कार्ड का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए,

जिसकी "फेमा" (समय-समय पर संशोधित), एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल या उसके तहत जारी किसी भी नियम, विनियम, अधिसूचना के तहत अनुमति नहीं है।

- (j) बैंक भाग लेने वाले एटीएम/टर्मिनलों पर कार्ड के उपयोग के लिए वीजा कार्ड के साझा भुगतान नेटवर्क में भाग लेने वाले किसी भी सदस्य बैंक के साथ कार्डधारक के किसी भी लेन-देन के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें माल/ या सेवाओं की आपूर्ति शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। ऐसे एटीएम पर किए जाने वाले लेन-देन का प्रकार बैंक के अपने नेटवर्क पर किए गए लेन-देन से भिन्न हो सकता है। बैंक केवल न्यूनतम लेनदेन का समर्थन करेगा जो अन्य नेटवर्क से संबंधित एटीएम पर किया जाएगा। कार्डधारक को बिना कोई सूचना दिए बैंक लेनदेन को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (k) ऐसी सुविधाओं के लिए अलग से सेवा शुल्क लगाया जाएगा जिसकी घोषणा बैंक द्वारा समय-समय पर की जाएगी और इसे कार्डधारक के कार्ड खाते से काट लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में जब कार्ड खाते में इस तरह के शुल्क को काटने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं होगी, तो बैंक ऐसे लेनदेन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक का निर्णय कार्डधारक के लिए बाध्यकारी होगा।
- (l) यदि कार्डधारक को किसी भागीदार एटीएम नेटवर्क प्रतिष्ठान या व्यापारिक प्रतिष्ठान के संबंध में कोई शिकायत है, तो मामले को कार्डधारक द्वारा प्रतिष्ठान के साथ सुलझाया जाना चाहिए और ऐसा करने में विफलता उसे बैंक के प्रति किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगी। हालांकि, कार्डधारक को इस शिकायत के बारे में बैंक को तुरंत सूचित करना चाहिए।
- (m) कार्ड केवल एटीएम/टर्मिनलों पर इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के लिए है और लेन-देन पूरा होने से पहले भुगतान व्यवस्था के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जैसे होटल चेक इन, मेल ऑर्डर खरीद, विदेशी पत्रिकाओं/पत्रिकाओं की सदस्यता, फोन ऑर्डर खरीद इत्यादि, और इस तरह के किसी भी उपयोग को अनधिकृत माना जाएगा और इसके लिए पूरी तरह से कार्डधारक जिम्मेदार होगा।
- (n) इसके अलावा, पीएमई/व्यापारी प्रतिष्ठान में कोई नकद लेनदेन, यानी नकद निकासी या जमा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (o) बैंक पीएमई द्वारा कार्डधारक के खाते में लेनदेन राशि के साथ लगाए गए किसी भी अधिभार और डेबिट के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

- (p) किसी भी टर्मिनल त्रुटि या संचार लिंक में विफलता के कारण सभी धनवापसी और समायोजन मैनुअल रूप से संसाधित किए जाएंगे और उचित सत्यापन के बाद जमा किए जाएंगे। कार्डधारक इस बात से सहमत होता है कि इस तरह के इनकार/समायोजन के लंबित होने पर प्राप्त कोई भी डेबिट इस धनवापसी पर विचार किए बिना केवल कार्ड खातों में उपलब्ध शेष राशि पर आधारित होगा।
- (q) सभी नकद/चेक जमा केवल बैंक के एटीएम में किए जा सकते हैं। सभी नकद/चेक जमा लेनदेन, चेक बुक अनुरोध, बैंक के एटीएम और टर्मिनलों पर कार्ड के उपयोग द्वारा किए गए खाता विवरण अनुरोध के लिए, कार्डधारक सहमत है कि ऐसी जमा और अनुरोध बैंक के दो अधिकारियों द्वारा सत्यापन के अधीन होंगे और ऐसा सत्यापन कार्डधारक के लिए बाध्यकारी होगा। इसे अगले कार्य दिवस पर सामान्य रूप से संसाधित किया जाएगा। एटीएम में सभी नकद/चेक जमा लेनदेन के लिए, कार्डधारक सहमत है कि

एटीएम एक रसीद देगा और कोई अन्य रसीद जारी नहीं की जाएगी.

- (r) बैंक, अपने विवेक से, ऐसे किसी भी निर्देश का पालन नहीं करने का निर्णय ले सकता है, जहां उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि निर्देश वास्तविक नहीं हैं या अस्पष्ट हैं या ऐसे हैं जो संदेह पैदा करते हैं या अन्यथा अनुचित हैं और इन्हें लागू नहीं किया जा सकता है चाहे कारण जो भी हों।
- (s) यदि कार्डधारक द्वारा दिया गया कोई निर्देश बैंक द्वारा एक से अधिक तरीकों से निष्पादित करने में सक्षम है, तो बैंक अपने विवेकाधिकार पर उक्त निर्देशों में से किसी भी तरीके से निष्पादित कर सकता है।
- (t) कार्ड को आम तौर पर भारत और विदेशों में सभी इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा सम्मानित किया जाएगा जो VISA और MASTERCARD इलेक्ट्रॉन लोगो प्रदर्शित करते हैं।
- (u) किसी भी परिसर में प्रदर्शित कार्ड प्रचार सामग्री या वीजा प्रतीक इस बात की वारंटी नहीं है कि उन परिसरों में उपलब्ध सभी वस्तुओं और सेवाओं को कार्ड से खरीदा जा सकता है।
- (v) कार्ड को तभी स्वीकार्य माना जाएगा जब उस पर कार्डधारक के हस्ताक्षर होंगे।
- (w) ईडीसी टर्मिनल द्वारा बिक्री पर्याप्त तैयार करने के बाद लेनदेन को अधिकृत और पूर्ण माना जाता है। लेन-देन की राशि कार्ड से जुड़े प्राथमिक खाते से तुरंत डेबिट कर दी जाती है। कार्डधारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्ड का उपयोग प्रत्येक खरीद के लिए

व्यापारी स्थान पर केवल एक बार किया गया है।

- (x) बैंक अतिरिक्त शुल्क पर बिक्री पर्ची की प्रतियां प्रस्तुत कर सकता है। कोई भी बिक्री पर्ची जो कार्डधारक द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित नहीं है, लेकिन जिसे कार्डधारक द्वारा अधिकृत होने के रूप में साबित किया जा सकता है, कार्डधारक की देयता होगी।
- (y) भुगतान के लिए बैंक द्वारा पीएमई से प्राप्त कोई भी शुल्क या अन्य भुगतान मांग निर्णायक सबूत होगा कि इस तरह की मांग पर दर्ज किया गया शुल्क पीएमई में राशि में और कार्डधारक द्वारा उस शुल्क या अन्य मांग के रूप में उचित रूप से खर्च किया गया था, जैसा कि मामला हो सकता है, कार्ड के उपयोग से, सिवाय जहां कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या धोखाधड़ी से दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए सबूत का दायित्व कार्डधारक पर होगा।
- (z) यदि कोई व्यापारी किसी त्रुटि के कारण या माल की वापसी के कारण पूर्ण किए गए लेनदेन को रद्द करना चाहता है, तो पहले की बिक्री रसीद को व्यापारी द्वारा रद्द कर दिया जाना चाहिए और रद्द की गई रसीद की एक प्रति उसके पास रखनी चाहिए। किसी भी व्यापारी/उपकरण त्रुटि या संचार लिंक के कारण सभी धनवापसी और समायोजन को मैन्युअल रूप से संसाधित किया जाना चाहिए और कार्ड खाते को उचित सत्यापन के बाद और लागू वीजा नियमों और विनियमों के अनुसार क्रेडिट किया जाएगा। कार्डधारक सहमत है कि इस दौरान प्राप्त किसी भी डेबिट को इस पर विचार किए बिना केवल कार्ड खाते में उपलब्ध शेष राशि के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। कार्डधारक भुगतान निर्देशों का अनादर करने के ऐसे कृत्यों से बैंक को हर्जाना भी देता है।

कार्डधारक को किसी भी समय अपना कार्ड किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से उपयोग के लिए नहीं सौंपना चाहिए। कार्डधारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह लेनदेन के समय पीएमई में शारीरिक रूप से मौजूद है।

9.3 व्यापारियों के साथ कार्डधारक का विवाद

- (a) कार्डधारक के वास्तविक हस्ताक्षर वाली बिक्री पर्ची और उस पर लिखी गई कार्ड संख्या बैंक और कार्डधारक के बीच कार्डधारक द्वारा किए गए दायित्व की सीमा के रूप में निर्णायक सबूत होगी।
- (b) यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि कार्ड की सुविधा पूरी तरह से कार्डधारक के लिए वस्तुओं को खरीदने या सेवाओं का लाभ उठाने की सुविधा है और बैंक माल या सेवाओं के संबंध में गुणवत्ता, मात्रा, मूल्य, वितरण या अन्यथा के बारे में कोई वारंटी

नहीं रखता है या कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है, और ऐसे किसी भी विवाद को सीधे पीएमई के साथ सुलझाया जाना चाहिए। हालांकि, कार्डधारक व्यापारी के साथ विवाद के बारे में बैंक को रिपोर्ट करेगा, जिसमें स्थान का नाम, लेन-देन की तारीख और समय और अन्य विवरण होंगे जो बैंक को इसकी जांच में सहायता करेंगे।

- (c) असहमति की सूचना प्राप्त होने के दो महीने के भीतर, बैंक पीड़ित कार्डधारक की असहमति को बयान में दर्शाए गए लागू शुल्क के साथ हल करने के लिए वास्तविक और उचित प्रयास करेगा। यदि इस तरह के प्रयास के बाद, बैंक यह निर्धारित करता है कि इंगित किया गया शुल्क सही है तो वह कार्डधारक को बिक्री पर्ची या भुगतान की आवश्यकता की एक प्रति सहित विवरण के साथ सूचित करेगा।
- (d) बैंक किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड को स्वीकार करने से इनकार करने के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

10. डेबिट कार्ड के उपयोग के लिए शुल्क

10.1 समय-समय पर कार्डधारक को बैंक द्वारा सूचित दर पर वार्षिक शुल्क लागू होते हैं। कार्ड जारी होने पर वार्षिक शुल्क कार्ड खाते से डेबिट कर दिया जाएगा। बैंक किसी भी समय कार्डधारक से कार्ड जारी करने, कार्ड को फिर से जारी करने, फोटो के साथ जारी किए गए डेबिट कार्ड और समय-समय पर अधिसूचित किसी भी एकाधिक डेबिट कार्ड सम खाते को जारी करने के लिए और/या कार्ड पर किए गए लेनदेन के लिए कोई भी फीस/शुल्क के लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। लागू फीस और शुल्क का विवरण बैंक से प्राप्त किया जा सकता है और समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है।

10.2 इस तरह की किसी भी फीस और शुल्क को कार्ड खाते से उस समय स्वचालित रूप से काट लिया जाएगा, जिस समय फीस या शुल्क लगाया गया है। इसके अलावा, कुछ अन्य एटीएम मालिक या साझा नेटवर्क के ऑपरेटर अपने एटीएम/अन्य डिवाइस के प्रत्येक उपयोग के लिए एक अतिरिक्त शुल्क लगा सकते हैं, और ऐसा कोई शुल्क अन्य लागू फीस/शुल्क के साथ कार्ड खाते से काट लिया जाएगा।

10.3 कार्ड के उपयोग के परिणामस्वरूप देय कोई भी सरकारी शुल्क, ड्यूटी या डेबिट या कर कार्डधारक की जिम्मेदारी होगी और यदि उस पर लगाया जाता है (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से), तो बैंक ऐसे शुल्क, ड्यूटी या कर को कार्ड खाते से डेबिट कर देगा।

10.4 कार्डधारक बैंक को अपने कार्ड खाते से कटौती करने के लिए अधिकृत करता है, और बैंक को किसी भी लागत, शुल्क और व्यय के लिए क्षतिपूर्ति करता है जो बैंक को अपने कार्ड के संबंध में कार्डधारक से देय धन एकत्र करने में लगता है (कानून द्वारा अनुमत सीमा तक

बिना किसी सीमा के उचित वकील की फीस सहित)।

10.5 भुगतान से इनकार करने की क्षमता कानून द्वारा अन्यथा अपेक्षित के अलावा, यदि बैंक को कोई प्रक्रिया, सम्मन, आदेश, निषेधाज्ञा, निष्पादन, रोक, लेवी, ग्रहणाधिकार, सूचना या नोटिस प्राप्त होता है जिसे बैंक सद्भावपूर्वक मानता है और जो कार्डधारक की क्षमता या किसी व्यक्ति की कार्ड पर लेनदेन करने के लिए कार्डधारक द्वारा अधिकृत होने की क्षमता पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बैंक अपने विवेक से और कार्डधारक या ऐसे अन्य व्यक्ति के प्रति दायित्व के बिना, कार्डधारक को उसके धन के किसी भी हिस्से को प्राप्त करने या निकालने की अनुमति देने से इनकार कर सकता है, या बैंक इस तरह की धनराशि का भुगतान किसी उपयुक्त प्राधिकारी को कर सकता है और कार्डधारक से इसकी वसूली के लिए लागू कानून द्वारा आवश्यक कोई अन्य कदम उठा सकता है।

11. विशेषताएं:

11.1 बैंक के पास कार्ड के साथ दी गई किसी भी या सभी सुविधाओं को जोड़ने/हटाने/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक कार्ड के चारों ओर प्रचार सुविधाओं को जोड़ने/बनाने का प्रयास करेगा। हालांकि ये केवल सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर होंगे और इन प्रचार सुविधाओं से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को बैंक की देयता के रूप में नहीं माना जाएगा।

11.2 खरीदे गए सामान/प्राप्त सेवाओं के संबंध में कार्डधारक को छूट प्रदान करने के लिए बैंक कुछ व्यापारियों के साथ एक व्यवस्था कर सकता है। हालांकि, ऐसे व्यापारियों के साथ कार्डधारक के किसी भी विवाद के लिए बैंक जिम्मेदार या जवाबदेह नहीं होगा।

12. खोए या चोरी हुए कार्ड:

12.1 कार्डधारक कार्ड की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और कार्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगा। यदि कोई कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो कार्डधारक को स्थानीय पुलिस के पास एक प्रथम सूचना रिपोर्ट ("एफआईआर") दर्ज करनी चाहिए और उसकी एक प्रति तुरंत एक कवरिंग लेटर के साथ बैंक को भेजकर बैंक को नुकसान के बारे में सूचित करना चाहिए।

12.2 बैंक कार्डधारकों को चोरी और/या खोए कार्ड के संबंध में बीमा पॉलिसी प्रदान करने की एक अतिरिक्त सेवा प्रदान करता है, जो यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है।

(a) बैंक अपनी लागत पर भौगोलिक सीमा के भीतर खोए/चोरी हुए कार्ड के लिए बीमा पॉलिसी लेगा और यह नियम और शर्तों के अधीन है

और उस सीमा तक है जो विशेष रूप से पॉलिसी में निर्धारित की गई है।

- (b) कार्डधारक इस तरह के नुकसान पर तुरंत अपने शहर में 24 घंटे के फोन बैंकिंग नंबर पर कॉल करके बैंक को कार्ड खो जाने की सूचना देगा। दुरुपयोग को रोकने के लिए बैंक कार्ड को तुरंत निष्क्रिय कर देगा।
- (c) तब कार्डधारक निम्नलिखित दस्तावेज बैंक को भेजेगा:
- किसी अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार की गई प्राथमिकी रिपोर्ट;
 - हानि/विवादित लेनदेन का विवरण देने वाला पत्र
 - खंड 186 में उल्लिखित कार्डधारक से क्षतिपूर्ति पत्र
 - अंतरराष्ट्रीय लेनदेन विवाद के मामले में पासपोर्ट प्रतियां और
 - बैंक द्वारा अपेक्षित और बैंक की संतुष्टि के अनुसार अन्य सभी दस्तावेज।
- (d) बैंक उपरोक्त अनुसार आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 5 दिनों के भीतर विवादित राशि के लिए चिह्नित होल्ड के साथ कार्डधारक को एक अनंतिम जमा देगा।
- (e) प्रति कार्ड की देनदारी अधिकतम 2.5 लाख रुपये तक सीमित होगी और कार्डधारक को नुकसान की रिपोर्ट करने से पहले अधिकतम 30 दिनों तक सभी नुकसानों के लिए कवर किया जाएगा।
- (f) O खोए हुए/चोरी हुए कार्ड के कार्डधारक से आवश्यक दस्तावेजों के साथ संचार प्राप्त होने पर, खोए/चोरी कार्ड की रिपोर्ट करने से पहले, बैंक ऐसे खोए/चोरी कार्ड के संबंध में अपनी जांच करने के लिए अधिकृत है। यदि इस तरह की जांच से कार्डधारक/या कार्डधारक के रिश्तेदारों/कर्मचारियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी का पता चलता है, तो बैंक कार्डधारक को ऐसी पॉलिसी का लाभ देने से इनकार करने के अलावा कार्डधारक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है। जांच के बाद ही अनंतिम जमा अंतिम मान जाएगा। बैंक की जांच के निष्कर्ष कार्डधारक के लिए अंतिम और बाध्यकारी होंगे।
- (g) कार्डधारक कार्ड खाते को तब तक बंद नहीं कर सकता जब तक कि उक्त खाते के लिए होल्ड राशि जारी नहीं हो जाती।
- (h) हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्डधारक को इस पॉलिसी का लाभ तभी मिलेगा जब:
- कार्ड खाता अच्छी स्थिति में है
 - खोए/चोरी कार्ड की ऐसी रिपोर्टिंग से पहले पिछले 12 महीनों के दौरान

- दो से अधिक अनधिकृत घटनाएं ना हुई हों और
- (iii) कार्डधारक यह दर्शाए कि उसने कार्ड की सुरक्षा में लापरवाही नहीं की थी।
- (i) T खोए/चोरी कार्ड पॉलिसी के तहत बैंक की देयता यहां खंड 16 में उल्लिखित सामान्य अपवर्जनों के अधीन होगी और कार्डधारक खोए/चोरी कार्ड बीमा पॉलिसी के तहत किसी भी तरह का लाभ पाने का हकदार नहीं होगा, यदि नुकसान खंड 16 में उल्लिखित किसी भी कारण से होता है।

12.3 अहस्ताक्षरित कार्ड के मामले में, कार्डधारक उस पर लगने वाले सभी शुल्कों के लिए उत्तरदायी होगा और कार्डधारक खोए/चोरी हुए कार्ड बीमा पॉलिसी के किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा।

12.4 यदि कार्डधारक विदेश में अपना कार्ड खो देता है, तो वह या तो उपरोक्त प्रक्रिया का पालन कर सकता है या खंड 13 में बताए गए अनुसार वीजा वैश्विक आपातकालीन सहायता हेल्प-लाइन के माध्यम से नुकसान की रिपोर्ट कर सकता है। यदि कार्डधारक वीजा वैश्विक आपातकालीन सहायता सेवाओं का उपयोग करता है तो ऐसी सेवाओं के उपयोग के लिए शुल्क कार्डधारक द्वारा वहन किया जाएगा।

12.5 कार्डधारक इस तथ्य का संज्ञान लेगा कि, कार्ड के खो जाने, चोरी हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने और बाद में पाए जाने की सूचना के बाद, इसे तुरंत 2 भागों में काट दिया जाएगा, बैंक को वापस कर दिया जाएगा और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाएगी। बैंक अपने विवेकाधिकार पर एक निर्धारित शुल्क पर खोए/चोरी हुए कार्ड के लिए एक प्रतिस्थापन कार्ड जारी करेगा, बशर्ते कि कार्डधारक ने सभी तरह से नियमों और शर्तों का अनुपालन किया हो।

13. वीजा वैश्विक सहायता से सेवाएं:

13.1 आपातकालीन सहायता कार्यक्रम के संचार और सेवाओं की व्यवस्था एक तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाती है और इसका भुगतान वीजा इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है और कार्डधारक किसी भी और सभी चिकित्सा, कानूनी या उपयोग की जाने वाली अन्य सेवाओं की लागत के लिए जिम्मेदार है।

सहायता सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर प्रदान की जाती है और समय, दूरी या स्थानों की समस्याओं के कारण उपलब्ध नहीं हो सकती है। वीजा इंटरनेशनल द्वारा सुझाए गए और/या नामित चिकित्सा और/या कानूनी पेशेवर वीजा इंटरनेशनल के कर्मचारी नहीं हैं और, इसलिए, वे किसी भी चिकित्सा, कानूनी या परिवहन सेवा की उपलब्धता के उपयोग, कृत्यों, चूक या परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। बैंक ऐसी सेवाओं की व्यवस्था या उपयोग के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

14. सुविधाओं को जोड़ना और वापस लेना

14.1 बैंक अपने विवेक से कार्डधारक को उसकी सुविधा और उपयोग के लिए साझा नेटवर्क के माध्यम से अधिक एटीएम, ईडीसी-पीओएस और/या

अन्य उपकरण उपलब्ध करा सकता है। इन उपकरणों पर कार्डधारक द्वारा किए गए लेनदेन से संबंधित सभी शुल्क और फीस, जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है, कार्डधारक के खाते से डेबिट द्वारा वसूल किए जाएंगे। कार्डधारक समझता है और सहमत है कि ऐसे नेटवर्क अलग-अलग सेवाओं और/या स्थानों के लिए अलग-अलग कार्यक्षमता, सेवा संचालन और अलग-अलग शुल्क प्रदान कर सकते हैं।

14.2 बैंक, अपने विवेकाधिकार पर, किसी भी समय, कार्डधारक को बिना कोई सूचना दिए, कार्ड खाते पर भारत के भीतर/बाहर एटीएम/अन्य उपकरणों पर कार्ड और/या उससे संबंधित सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा को वापस लेने, बंद करने, रद्द करने, निलंबित करने या समाप्त करने का हकदार होगा और इस तरह के निलंबन या समाप्ति के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए कार्डधारक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। कार्डधारक के कार्ड खाते पर लेनदेन करने के लिए कार्ड के उपयोग के संबंध में बैंक के अलावा किसी अन्य संस्थान का कोई दायित्व या जिम्मेदारी नहीं होगी।

14.3 रखरखाव: हालांकि सेवाओं की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले रखरखाव कार्य की अग्रिम सूचना दी जाएगी, लेकिन बैंक बिना किसी नोटिस के किसी भी समय एटीएम/अन्य समान उपकरण या सभी या किसी भी सेवा के प्रावधान को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि बैंक ऐसा करना आवश्यक समझता है तो, चाहे वह नियमित रखरखाव के लिए हो या किसी अन्य कारण से।

15. अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन:

15.1 सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए उपयोग की जाने वाली विनिमय दर बैंक द्वारा तय की जाएगी और कार्डधारक पर बाध्यकारी होगी।

15.2 निवासी

(a) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्डधारक को विनिमय नियंत्रण विनियमों के अनुसार अनुमत उद्देश्यों के लिए कार्ड के उपयोग के लिए चालान जैसे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, यदि शामिल प्रेषण अनुमेय सीमा से कम है या इसके समकक्ष है और प्रथम दृष्टया विनिमय नियंत्रण विनियमों को पूरा करता है।

(b) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि विदेश यात्राओं के दौरान कार्ड के उपयोग की राशि कार्डधारक की विदेशी मुद्रा पात्रता से अधिक है, तो कार्डधारक को उपयोग की गई विदेशी मुद्रा के उपयोग के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करना होगा। बैंक पूरी जानकारी देते हुए विनिमय नियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को मामले की रिपोर्ट करने के लिए अधिकृत है।

- (c) विनिमय विनियमों के अनुसार, प्रत्येक विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए कार्डधारक को विधिवत रूप से भरा हुआ A2 फॉर्म जमा करना चाहिए और उपयोग की गई विदेशी मुद्रा के लिए अपना पासपोर्ट पृष्ठांकित करवाना चाहिए।
- (d) यदि कार्डधारक संपर्क करने योग्य नहीं है या आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के भीतर इसे जमा करने में सक्षम नहीं है, तो बैंक, अपने विवेकाधिकार पर, कार्डधारक की ओर से उक्त फॉर्म को भर सकता है और जमा कर सकता है और कार्डधारक एतद्वारा बैंक को उक्त फॉर्म को भरने और जमा करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत करता है और क्षतिपूर्ति करता है, अर्थात् कार्डधारक की ओर से विदेशी मुद्रा (ए2) फॉर्म की खरीद के लिए अनुरोध करता है। हालांकि, बैंक उक्त फॉर्म को भरने या जमा करने के लिए बाध्य नहीं है और कार्डधारक द्वारा इसे जमा न करने के किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

15.3 गैर-निवासी

यदि कार्डधारक संपर्क करने योग्य नहीं है या आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के भीतर इसे जमा करने में सक्षम नहीं है, तो बैंक, अपने विवेकाधिकार पर, कार्डधारक की ओर से उक्त फॉर्म को भर सकता है और जमा कर सकता है और कार्डधारक एतद्वारा बैंक को उक्त फॉर्म को भरने और जमा करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत करता है और क्षतिपूर्ति करता है, अर्थात् कार्डधारक की ओर से विदेशी मुद्रा (ए2) फॉर्म की खरीद के लिए अनुरोध करता है। हालांकि, बैंक उक्त फॉर्म को भरने या जमा करने के लिए बाध्य नहीं है और कार्डधारक द्वारा इसे जमा न करने के किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

16. दायित्व का अपवर्जन:

16.1 पूर्ववर्ती पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होने वाली किसी भी हानि या क्षति के संबंध में, बैंक कार्डधारक के प्रति किसी भी तरह के दायित्व के अधीन नहीं होगा।

- (a) आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं में कोई भी दोष होने पर।
- (b) किसी भी ओबी/पीएमई द्वारा कार्ड का सम्मान करने या स्वीकार करने से इनकार करने पर।
- (c) कार्डधारक के अलावा किसी अन्य लेनदेन निर्देश को लागू करना, या कार्डधारक की लापरवाही, गलती, बेईमानी, कदाचार, धोखाधड़ी या किसी अनधिकृत व्यक्ति को कार्ड सौंपने के कारण कार्ड का दुरुपयोग करने पर

- (d) मशीन/यांत्रिक त्रुटियों/विफलताओं, तकनीकी खराबी आदि के कारण पीए/टर्मिनल, बैंक का नेटवर्क या ओबी नेटवर्क काम नहीं करने पर।
- (e) बैंक द्वारा उजागर होने वाली समाप्ति तिथि से पहले स्वयं या किसी व्यक्ति द्वारा कार्ड की मांग करने और सरेंडर करने के अपने अधिकार का उपयोग पर।
- (f) कार्ड की वापसी का अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी बयान या किसी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से किया गया कोई भी कार्य।
- (g) कार्डधारक द्वारा बैंक के अधिकृत कर्मचारियों के अलावा किसी अन्य को कार्ड सौंपना।
- (h) बैंक द्वारा समाप्ति तिथि से पहले कार्ड की मांग और सरेंडर करने के अपने अधिकार का प्रयोग, चाहे ऐसी मांग और सरेंडर बैंक या किसी व्यक्ति या कंप्यूटर टर्मिनल द्वारा की गई और/या प्राप्त की गई हो।
- (i) बैंक द्वारा प्रकट किए गए किसी भी विवरण में कोई गलत कथन, गलत प्रस्तुति, त्रुटि या चूक।
- (j) बैंक द्वारा किसी भी कार्ड को समाप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग।
- (k) कार्डधारक के क्रेडिट चरित्र और प्रतिष्ठा को कोई भी चोट कथित रूप से कार्ड के पुनः कब्जे और/या, इसकी वापसी के लिए किसी भी अनुरोध या किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड का सम्मान करने या स्वीकार करने से इनकार करने के कारण हुई है।
- (l) समय-समय पर जारी आरबीआई दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित विदेशी मुद्रा पात्रता से अधिक होने या बैंक को कार्डधारक की पात्रता से अधिक होने के बारे में जागरूक होने के कारण शुल्क की अस्वीकृति।
- (m) किसी मर्चेट लोकेशन/एटीएम पर किसी भी कारण से लेन-देन ना हो पाना।

16.2 बैंक कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है और किसी प्रणाली या उपकरण की विफलता के कारण या किसी तीसरे पक्ष के उत्पादों या अन्योन्याश्रितियों पर बैंक द्वारा निर्भरता के कारण किसी भी सेवा विफलता या व्यवधान (डेटा की हानि सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) के लिए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें बिजली या दूरसंचार शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। बैंक ईश्वर के कृत्यों, दंगों, नागरिक हंगामे, विद्रोहों, युद्धों, या

अपने नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारणों से, या किसी हड़ताल या तालाबंदी से अपने व्यवसाय में रुकावट से उत्पन्न परिणामों के लिए कोई दायित्व या जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

16.3 यदि एटीएम या इसी तरह के उपकरण में खराबी के परिणामस्वरूप कार्डधारक को लेन-देन की कुछ या सभी राशि का नुकसान होता है, और बैंक द्वारा इस तरह के नुकसान की पुष्टि बैंक के रिकॉर्ड के सत्यापन के माध्यम से की जाती है, तो बैंक सेवा शुल्क सहित, यदि कोई हो, कार्डधारक के नामित खाते में समायोजन करके उस नुकसान को ठीक कर देगा।

16.4 कार्डधारक के निर्देशों का पालन करने में विफलता के कारण कार्डधारक को हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। जब ऐसी विफलता बैंक के नियंत्रण से बाहर के कारणों से होती है, तो इस संबंध में बैंक की राय अंतिम होती है।

16.5 कार्ड सुविधा के लिए आवेदन करके और उसका लाभ उठाकर, कार्डधारक अपने द्वारा किए गए लेनदेन को करने के लिए बैंक को स्पष्ट अधिकार प्रदान करता है। पिन के माध्यम से किए गए लेन-देन की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए बैंक का कोई दायित्व नहीं होगा।

16.6 बैंक किसी भी परिस्थिति में नुकसान या क्षति के किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा चाहे वह प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, परिणामी हो और चाहे कोई भी दावा राजस्व, निवेश, उत्पादन, सदभावना, लाभ, व्यापार में रुकावट, या किसी भी चरित्र या प्रकृति का कोई अन्य नुकसान और चाहे खाता धारक, कार्डधारक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया हो।

17. बैंक के रिवॉर्ड कार्यक्रम के तहत कार्डधारकों को रिवॉर्ड:

17.1 यह कार्यक्रम केवल बैंक के गोल्ड डेबिट कार्डधारकों और उसके संबंध में पूरक और एड-ऑन गोल्ड कार्ड के लिए उपलब्ध है।

17.2 यह कार्यक्रम एक पुरस्कार कार्यक्रम है जो डॉयचे बैंक गोल्ड कार्ड के सदस्य को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और कार्यक्रम के उद्देश्य के लिए समय-समय पर बैंक द्वारा शामिल किए गए अन्य शुल्कों पर अपने कार्ड से किए गए खर्च पर अंक अर्जित करने में सक्षम बनाता है।

कार्डधारक के प्राथमिक खाते में नकद क्रेडिट के लिए अंक भुनाए जा सकते हैं।

यह कार्यक्रम प्रभावी तिथि से उस समय तक खुला रहेगा जैसा कि बैंक

द्वारा अपने विवेकाधिकार पर निर्धारित किया जा सकता है।

17.3 अंक प्रोद्भवन

रिवॉर्ड/लॉयल्टी अंक केवल डॉयचे बैंक गोल्ड डेबिट कार्ड पर दिए जाते हैं। बैंक प्रत्येक 100 रुपये मूल्य की वस्तुओं/सेवाओं की घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय खरीद पर एक अंक प्रदान करेगा।

उन खर्चों पर अंक अर्जित नहीं किए जाएंगे जिन्हें बाद में उलट दिया गया है। बैंक अपने विवेकाधिकार पर किसी विशेष अवधि के लिए या विशिष्ट स्थितियों/प्रचार योजनाओं के लिए किसी अन्य लेनदेन पर अंक प्रदान कर सकता है। कार्डधारकों को अग्रिम नकद और शुल्क जैसे ज्वाइनिंग शुल्क, वार्षिक शुल्क, पूरक कार्ड शुल्क, बहु-कार्ड शुल्क और सेवा शुल्क लेनदेन से जुड़े लेनदेन के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे। लेन-देन की उपरोक्त सूची बैंक द्वारा अपने विवेक से कार्ड सदस्य को सूचना के तहत दी जा सकती है। पात्र प्राथमिक, पूरक या एकाधिक कार्डों के मामले में व्यक्तिगत कार्ड खातों में अंक अर्जित होंगे। किसी भी पूरक कार्ड द्वारा अर्जित अंक स्वचालित रूप से उस प्राथमिक कार्ड खाते में जमा हो जाएंगे, जिस पर पूरक कार्ड जारी किए गए हैं, न कि किसी अन्य कार्ड खाते में।

N यदि संगत तिथि पर कोई कार्ड, चाहे वह प्राथमिक, पूरक, एकाधिक या कोई अन्य कार्ड हो, वापस ले लिया गया है या बंद कर दिया गया है या रद्द कर दिया गया है या बहाल कर दिया गया है या रद्द/वापसी के लिए उत्तरदायी है, तो कार्ड के नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के कारण अंकों के संचय या आगे बढ़ाने या मोचन की अनुमति नहीं होगी।

कार्डधारक द्वारा या बैंक द्वारा अपने विवेक से कार्ड खाते को स्वेच्छा से बंद करने की स्थिति में अंक समाप्त हो जाएंगे। यदि कार्डधारक या डॉयचे बैंक डेबिट कार्ड द्वारा कार्ड खाता बहाल किया जाता है, तो कार्डधारक को कार्ड खाते को रद्द करने या वापस लेने या बंद करने से पहले अर्जित किसी भी अंक का लाभ नहीं मिलेगा। कार्डधारक द्वारा डॉयचे बैंक डेबिट कार्ड को स्वेच्छक रूप से बंद करने की स्थिति में, कार्ड खाते में मौजूद बिंदुओं को ऐसे बंद होने के एक महीने के भीतर भुनाया जा सकता है। ऐसी अवधि के भीतर इन बिंदुओं को भुनाने में विफलता के कारण अंक स्वतः समाप्त हो जाएंगे। एक कार्डधारक किसी अन्य व्यक्ति को कोई अंक हस्तांतरित नहीं कर सकता है।

17.4 मोचन

अर्जित अंक केवल गोल्ड डेबिट कार्ड रखने वाले प्राथमिक कार्ड सदस्य द्वारा ही भुनाए जा सकते हैं, न कि किसी अतिरिक्त कार्डधारक द्वारा। अर्जित एक अंक को एक रुपये में भुनाया जा सकता है।

एक कार्डधारक को उस वर्ष के लिए इन अंकों को भुनाना शुरू करने से पहले सालाना न्यूनतम 25,000 रुपये (यानी 250 अंक) खर्च करने होंगे। डेबिट कार्ड जारी होने के अगले महीने से 12 महीने की अवधि शुरू होगी। 12-महीने की अवधि में अर्जित सभी अंक 12-महीने की

अवधि के अंत के बाद 3 और महीनों के लिए मान्य होंगे। इसके बाद, ये अंक समाप्त हो जाएंगे।

सभी लिंक किए गए खाते और कार्ड अच्छी स्थिति में होने चाहिए और मोचन अनुरोध के समय डॉयचे बैंक डेबिट कार्ड द्वारा रद्द या समाप्त नहीं किए जाने चाहिए।

अंक केवल कार्डधारक के प्राथमिक खाते में नकद क्रेडिट के लिए भुनाए जा सकते हैं।

कार्डधारकों द्वारा डॉयचे बैंक डेबिट कार्ड को मोचन आदेश दिए जाने के बाद, उसे रद्द नहीं किया जा सकता या वापस नहीं लिया जा सकता या बदला नहीं जा सकता है।

मोचन पर, कार्डधारक के खाते में जमा हुए अंकों से अंक अपने आप कम हो जाएंगे। ऑर्डर उसी क्रम में पूरे किए जाएंगे जिस क्रम में वे डॉयचे बैंक डेबिट कार्ड द्वारा प्राप्त और स्वीकार किए जाते हैं। यदि किसी कार्डधारक के पास ऑर्डर के लिए पर्याप्त अंक नहीं हैं, तो ऑर्डर रद्द माना जाएगा। सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय या किसी अन्य सहभागी प्रतिष्ठान को देय कोई कर या अन्य देनदारियां या शुल्क, जो इस योजना के परिणामस्वरूप या अन्यथा मोचन द्वारा कार्डधारक को उत्पन्न या उपार्जित हो सकता है, कार्डधारक के एकमात्र खाते में होगा।

17.5 रिवॉर्ड कार्यक्रम में परिवर्तन और समाप्ति

- (a) बैंक किसी भी अन्य कार्यक्रम द्वारा इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से संशोधित करने या कार्डधारक को पूर्व सूचना के बिना किसी भी समय कार्यक्रम को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (b) यह योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक है और यह समझा जाता है कि कार्ड के सामान्य उपयोग के दौरान कार्डधारक द्वारा स्वेच्छा से सभी शुल्क वहन किए जाते हैं।
- (c) ये नियम और शर्तें डॉयचे बैंक डेबिट कार्ड के उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों के अतिरिक्त होंगी, उनके प्रतिस्थापन/अवमानना के लिए नहीं।
- (d) इस कार्यक्रम को जारी रखने या आगे इसी तरह की या अन्य योजनाओं का संचालन करने के लिए डॉयचे बैंक डेबिट कार्ड द्वारा प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व के लिए इसमें कुछ भी नहीं है।
- (e) डॉयचे बैंक डेबिट कार्ड के अंकों की गणना अंतिम, निर्णायक और कार्ड सदस्यों के लिए बाध्यकारी होगी और ये विवादित और पूछताछ के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
- (f) इस डॉयचे बैंक डेबिट कार्ड पुरस्कार कार्यक्रम के संबंध में या इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले सभी विवाद मुंबई में

सक्षम न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

- (g) कार्डधारक के पक्ष में विवादित लेन-देन के मामले में और/या जहां लेन-देन को उलट दिया जाता है, समकक्ष बिंदुओं को भी उलट दिया जाएगा।

18. क्षतिपूर्ति:

- 18.1 कार्डधारक बैंक, उसके ग्राहकों या किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए किसी भी नुकसान या क्षति और व्यय के लिए या खाताधारक या कार्डधारक या उनके किसी एजेंट, कर्मचारी और सहयोगी द्वारा कार्ड सुविधा के उपयोग के संबंध में किसी तीसरे पक्ष द्वारा किया गया कोई दावा या कार्रवाई के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और बैंक को हानिरहित रखेगा।
- 18.2 कार्डधारक सभी देनदारियों, हानियों, क्षतियों और खर्चों के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है, जिसे बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्न के परिणामस्वरूप वहन कर सकता है:
- (a) कार्डधारक की लापरवाही/गलती या कदाचार।
- (b) कार्ड और खाते से संबंधित नियमों/नियमों व शर्तों के उल्लंघन या गैर-अनुपालन।
- (c) कार्डधारक या उसके कर्मचारियों/एजेंटों द्वारा किसी भी लेनदेन से संबंधित धोखाधड़ी या बेईमानी
- (d) एटीएम / ईडीसी और इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनलों और मशीनों के परिणामस्वरूप और संचालन के दौरान त्रुटियां हो सकती हैं। कार्डधारक ऐसी किसी भी मशीन/यांत्रिक त्रुटियों/विफलताओं के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होता है।
- 18.3 कार्डधारक भारतीय रिज़र्व बैंक के विनिमय नियंत्रण विनियमों का अनुपालन नहीं करने से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम से बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और हानिरहित रखेगा।
- 18.4 कार्डधारक कोरियर द्वारा खो जाने/पिन मेलर के पारगमन में हानि के कारण किसी भी नुकसान के लिए बैंक को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा।
- 18.5 बैंक के नियंत्रण से बाहर किसी भी कारण से सुविधा प्रदान करने में विफलता या नियमों और शर्तों का पालन करने में किसी भी विफलता के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। कार्डधारक को कार्ड की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक के विचार में, कार्डधारक एतद्वारा सभी कार्यों, दावों, मांगों, कार्यवाहियों, हानियों, क्षतियों, व्यक्तिगत चोट, लागतों, प्रभारों और खर्चों से और उनके विरुद्ध बैंक को हर्जाना देने और रखने के लिए सहमत है जिसे बैंक कार्डधारक के निर्देशों पर कार्रवाई करने या कार्रवाई करने से चूकने के लिए किसी भी समय कार्डधारक को कार्ड

की उक्त सुविधा प्रदान करने के परिणामस्वरूप या उसके कारण उत्पन्न होने के परिणामस्वरूप या बैंक द्वारा सद्भावपूर्वक कार्य करने, लेने या अस्वीकार करने के कारण उत्पन्न हो सकता है, बनाए रख सकता है।

18.6 कार्डधारक एतद्वारा बैंक को किसी भी देयता (सिविल या आपराधिक), हानि, लागत, व्यय या नुकसान के लिए पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करता है, जो कार्ड के खो जाने या बैंक को रिपोर्ट नहीं किए जाने की स्थिति में उसके नुकसान या दुरुपयोग के कारण उत्पन्न हो सकता है। कार्ड के खो जाने/चोरी होने की स्थिति में, जिसकी यहां क्लॉज 12 के अनुसार रिपोर्ट की गई है, कार्डधारक बैंक के प्रति उत्तरदायी होगा और एतद्वारा बैंक को 2.5 लाख रुपये से अधिक की राशि के अलावा किसी भी नागरिक या आपराधिक दायित्व, लागत, खर्च या कार्ड के खो जाने/चोरी होने के कारण होने वाली क्षति के लिए पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करता है।

19. बीमा लाभ:

19.1 कार्डधारक विशेष रूप से स्वीकार करता है कि यहां खंड 12 में उल्लिखित गुम/चोरी कार्ड बीमा पॉलिसी को छोड़कर, बैंक प्रदान किए गए किसी भी बीमा कवर के आधार पर किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा, और बीमा कंपनी पूरी तरह से उत्तरदायी होगी, और इस तरह के बीमा कवर, वसूली या मुआवजे के भुगतान, दावों के प्रसंस्करण या

निपटान या अन्यथा से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएगी, और ऐसे सभी मामले सीधे बीमा कंपनी को संबोधित और उन्हीं के द्वारा हल किए जाने चाहिए।

19.2 कार्डधारक आगे स्वीकार करता है कि इस प्रकार प्रदान किया गया बीमा कवर केवल लागू बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार कार्डधारक को उपलब्ध होगा, और केवल तब तक जब तक कार्डधारक बैंक का कार्डधारक है और रहता है और उसका खाता अच्छी स्थिति में है। कार्ड/खाता किसी भी कारण से अस्थायी या स्थायी रूप से रद्द या वापस लिए जाने पर, इस तरह के बीमा कवर का लाभ स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा और कार्ड/खाते की समाप्ति की तारीख से वास्तव में उपलब्ध नहीं होगा। बैंक किसी भी समय (अपने विवेकाधिकार पर और कार्डधारक को कोई नोटिस दिए बिना या उसका कोई कारण बताए बिना) इस तरह के बीमा कवर के लाभ को निलंबित, वापस ले सकता है या रद्द कर सकता है, और इस लाभ को जारी रखने के लिए बैंक पर कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं होगा।

20. बैंक का ग्रहणाधिकार:

20.1 सेट-ऑफ और ग्रहणाधिकार का बैंक का अधिकार कार्डधारक द्वारा विस्तारित और उपयोग की जाने वाली कार्ड सेवाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली सभी बकाया देय राशि तक विस्तारित होगा।

21. समापन:

- 21.1 कार्डधारक किसी भी समय बैंक को कम से कम 7 दिनों की लिखित सूचना देकर इस सुविधा को बंद कर सकता है और कार्ड को तिरछे दो टुकड़ों में काट कर वापस कर सकता है और इसकी एक वैध रसीद प्राप्त कर सकता है। लिखित नोटिस की प्राप्ति तक, सभी शुल्कों के लिए कार्डधारक उत्तरदायी होगा, जिसे विधिवत स्वीकार किया गया है।
- 21.2 इस तरह की समाप्ति को बैंक द्वारा कार्डधारक को दी जाने वाली सभी सुविधाओं की समाप्ति भी माना जाएगा। यदि कार्डधारक द्वारा कार्ड को नष्ट करने का दावा करने के बाद कार्ड पर शुल्क लगाया जाता है, तो कार्डधारक कार्ड पर लगाए गए शुल्कों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा चाहे वह दुरुपयोग का परिणाम हो या नहीं और कार्ड के नष्ट होने की सूचना बैंक को दी गयी हो या नहीं।
- 21.3 नामांकित खाते (खातों) को बंद करने के लिए, कार्डधारक लिखित में कम से कम 7 दिन का नोटिस देगा और बैंक को कार्ड वापस कर देगा।
- 21.4 कार्ड के अनुचित, अनधिकृत या कपटपूर्ण उपयोग के किसी भी मामले में या कार्डधारक द्वारा नियमों और शर्तों को पूरा न करने के कारण कार्डधारक को 7 दिन का नोटिस देकर बैंक किसी भी समय तत्काल प्रभाव से कार्ड को रद्द करने का हकदार है। ऐसा नोटिस कार्डधारक को भारत में कार्डधारक के पते पर डाक करने के 7 दिनों के भीतर प्राप्त

हुआ माना जाएगा, जिसकी अंतिम बार बैंक को लिखित में सूचना कार्ड को रद्द करके या बिना कोई कारण बताए दी गई थी। ऐसे मामले में, बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार डेबिट-सह-एटीएम कार्ड के उपयोग से किए गए सभी आहरणों/अंतरणों के लिए, जो निर्णायक और बाध्यकारी होगा, बैंक के पास नामित खातों को ऑनलाइन डेबिट करने का या आंतरिक नियमों के आधार पर ऐसे समय के भीतर एक स्थिति में, जिसका बैंक सदस्य है, के उपयोग से प्रभावित सभी निकासी / अंतरण के लिए स्पष्ट अधिकार है।

22. नियम व शर्तों में परिवर्तन:

- 22.1 बैंक कार्ड पर दी गई नीतियों, विशेषताओं और लाभों को संशोधित करने और समय-समय पर इन नियमों और शर्तों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है और कार्डधारक को ऐसे किसी भी बदलाव के बारे में सूचित कर सकता है जो वह उचित समझता है। कार्डधारक ऐसे परिवर्तनों के लिए बाध्य होगा जब तक कि किसी भी परिवर्तन के प्रभावी होने की तिथि से पहले कार्ड रद्द करने के लिए बैंक को वापस नहीं किया जाता है।
- 22.2 बैंक नीचे सूचीबद्ध उद्देश्यों/कारणों सहित (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) परिवर्तन कर सकता है:
- (a) केवल डेबिट-सह-एटीएम कार्ड और पिन के उपयोग, या एक अतिरिक्त या प्रतिस्थापन कार्ड के उपयोग से संबंधित शुल्क लगाना या बढ़ाना।

- (b) अपने कार्ड के साथ लेनदेन से संबंधित नुकसान के लिए कार्डधारक की देयता बढ़ाना।
- (c) कार्ड के उपयोग पर लागू होने वाली आवधिक लेनदेन सीमाओं को समायोजित करना।

22.3 यदि कार्ड लेनदेन के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या उपकरण की सुरक्षा को बनाए रखने या पुनर्स्थापित करने के लिए ऐसा परिवर्तन आवश्यक है, तो बैंक बिना किसी सूचना के परिवर्तन कर सकता है। यदि ऐसा कोई परिवर्तन किया जाता है तो कार्डधारक को सूचित किया जाएगा, जब तक कि प्रकटीकरण से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या उपकरण की सुरक्षा खतरे में न पड़ जाए।

22.4 यदि कार्ड लेनदेन के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या उपकरण की सुरक्षा को बनाए रखने या पुनर्स्थापित करने के लिए ऐसा परिवर्तन आवश्यक है, तो बैंक बिना किसी सूचना के परिवर्तन कर सकता है। यदि ऐसा कोई परिवर्तन किया जाता है तो कार्डधारक को सूचित किया जाएगा, जब तक कि प्रकटीकरण से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या उपकरण की सुरक्षा खतरे में न पड़ जाए।

22.5 बैंक एटीएम/शाखा की साइट पर या उसके आसपास या प्रेस विज्ञापन द्वारा या खाता विवरण में एक संदेश द्वारा कार्डधारक को इन नियमों और शर्तों में बदलाव की सूचना भी दे सकता है।

22.6 ये नियम व शर्तें (क) किसी भी पूर्व में किए गए प्रस्तावों, अभ्यावेदन, समझ और समझौतों, व्यक्त या निहित, या तो मौखिक या लिखित रूप से प्रबल होंगी और (ख) जमा खाते के लिए बैंक के सामान्य व्यापार नियमों व शर्तों और बैंक के किसी भी अन्य नियम और शर्तों के अलावा लागू होंगी जो अन्यथा लागू होती हैं। हालांकि, टकराव की स्थिति में, डेबिट-सह-एटीएम कार्ड सुविधा के लिए ये नियम व शर्तें डेबिट-सह-एटीएम कार्ड सुविधा के तहत लेनदेन के संबंध में लागू होंगी।

23. प्रकटन:

23.1 बैंक अन्य संस्थानों को सख्त सहमति में, कार्ड खाते से संबंधित ऐसी जानकारी को प्रकट करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण नेटवर्क में अपनी भागीदारी के संबंध में आवश्यक या उपयुक्त हो सकती है।

23.2 बैंक अपने विवेक से, वीडियो टेप या कैमरे पर रिकॉर्ड कर सकता है कि कार्डधारक अपने परिसरों/मशीनों/उपकरणों में बैंक की सुविधाओं तक पहुंच/उपस्थिति/उपयोग कर सकता है और बैंक किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में ऐसी फुटेज पर भरोसा कर सकता है।

23.3 एटीएम/सीएसएस/एटीएम/टच एक्सेस बैंकिंग टर्मिनल/ईडीसी-पीओएस/अन्य उपकरणों पर डेबिट-सह-एटीएम कार्ड का उपयोग कार्डधारक की स्पष्ट सहमति होगी:

- (a) उचित लेनदेन और खाता रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए बैंक के लिए आवश्यक किसी भी माध्यम से पहचान और खाता शेष जानकारी के संग्रह, भंडारण, संचार और प्रसंस्करण के लिए
- (b) बैंक के एटीएम नेटवर्क/अन्य नेटवर्क में प्रतिभागियों और प्रोसेसरों को कार्डधारक के खाते के विवरण और लेन-देन की जानकारी और कार्ड को एटीएम/अन्य डिवाइस पर उपयोग करने के लिए आवश्यक अन्य डेटा जारी करने और प्रसारित करने के लिए.
- (c) बैंक या अन्य नेटवर्क में उक्त प्रतिभागियों और प्रोसेसर द्वारा ऐसी जानकारी और डेटा को बनाए रखने के लिए
- (d) बैंक एटीएम नेटवर्क/अन्य नेटवर्कों में उक्त प्रतिभागियों और संसाधकों द्वारा सूचना के प्रकटीकरण को नियंत्रित करने वाले कानूनों और विनियमों के अनुपालन के लिए जिसके अधीन ऐसे प्रतिभागी और संसाधक हैं।
- (e) कार्डधारक के बैंक खाते या कार्ड के उपयोग के माध्यम से किए गए लेन-देन या व्यक्तिगत विवरणों के बारे में तीसरे पक्ष को जानकारी के प्रकटीकरण के लिए जहां लेनदेन पूरा करने के लिए यह आवश्यक है; और/या जब कानून या सरकारी एजेंसी या अदालती आदेशों या कानूनी कार्यवाही का पालन करना आवश्यक

हो; और/या जब कार्डधारक द्वारा उठाई गई त्रुटियों या प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक हो; और/या बैंक की आंतरिक डेटा प्रोसेसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।

23.4 कार्डधारक बैंक को वह जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत होता है जिसकी बैंक को कार्डधारक से कानून या विनियम द्वारा आवश्यकता होती है, या कोई अन्य उपयुक्त जानकारी जिसे बैंक समय-समय पर उचित रूप से अनुरोध कर सकता है।

24. विवाद और निपटान के लिए क्षेत्राधिकार:

24.1 भारत गणराज्य के अलावा किसी अन्य देश के कानूनों के गैर-अनुपालन के लिए बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दायित्व स्वीकार नहीं करता है। केवल तथ्य यह है कि भारत के अलावा किसी अन्य देश में ग्राहक द्वारा कार्ड का उपयोग किया जा सकता है, इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि उक्त देश के कानून इन नियमों और शर्तों और/या ग्राहक के कार्ड खाते में संचालन और/या उपयोग को नियंत्रित करते हैं।

24.2 बैंक कार्डधारक के खाते से एक उचित सेवा शुल्क और बैंक द्वारा किए गए किसी भी खर्च को काटने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें कार्डधारक के कार्ड से जुड़ी कानूनी कार्रवाई के कारण बिना किसी सीमा के उचित कानूनी शुल्क शामिल हैं।

इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सेवाएं

ग्राहक सहमत होता है कि इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (ईएफटी) के माध्यम से सेवाओं का लाभ निम्नलिखित नियमों और शर्तों के साथ-साथ बैंक की सामान्य व्यावसायिक शर्तों के अधीन है, बैंक द्वारा समय-समय पर जारी और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लागू या संशोधित नियम और विनियम। नियमों और शर्तों को शामिल करने के मामले में, इन इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सेवाओं की नियम व शर्तें प्रासंगिक होंगी।

1. ग्राहक के अधिकार और बाध्यता

1.1 ग्राहक ईएफटी अनुरोध में दिए गए विवरणों की सटीकता के लिए जिम्मेदार होगा और अपने ईएफटी अनुरोध में किसी भी त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा।

बैंक द्वारा ईएफटी अनुरोध के निष्पादन से पहले ग्राहक ईएफटी अनुरोध पर उचित रूप से लागू होने वाले अपने खाते में धन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। हालांकि, यदि बैंक ग्राहक के खाते में उचित रूप से लागू धन उपलब्ध न होने पर ईएफटी अनुरोध निष्पादित करता है, तो ऐसी स्थिति में ग्राहक अपने खाते से डेबिट की गई राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा जिसके लिए बैंक द्वारा उसके ईएफटी अनुरोध के अनुसार बैंक को देय ब्याज सहित लागू शुल्कों के साथ एक ईएफटी को निष्पादित किया गया था।

1.2 C ग्राहक सहमत होता है कि ईएफटी अनुरोध बैंक द्वारा स्वीकार और निष्पादित किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाएगा।

ग्राहक सहमत है कि वह आरबीआई ईएफटी योजना में किसी भी पक्ष के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा। ईएफटी में कम से कम 3 कार्य दिवसों का समय अंतराल शामिल है।

जबकि बैंक ईएफटी निर्देश प्राप्त होने पर जल्द से जल्द (अर्थात्, उसी दिन, जब बैंक के व्यावसायिक घंटों के दौरान या अगले कार्य दिवस पर प्राप्त होने पर व्यावसायिक घंटों के बाद प्राप्त होता है) लागू करने का प्रयास करेगा, लेकिन बैंक गारंटी नहीं देता है या इसके तहत प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार नहीं है।

यदि बैंक ने ईएफटी अनुरोध को सद्भावपूर्वक और सुरक्षा प्रक्रिया के अनुपालन में निष्पादित किया है, तो ग्राहक बैंक द्वारा निष्पादित किसी भी ईएफटी अनुरोध से बाध्य होगा। ग्राहक इस बात से सहमत होता है कि उसके द्वारा निधि अंतरण के निष्पादन और पूरा होने में किसी भी देरी की स्थिति में होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, आदि के लिए वह बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।

1.3 ग्राहक से निर्देश प्राप्त करने के लिए कटऑफ समय और ईएफटी लेनदेन के लिए वित्तीय सीमाएँ बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती हैं और इसकी सूचना ग्राहक को दी जाएगी। कट-ऑफ समय के बाद बैंक द्वारा प्राप्त अनुरोधों को अगले कार्य दिवस पर संसाधित किया जाएगा।

1.4 ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि ईएफटी सुविधा के तहत सभी लेन-देन भारत में लागू सभी कानूनों के अनुपालन में किए जाएंगे और/या अन्यथा, लेकिन यह किसी भी नियम, विनियमों, अधिसूचनाओं सहित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (एफईएमए), मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून तक सीमित नहीं हैं और किसी भी निषिद्ध लेनदेन के लिए ईएफटी सुविधा का उपयोग न करें। ग्राहक सहमत है कि कोई भी विशेष परिस्थिति ईएफटी सुविधा के तहत निष्पादित किसी भी ईएफटी अनुरोध के साथ संलग्न नहीं होगी और किसी भी परिस्थिति में ग्राहक को उपरोक्त खंड 1 में प्रदान की गई राशि से अधिक मुआवजे का दावा करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा।

2. बैंक के अधिकार और बाध्यता:

2.1 बैंक ग्राहक द्वारा जारी किए गए एक ईएफटी अनुरोध को निष्पादित करेगा जो ग्राहक द्वारा विधिवत प्रमाणित है जैसा कि सुरक्षा प्रक्रिया द्वारा सत्यापित किया गया है, जब तक कि:

- (a) ग्राहक के खाते में उपलब्ध धनराशि ईएफटी अनुरोध के अनुपालन के लिए पर्याप्त या उचित रूप से लागू न हो और ग्राहक ने भुगतान दायित्व को पूरा करने के लिए कोई अन्य व्यवस्था नहीं की हो।
- (b) बैंक के पास यह मानने का कारण न हो कि ईएफटी अनुरोध एक अवैध लेनदेन करने के लिए जारी किया गया है।
- (c) ईएफटी अनुरोध अधूरा है या इसे सहमत फॉर्म में जारी नहीं किया गया है।
- (d) ईएफटी अनुरोध आरबीआई ईएफटी योजना के तहत निष्पादित नहीं किया जा सकता है।
- (e) ईएफटी अनुरोध किसी विशेष परिस्थिति की सूचना के साथ संलग्न न हो।

ग्राहक द्वारा जारी कोई भी ईएफटी अनुरोध बैंक पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगा जब तक कि बैंक इसे स्वीकार नहीं कर लेता।

बैंक, अपने द्वारा निष्पादित प्रत्येक ईएफटी अनुरोध के निष्पादन पर, ग्राहक के नामित खाते को, उस पर देय शुल्कों के साथ अंतरित धनराशि को डेबिट करने का हकदार होगा, चाहे खाते में पर्याप्त शेष राशि हो या नहीं। अगर व्यवसाय के बंद होने से पहले ईएफटी व्यावसायिक दिन के तीसरे दिन फंड ट्रांसफर पूरा नहीं होता है, तो बैंक ग्राहक को तदनुसार सूचित करेगा।

3. अंतरण की शर्तें

बैंक किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो कि प्रसारण वितरण में देरी या इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के गैर-वितरण या किसी भी गलती, चूक, या प्रसारण या वितरण में त्रुटि, या किसी भी कारण से संदेश को समझने

में होने वाली क्षति या इसकी गलत व्याख्या या गंतव्य बैंक की कार्रवाई या उसके नियंत्रण से परे किसी भी कार्य या घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ग्राहक द्वारा सभी भुगतान निर्देशों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। लाभार्थी बैंक द्वारा लगाए गए किसी भी शुल्क/कमीशन के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है। इन नियमों और शर्तों को बैंक के खातों और सेवाओं के लिए ईएफटी अनुरोध प्रपत्र, नियमों और शर्तों और निर्धारित नियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

4. सेवाओं की समाप्ति

बैंक अपने विवेकाधिकार पर और विशिष्ट नियमों और शर्तों/नियमों के अनुसार और बैंक द्वारा निर्धारित किसी विशेष खाता सेवा/स्थिति/परिस्थिति/लेनदेन में लागू होने पर समय-समय पर अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा को समाप्त करने का हकदार होगा। ग्राहक भी समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित विशेष खाता सेवा/स्थिति/परिस्थिति/लेनदेन-सेवा/स्थिति/परिस्थिति/लेनदेन के अनुसार सेवाओं को समाप्त करने का हकदार होगा। हालांकि ग्राहक उक्त विशेष खाते और सेवाओं के तहत किए गए सभी लेनदेन के लिए उत्तरदायी होगा और बैंक को अपने द्वारा देय सभी राशियों/प्रभारों का विधिवत भुगतान करेगा।

बिल भुगतान सेवाएं

ग्राहक सहमत होता है कि बिल भुगतान सेवाओं का लाभ निम्नलिखित नियमों और शर्तों के साथ-साथ बैंक की सामान्य व्यावसायिक शर्तों, खातों के संचालन के नियमों और वैकल्पिक चैनलों की सेवाओं के नियमों और शर्तों, जैसा कि समय-समय पर बैंक द्वारा जारी किया जा सकता है और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर पेश या संशोधित किए गए नियमों व विनियमों के अधीन है। नियमों और शर्तों को शामिल करने के मामले में, वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से इन सेवाओं के लिए नियम और शर्तें सांगत होंगी।

1. सामान्य

बिल भुगतान ग्राहक को बैंक के साथ अपने निर्दिष्ट खाते का उपयोग करके और बैंक के साथ पंजीकृत किसी भी सेवा प्रदाता के खाते में जमा करके बिलों का भुगतान करने में सक्षम बनाता है; बिल भुगतान बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है, यदि ग्राहक वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से बैंक को इस तरह के बिल की राशि के लिए ग्राहक के खाते से शुल्कों के साथ, यदि कोई हो, डेबिट करने के लिए अधिकृत करता है।

2. लेन-देन का निष्पादन

ग्राहक सहमत है कि बैंक बिल की राशि का भुगतान बिलर की आवश्यकता के अनुसार करेगा। ग्राहक गलत या अधूरी प्रविष्टियों के कारण बिल राशि

को अस्वीकार करने वाले बिलर के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा.

3. ग्राहक का दायित्व

ग्राहक बिलिंग कंपनी के साथ पंजीकृत अपनी सही पहचान विवरण प्रदान करने के लिए सहमत है और इस संबंध में गलत जानकारी के कारण बैंक को किसी भी दायित्व से क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है। ग्राहक बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर, बिलिंग कंपनी के साथ पंजीकृत पहचान विवरण में किसी भी बदलाव के बारे में बैंक को सूचित करने के लिए भी सहमत है।

4. अधित्याग

हालांकि बैंक बिलिंग विवरण के सटीक संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा, पर बैंक किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि निहित जानकारी त्रुटिपूर्ण/गलत हो जाती है तो ग्राहक किसी भी नुकसान, क्षति, आदि के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।

5. बिलिंग कंपनी के साथ प्रकटीकरण और विवाद

ग्राहक इस बात के लिए सहमत है कि उसे बिलिंग कंपनी द्वारा बैंक को अपना बिलिंग विवरण प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है। ग्राहक सहमत है कि बिल विवरण पर किसी भी विवाद का निपटारा सीधे बिलिंग कंपनी के साथ किया जाएगा और बैंक की जिम्मेदारी केवल सूचना के प्रावधान तक सीमित है।

6. विविध

ग्राहक सहमत है कि बैंक के साथ दिए गए निर्देशों और लेनदेन का रिकॉर्ड सभी उद्देश्यों के लिए निर्णायक सबूत और बाध्यकारी होगा और किसी भी कार्यवाही में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्राहक सहमत है कि बिल भुगतान सेवाओं के लिए शुल्क, यदि कोई हो, बैंक के पूर्ण विवेक पर होगा और बैंक बिना कोई नोटिस दिए समय-समय पर इसे बदलने के लिए स्वतंत्र है। ग्राहक सहमत होता है कि बैंक किसी भी या सभी खार्तों के संबंध में बिल भुगतान सुविधा, या उसके तहत प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा को वापस लेने के लिए स्वतंत्र है (बिना कोई कारण बताए, बिना कोई नोटिस दिए)

अधिक जानकारी के लिए:

— www.deutschebank.co.in पर जाएँ

— 1860 266 6601# पर हमारे 24 घंटे फोन बैंकिंग पर कॉल करें

#This is not a toll free number and call charges will apply. Customers outside India need to dial

#यह टोल फ्री नंबर नहीं है और कॉल शुल्क लागू होगा। भारत से बाहर के ग्राहकों को +91 22 6601 6601 डायल करना होगा। मुंबई में रहने वाले ग्राहक भी 6601 6601 पर कॉल कर सकते हैं।

*7 दिनों से पहले निकाली गई जमाराशियों पर कोई ब्याज देय नहीं है। 15 लाख से कम की सावधि जमाराशियों की समयपूर्व निकासी के लिए, 15वें दिन या उसके बाद, 1% की दंडात्मक दर वसूल की जाएगी, यानी उस अवधि के लिए ब्याज, जिसके लिए जमा राशि पर लागू दंड को कम किया गया है। 15 लाख से अधिक या उसके बराबर की सावधि जमाओं की समयपूर्व निकासी के लिए, 7वें दिन या उसके बाद, 1% की दंडात्मक दर वसूल की जाएगी, यानी उस अवधि के लिए ब्याज, जिसके लिए जमा राशि पर लागू दंड को कम किया गया है। ब्याज दरें बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं। आवर्ती जमा पर ब्याज की गणना बैंक द्वारा इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार की जाएगी और परिपक्वता पर भुगतान किया जाएगा। नियम व शर्तें लागू।